601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 19 गुरुवार, 1 अक्टूबर, 1964 / 9 आश्विन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
503	चतुर्थ योजना के रोज़गार के लक्ष्य . .	1917–21
504	औद्योगिक श्रमिकों के लिए अवकाश सम्बन्धी सुविधा	1921–23
505	पाकिस्तान द्वारा देय धन	1923–26
506	दिल्ली वृहद् योजना	1926–28
507	राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा	1928–31
508	समवाय विधि विभाग . .	1931–32
509	आयोजन कार्य के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण	1932–33
510	वाराणसी में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा छापा	1933–36
511	स्टेट बैंक्स .	1936–39

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

8	वनस्पति मिलों का बन्द किया जाना	1939–41
9	केरल में खाद्य स्थिति	1941–43
10	दिल्ली दुग्ध योजना	1943–46

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
512	न्यूयार्क में अमरीकी व्यापारियों का सम्मेलन	1946–47
513	सड़क-रेल समन्वय . .	1947
514	समुद्र तटीय इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र .	1947–48
515	निवृत्तिवेतन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता	1948
516	नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद का मामला .	1948–49
516-क	"एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" में काश्मीर का मानचित्र	1949
517	अनधिकृत रूप से बने हुए मकानों का गिराया जाना	1949–50

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 19—Thursday, October 1, 1964/Asvina 9, 1886 (saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
503	Employment Target for Fourth Plan	1917—21
504	Leave Facility for Industrial Workers	1921—22
505	Dues from Pakistan	1923—26
506	Delhi Master Plan	1926—28
507	National Consumers Service	1928—31
508	Department of Company Law	1931—32
509	Training of Teachers in Planning	1932—33
510	Raid by Customs in Varanasi	1933—36
511	State Banks	1936—39
Short Notice Questions Nos.		
8	Closure of Vanaspati Mills	1939—41
9	Food Situation in Kerala	1941—43
10	Delhi Milk Scheme	1943—46

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
512	U.S. Businessmen's Conference in New York	1946—47
513	Road-rail Co-ordination	1947
514	Coastal Engineering Research Centre	1947—48
515	Increased D.A. for Pensioners	1941
516	Affairs of Shri Sriram Durga Prasad of Nagpur	1948—49
516-A	Map of Kashmir in Encyclopaedia Britannica	1949
517	Demolition of Unauthorised Structures	1949—50

*The sign +marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
518	टोकियों में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम्मेलन	1950
519	नागार्जुन सागर परियोजना . .	1950–51
520	हैजा	1951–52
521	समवायों के मामलों की जांच .	1952–53
522	दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां .	1953–54
523	बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये सहायता .	1954
524	विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार . .	1954–55
525	राजस्थान में घग्घर नदी में बाढ़ . .	1955–56
526	ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम सहकारी समितियां .	1956
527	क्षेत्रीय आधार पर विद्युत् का विकास	1956–57
528	ठेका पद्धति .	1957
529	बिजली घर .	1957–58
530	"सी" बिजली घर . .	1958

अतारांकित

प्रश्न संख्या

1617	उड़ीसा में तपेदिक के रोगी	1958–59
1618	जलधारा मापक उपकरण	1959
1619	रामनदी बांध . . .	1960
1620	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड .	1960
1621	केन्द्रीय होम्योपैथिक सलाहकार समिति .	1960–61
1622	दिल्ली में होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीकरण	1961–62
1623	आंखों का अस्पताल .	1992
1624	दिल्ली में गैर-सरकारी मेडिकल कालिज	1962
1625	केरल में सुनारों के लिये सहकारी समितियां	1963
1626	टेल्लिचेरी तथा मोह में पीने के पानी का सम्भरण	1963
1627	केरल में भूमि पर बुनियादी कर	1963–64
1628	केरल राज्य में नर्स संस्था . .	1964
1629	मोहोल नगर, महाराष्ट्र के लिये जल योजना	1964
1630	कृत्रिम अंगों का बनाना	1964–65
1631	मंत्रियों के निवास स्थान .	1965
1632	जीवन बीमा निगम आवास योजना	1965–66
1633	धर्मार्थ अस्पताल .	1966
1634	भारतीय रुपये का परिवर्तन मूल्य	1966–67
1635	वृहद् योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण	1967
1636	गर्भ-निरोधक वस्तुयें	1967

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
518	International Monetary Fund Conference	1950
519	Nagarjunasagar Project	1950—51
520	Cholera	1951—52
521	Investigations into Affairs of Companies	1952—53
522	Chit Fund Companies in Delhi	1953—54
523	Aid for Flood Control Measures	1954
524	Smuggling of Foreign Currency	1954—55
525	Ghaggar Floods in Rajasthan	1955—56
526	Labour Cooperatives in Rural Areas	1956
527	Power Development on Regional Basis	1956—57
528	Contract System	1957
529	Power Stations	1957—58
530	'C' Power Station	1958

Unstarred Questions Nos.		
1617	T. B. Patients in Orissa	1958—59
1618	Stream Gauging Equipment	1959
1619	Ramanadhi Dam	1960
1620	Board of Homoeopathic System of Medicine	1960
1621	Central Homoeopathic Advisory Committee	1960—61
1622	Registration of Homoeopaths in Delhi	1961—62
1623	Eye Hospital	1962
1624	Private Medical College in Delhi	1262
1625	Cooperatives in Kerala for Goldsmiths	1963
1626	Drinking Water Supply to Tellicherry and Mahe	1963
1627	Basic Tax on Land in Kerala	1963—64
1628	Kerala State Nurses Association	1964
1629	Water Scheme for Mohol Town, Maharashtra	1964
1630	Production of Artificial Limbs	1964—65
1631	Ministers' Residences	1965
1632	LIC Housing Scheme	1965—66
1633	Charitable Hospitals	1966
1634	Exchange Value of Indian Rupee	1966—67
1635	Construction of Houses under Master Plan	1967
1636	Contraceptives	1967

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1637	दिल्ली विकास प्राधिकार . .	1968
1638	परिवार नियोजन के लिये वित्तीय सहायता .	1968–69
1639	नई दिल्ली में जीवन बीमा निगम का भवन .	1969
1640	विदेश-स्थित भारतीयों द्वारा धन का भेजा जाना	1969
1641	ग्रामीण कार्य विभाग . .	1969–70
1642	खाद्य अपमिश्रण . . .	1970
1643	जीवन बीमा निगम की आवास योजनायें	1970–71
1644	पेरियार परियोजना . . .	1971
1645	पश्चिम बंगाल द्वारा मांगी गई सहायता .	1971–72
1646	पंजाब में भारी तथा मध्यम उद्योग . . .	1972
1647	सार्थों द्वारा कम मूल्य का बीजक बनाया जाना तथा अधिक मूल्य का बीजक बनाया जाना .	1972
1648	सुवर्णरेखा नदी . . .	1972–73
1649	कोयले के परिवहन की समस्या .	1973
1650	रेलवे मंत्रालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	1973
1651	आय कर की बकाया राशि . .	1974
1652	पंजाब में राजस्व संग्रह . . .	1974
1653	बीमा एवं गृह योजना . .	1974–75
1654	क्षय रोग केन्द्र . . .	1975
1655	"कैट-गट" का आयात . .	1976
1656	तपेदिक के अस्पताल . .	1976–77
1657	पश्चिम बंगाल में डिपथीरिया के रोगी	1977–78
1658	भूमिगत पानी के स्तर में वृद्धि .	1978
1659	उड़ीसा की वित्तीय सहायता . .	1978
1660	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान . . .	1978–79
1661	हेमावती और हरंगी परियोजनायें . . .	1979
1662	बम्बई में अरबी राष्ट्रजनों के पास से पकड़ा गया सोना	1979
1663	केन्द्रीय माल लदान केन्द्र . . .	1980
1664	पोंग बांध	1980
1665	नगरपालिकाओं और निगमों के लिये ऋण तथा अर्थ सहायता	1980–81
1666	स्टाफ कारें . .	1981
1667	गोदावरी तथा कृष्णा नदियों का जल .	1982
1668	सरकारी लेखन-सामग्री . . .	1982
1669	कदाना बांध परियोजना . . .	1982
1670	केरल के लिये जल सम्भरण योजनायें . .	1983
1671	चोरी-छिपे भारत में माल लाने के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियां	1983–84
1672	चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	1984

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1637	Delhi Development Authority	1968
1638	Financial Assistance for Family Planning	1968-69
1639	L.I.C. Building in New Delhi	1969
1640	Remittance of Money by Indians Abroad	1969
1641	Rural Works Division	1969-70
1642	Food Adulteration	1970
1643	Housing Scheme of L.I.C.	1970-71
1644	Periyar Project	1971
1645	Assistance sought by West Bengal	1971-72
1646	Heavy and Medium Industries in Punjab	1972
1647	Under-invoicing and over-invoicing by firms	1972
1648	Subarnarekha River	1972-73
1649	Coal Transport Problem	1973
1650	Quarters to Employees of Railway Ministry	1973
1651	Arrears of Income Tax	1974
1652	Revenue Collection in Punjab	1974
1653	Insurance-cum-Housing Scheme	1974-75
1654	T. B. Centres	1975
1655	Import of Cat-gut	1976
1656	T. B. Hospitals	1976-77
1657	Diptheria Cases in W. Bengal	1977-78
1658	Rise in sub-soil Water	1978
1659	Financial Position of Orissa	1978
1660	Houses for Industrial Workers	1978-79
1661	Hemavati and Harangi Projects	1979
1662	Gold Seized from Arab Nationals in Bombay	1979
1663	Central Load Despatch Station	1980
1664	Pong Dam	1980
1665	Loans and Subsidies to Municipalities and Corporations	1980-81
1666	Staff Cars	1981
1667	Godavari and Krishna River Waters	1982
1668	Government's Stationery	1982
1669	Kadana Dam Project	1982
1670	Water Supply Schemes for Kerala	1983
1671	Arrests for Smuggling	1983-84

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1673	खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिये ऋण .	1984
1674	योजना आयोग के सदस्यों को यात्रा भत्ते का भुगतान	1984–85
1675	योजना आयोग के अनुसन्धान कर्मचारी	1985
1676	पुस्तकालयों का विकास	1985
1677	डम्बरू जल-विद्युत् परियोजना	1985–86
1678	प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति	1986
1679	उत्तर प्रदेश में सम्पदा-शुल्क का निर्धारण	1986–87
1680	कन्नौज में आयकर की वसूली .	1987
1681	नागपुर निगम का जल संभरण विभाग	1987
1682	वार्षिकी जमा योजना .	1987–88
1683	राजस्थान में पेय जल का सम्भरण .	1988–89
1683-क	सफदरजंग के पास सड़क को चौड़ा करना	1989

व्यवस्था का प्रश्न 1989—92

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . 1992—2000

(1) आसाम के गांवों में विद्रोही नागाओं द्वारा, कथित लूटमार

श्री हेम बरूआ . . 1992

श्री हाथी . . . 1992—95

(2) उत्तर प्रदेश विधान सभा बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री स० मो० बनर्जी 1995–96

श्री अ० कु० सेन . . . 1996—2000

"कैम्पर" संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये दोपहर के भोजन से आंध्र प्रदेश में स्कूल के बच्चों की मृत्यु के बारे में . . . 1995

सभा पटल पर रखे गये पत्र 2000–01

विधेयक पर राय 2001

राज्य सभा से सन्देश 2001

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति 2002

लोक लेखा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन 2002

कुरनूल जिले में बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में वक्तव्य . . . . 2002—09

श्री अ० कु० सेन 2002—09

Unstarred Qustions Nos.	*Subject*	PAGES
1672	Small-Pox Eradication Programme	1984
1673	Loans to Agricultural Labourers for Housing	1984
1674	Payment of T.A. to Planning Commission Members	1984-85
1675	Research Staff in Planning Commission	1985
1676	Development of Libraries	1985
1677	Dambroo Hydro-Electric Project	1985-86
1678	Direct Taxes Administration Enquiry Committee	1986
1679	Estate Duty Levy assessment in U.P.	1986-87
1680	Recovery of Income-Tax in Kannauj	1987
1681	Water Works of Nagpur Corporation	1987
1682	Annuity Deposit Scheme	1987-88
1683	Drinking Water Supply in Rajasthan	1988-89
1683-A	Widening of Road near Safdarjang	1989

Point of Order . . . 1989—92

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance . . 1992—2000

(*i*) Reported looting by hostile Nagas in villages of Assam

Shri Hem Barua 1992

Shri Hathi . . . . . 1992—95

(*ii*) Supreme Court Judgment *re*: U.P. Legislative Assembly *vs*. Judges of the Allahabad High Court . . . .

Shri S. M. Banerjee 1995-96

Shri A. K. Sen . . . . . 1996—2000

Re: Death of school children in Andhra Pradesh by taking C.A.R.E. mid-day meals 1995

Papers laid on the Table 2000-2001

Opinions on Bill . . 2001

Messages from Rajya Sabha . . . 2001

President's assent to Bill 2002

Public Accounts Committee

Twenty-seventh Report—presented 2002

Statement *re*: Supreme Court judgment relating to Nationalisation of bus routes in Kurnool district . . . . . 2002—2009

Shri A. K. Sen . 2002—2009

विषय	पृष्ठ
देश में बाढ़ स्थिति के बारे में चर्चा	2009–12
डा० कु० ल० राव	2009-12
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	2013–20
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	2013
श्री संजीवय्या	2013–14
डा० रानेन सेन्	2014–15
श्री अ० प्र० शर्मा	2015
श्री ओझा	2016
श्री दाजी	2016–18
श्री उ० मू० त्रिवेदी	2018-19
श्री अ० ना० विद्यालंकार	2019
श्री व० बा० गांधी	2019-20
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
दसवाँ प्रतिवेदन	2020
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य में सुधार करने सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	2020–25
श्री नाथ पाई	2020–24
श्रीमती इन्दिरा गांधी	2024–25

Subject	PAGES
Discussion *re*: flood situation in the country	2009–12
Dr. K. L. Rao	2009–12
Industrial Disputes (Amendment) Bill	2013–20
Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	2013
Shri D. Sanjivayya	2013–14
Dr. Ranen Sen	2014–15
Shri A. P. Sharma	2015
Shri Oza	2016
Shri Daji	2016–18
Shri U.M. Trivedi	2018–19
Shri A. N. Vidyalankar	2019
Shri V. B. Gandhi	2019–20
Committee on Absence of Members from sittings of the House Tenth Report—presented	2020
Half-an-hour discussion *re*: proposals for streamlining of work of Ministry of Information and Broadcasting	2020–25
Shri Nath Pai	2020–24
Shrimati Indira Gandhi	2024–25

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद हैं ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 अक्टूबर, 1964 / 9 आश्विन, 1886 (शक)

Thursday, October 1, 1964/Asviva 9, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चतुर्थ योजना के रोजगार के लक्ष्य

\+

*503. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बागड़ी :
श्री बाल्मीकी :
श्री प० शा० देशमुख :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के रोजगार के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) तृतीय योजना काल के रोजगार के तथा काम के सर्जन के लक्ष्यों के कहां तक पूरे हो जाने की आशा है और चतुर्थ योजना काल के प्रारम्भ में तीसरी योजना के लक्ष्यों में कितनी कमी रह जाने का अनुमान है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) चौथी योजना के लिये रोजगार लक्ष्य अभी विचाराधीन है ।

(ख) अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान एक करोड़ तीस लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रकार चौथी योजना के आरम्भ में एक करोड़ बीस लाख बेरोजगार होंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या बेकारी अनुदान को देने की योजना को चतुर्थ योजना काल में प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : चतुर्थ योजना तैयार की जा रही है और उसको अन्तिम रूप दे दिये जाने के पश्चात् ही उसके मूल तत्वों, उद्देश्यों तथा ब्यौरों की जानकारी मिल सकेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो रोजगार लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे प्राप्त करने में असफलता मिली है ; यदि हां, तो चतुर्थ योजना में रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : असफलता नहीं मिली है, केवल उसे पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं किया जा सका है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : उस सीमा तक तो असफलता ही मिली है ।

श्री ब० रा० भगत : यह असफलता नहीं है । एक करोड़ 30 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन किया गया है । तृतीय योजना में इससे कुछ अधिक—एक करोड़ साठ लाख से एक करोड़ सत्तर लाख तक का—लक्ष्य निर्धारित किया गया था । परन्तु क्योंकि कृषि सम्बन्धी अथवा अन्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके अतः इसके परिणामस्वरूप रोजगार लक्ष्य भी पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका । अतः इसे असफलता नहीं कहा जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार चतुर्थ योजना में क्या कार्य करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, प्रथम योजना में यह 80 लाख बताया गया था, द्वितीय योजना में 1 करोड़ 10 लाख और अब तृतीय योजना में 1 करोड़ 30 लाख बताया जा रहा है । वे बेरोजगार व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक भ्रांति पैदा कर रहे हैं । सरकार महत्वाकांक्षी तो बनी रहे, परन्तु हमारी प्रार्थना यह है कि इस बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए उन्हें एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या योजना आयोग के भावी आयोजन विभाग ने देश में प्रत्येक योजना में बेरोजगारी में हुई वृद्धि के प्रश्न की जांच की है; यदि हां, तो भावी आयोजन विभाग तथा योजना आयोग ने इस समस्या को प्रभावकारी ढंग में हल करने के लिये या सिफारिशें की हैं जिससे कि चतुर्थ योजना के अन्त में रोजगार अवसरों में कोई कमी न रहे और बेरोजगारी की कोई समस्या हल करने के लिये हमारे सामने न रहे ? क्या ऐसी कोई सम्भावना है ?

श्री ब० रा० भगत : भावी आयोजन विभाग, श्रम मंत्रालय और योजना आयोग के रोजगार विभाग आदि ने अनेकों सिफारिशें की हैं और यह विचार किया जा रहा है कि चतुर्थ योजना में, आयोजित विकास के आकार और मूल तत्वों के बेरोजगारी पर अधिक जोर देने

के परिणामस्वरूप, केवल यह कमी ही दूर नहीं हो जायेगी अपितु अतिरिक्त श्रमिकों को भी रोजगार में खपाया जा सकेगा। ब्यौरों के तैयार होने पर हम उन्हें सदन को बता देंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं यह जानना चाहता था कि इस विभाग ने क्या विशिष्ठ सिफारिशें की हैं और वह कह रहे हैं कुछ विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जब अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो क्या वे सिफारिशें बता दी जानी चाहिये ? योजना अभी तक भी तैयार की जा रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। यदि यह नहीं पूछा जा सकता कि क्या सुझाव दिये गये हैं तो हमारे लिये यह कैसे सम्भव हो सकता है कि हम स्थिति का मूल्यांकन करें अथवा योजना के तैयार करने में सरकार को अपने विचार बतायें ?

अध्यक्ष महोदय : हम यहां उस पर चर्चा करेंगे।

Shri Bagri : What improvement has been made in the position of industries during these three five year Plans ? What was their position during British reign, what is it now and what will it be after the completion of Third Five Year Plan ?

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member is asking about industries while this question relates to industries and as such his question is not relevant.

Shri Bagri : When a Plan is formulated industries are also included therein and because of this I wanted to know the position of industries during British reign, as at present and as it would be after the completion of Third Five Year Plan.

Shri B. R. Bhagat : It is apparent that industries have made sufficient progress. This question relates to employment and not to industries and as such for geting any information regarding industries the hon. Member should give a separate notice.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या तृतीय योजना की शेष अवधि में तथा चतुर्थ योजना में श्रमिकों को अधिक संख्या में रोजगार देने की नई योजनायें बनाने का सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक तृतीय योजना की शेष डेढ़ वर्ष की अवधि का सम्बन्ध है हम अधिक से अधिक कार्यक्रम बनाने का प्रयत्न कर हे हैं जिससे कि. लक्ष्य प्राप्त हो सके तथा रोजगार अवसरों का सृजन हो सके। कृषि क्षेत्र में, ग्राम्य कार्यक्रमों में तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के कार्यों में सभी में इसके लिये प्रयत्न किया ज रहा है। जहां तक चतुर्थ योजना के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उसकी जांच की जा रही है जिससे कि योजना की ऐसी रचना की जा सके जिसमें रोजगार पर अधिक जोर दिया गया हो ताकि बे-रोजगार व्यक्तियों को खपाने में जो कमी रह गई है केवल उन्हीं को ही न खपाया जा सके बल्कि नये श्रमिकों को ही रोजगार में लगाया जा सके। चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् इसका अधिक स्पष्ट रूप से चित्रण किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि क्या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने की कोई योजनायें तैयार की जा रही हैं।

श्री ब० रा० भगत : तृतीय योजना की शेष अवधि में हम कृषि क्षेत्र में तथा ग्रामीण कार्यक्रमों में रोजगार का सृजन करने वाली योजनाओं को अधिक सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चतुर्थ योजना में अधिक लोगों को रोजगार पर लगाने के लिये ग्रामीण कार्यक्रम क्षेत्र, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र में से किसका विस्तार किया जाना चाहिये इन सब बातों की जांच की जा रही है।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि रोजगार की कमी है, और जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां श्रमिकों का अभाव भी है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बहुत कम हो रहा है; यदि हां, तो क्या योजना के अन्य क्षेत्रों के साथ इसका समन्वय किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह भी सच है। रोजगार की कमी समय समय पर होती है। कुछ क्षेत्रों में कुछ अवसरों पर बहुत से व्यक्ति बेरोजगार होते हैं और कुछ अवसरों पर विशेष रूप से कृषि कार्य के जोर के समय श्रमिकों की कमी होती है। दोनों ही बात साथ साथ चल रही हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the posts reserved for Scheduled Castes in the last Plan were filled up fully and if not the reasons therefor?

Shri B. R. Bhagat : How the question of reserved quota arises in unemployment ? There is unemployment for all.

डा० सरोजिनी महिषी : चतुर्थ योजना के लिये बेरोजगारी की मात्रा का हिसाब माननीय मंत्री ने किस आधार पर लगाया है ?

श्री ब० रा० भगत : सबसे पहिले, हम जनसंख्या में वृद्धि की दर का हिसाब लगाते हैं इसमें यह पता लग जाता है कि कितने और अतिरिक्त श्रमिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। हम यह भी देखते हैं कि गत बीस वर्षों में कितने श्रमिक कार्य करते रहे हैं और इससे यह पता करते हैं कि रोजगार अवसरों की कितनी कमी है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि रोजगार दफ्तरों के आंकड़ों के अनुसार शिक्षित बरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और चौथी योजना में उनके रोजगार के लिये कोई योजना नहीं है ? क्या कालेज के शिक्षित विद्यार्थियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के हेतु चतुर्थ योजना में कोई योजनायें सम्मिलित की जा रही हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या गम्भीर है। हम समस्त शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों को व्यावसायिक तथा प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि सब के सब शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अथवा उनमें से कम से कम कुछ तो रोजगार पर लगाये जा सकें।

Shri Achal Singh : The Third Five Year Plan contemplated to provide employment to ten million people, but how many have actually been given employment?

Shri B. R. Bhagat : Not only ten milion people, but many more have been provided with employment.

श्री राम नाथन चेट्टियार : तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाते समय यह बताया गया था कि एक करोड़ चालीस लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिया जायेगा परन्तु अब माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह पता चलता है कि एक करोड़ बीस लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा। क्या इससे हम यह समझ लें कि बीस लाख व्यक्तियों को तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में रोजगार दे दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था। मैंने यह कहा था कि वास्तव में रोजगार की कमी बढ़ गई है, घटी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि तृतीय योजना में अब तक जिन काम-धन्धों का सृजन किया गया है उसके लगभग आधे भाग से हमारी पार्किन्सन सेना की संख्या में ही वृद्धि हुई है, अर्थात् सहायक सचिवों, अधीक्षकों, अपर डिवीजन तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों आदि की ही संख्या में वृद्धि हुई है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या तृतीय योजना में प्रारम्भ में इन अनुत्पादक काम-धन्धों का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा हो सकता है कि कुछ अनुत्पादक काम-धन्धे भी. . . .

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को तो केवल कोई प्रोफेसर ही समझ सकता है।

श्री ब० रा० भगत : उत्पादक काम-धन्धों का सृजन करने पर जोर दिया गया है परन्तु ऐसा हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कुछ अनुत्पादक काम-धन्धों का भी सृजन हो गया हो।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अवकाश सम्बन्धी सुविधा

*504. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिये अवकाश की सुविधा देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). अर्जित छुट्टी (अर्न्ड लीव) और अर्जित छुट्टी इकट्ठी होने की बात को छोड़कर, असैनिक विभागों के औद्योगक कर्मचारियों के छुट्टी लेने के अधिकार के बारे में सरकार ने वेतन आयोग की सारी सिफारिशें मान ली थीं : चूंकि अर्जित छुट्टी को अर्जित करने का अनुपात और उसे इकट्ठा करने से सम्बन्ध रखने वाली सिफारिशों को अमल में लाने के लिए, कुछ मामलो में औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टियों की मौजूदा शर्तों को फिर से कड़ा करना आवश्यक था, इसलिये यह फैसला किया गया है कि कोई निर्णय करने से पहले राष्ट्रीय संयुक्त परिषद् की राय उसकी स्थापना होने पर, ले ली जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : वेतन आयोग का प्रतिवेदन एक वर्ष से भी ज्यादा हुआ, 1-7-1959 को दिया गय था। जबकि सिफारिशें सर्वसम्मत थीं, सरकार ने उन सिफारिशों को क्यों नहीं माना है और वह उन सिफारिशों में संशोधन करना क्यों चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच नहीं है कि सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं। केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों की इस श्रेणी के बारे में सात सिफारिशें की गई थीं।

छः सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं केवल एक मामले में, जिसका अर्जित अवकाश और अर्जित अवकाश के इकट्ठा करने से सम्बन्ध है, सिफारिशें कर्मचारियों के हित में नहीं हैं और इसीलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इससे देश भर के असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को, जो औद्योगिक कर्मचारी हैं, लाभ होगा और यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि अखिल भारत प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने बार-बार प्रार्थना की है कि इन सिफारिशों को तत्काल अविलम्ब क्रियान्वित किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा हो सकता है । मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान् जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । यह वेतन आयोग की सिफारिश है और ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने इस पर विचार नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सिफारिश श्रमिकों ने की है तो इसको क्रियान्वित किया ही जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया कि एक सिफारिश से कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जबकि कुछ मामलों में, उदाहरणतः रेलवे कर्मचारी और अन्य लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसके प्रभाव को समझा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Hon. Minister be pleased to State whether the Government is contemplating to declare a holiday in these industries on the 14th November, the birthday of late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru?

Mr. Speaker : This does not arise here.

श्री दाजी : हम यह जानना चाहेंगे कि वेतन आयोग की सिफारिशें क्या हैं और इस विषय के बारे में चालू नियम क्या हैं ताकि विपरीत प्रभाव की बात समझी जा सके ।

श्री ब० रा० भगत : कारखाना अधिनियम के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार के अधिकांश औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं और कारखाना अधिनियम में छुट्टी सम्बन्धी सुविधाओं और अन्य बातों की व्यवस्था है । यदि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत शर्तों की वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत शर्तों से तुलना की जाये तो पता लगेगा कि इन दो मामलों में अर्थात् अर्जित अवकाश और इसके इकट्ठा होने के बारे में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत शर्तें इसकी अपेक्षा अधिक उदार हैं । इसी कारण से मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसका कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

श्री दाजी : औचित्य प्रश्न के हेतु । मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था लेकिन इसकी उपेक्षा की गई है । मैं यह जानना चाहता था कि मौजूदा शर्तें क्या हैं और वेतन आयोग ने क्या सिफारिश की थी ताकि हम निर्णय कर सकें । मैं भाषण सुनना नहीं चाहता, मैं अर्जि अवकाश के दिनों की संख्या जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ये बातें कागजात में ही दी गई हैं और इसलिये ये बातें नहीं पूछी जानी चाहियें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि यह मामला बड़ा स्पष्ट है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में यह क्यों कहा कि यह संयुक्त परिषद् को, भविष्य में जब भी संयुक्त परिषद् बनेगी, निर्देशित किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : क्योंकि सरकार को स्थिति का स्पष्ट पता है इसलिये उसने इन सब बातों पर विचार करके निर्णय किया । लेकिन, जैसा उन्होंने कहा, कुछ संगठन अब भी आन्दोलन आदि कर सकते हैं, अतः यह उपबन्ध किया गया कि जब कभी संयुक्त परिषद् बनेगी, इस मामले का निबटारा किया जायेगा ।

Dues from Pakistan

+

*505. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda:
Shri Vidya Charan Shukla :
Shri Bishanchander Seth:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the steps being taken by the Central Government to recover the amounts payable by the Pakistan Government since Partition to date; and

(b) the efforts already made to recover these amounts ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat):(a) and (b). Both the countries are discussing this question for quite a long time. So far there has not been any such conclusion on which both of them agree.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know the total amount due from Pakistan till now and what is the reply of Pakistan for the repayment and what are the difficulties in settling the matter?

Shri B. R. Bhagat : This has been told several times in this House. We had put our demand before Pakistan that so much amount was due to us but Pakistan did not agree to that.

Shri M. L. Dwivedi : I wanted to know the total amount due from Pakistan.

Mr. Speaker : When this question was raised earlier also in this House, the Hon. Members should have seen the previous reply also.

Shri M. L. Dwivedi : Whether some efforts were made to recover this sum during the last five or six months and whether any effort is proposed to take in the near future; and if so, what?

Shri B. R. Bhagat : The question of India making any effort does not arise. Last time talks were held and our finance Minister placed a statement in the House, wherein it was stated that the Pakistan Government would invite the Finance Minister of the Govt. of India. So far no initation is received. There is no indication of talks from the Pakistan side. So, the question of our forth-coming for talks does not arise.

श्रीमती सावित्री निगम : जैसा आपको पता है, भारत सरकार और भारतीय जनता ही कष्ट में रही है, अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस वर्तमान मामले में पाकिस्तान सरकार भारत सरकार के विचारों से सहमत नहीं है और क्या निकट भविष्य में कोई नया पत्र उनको भेजा जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न का पिछला भाग एक सुझाव है। ऐसे मामलों में, जहां इतने समय से मतभेद और कठिनाइयां हैं। यदि ये मामले बातचीत द्वारा सुलझाये जाने हैं तो इसमें सब्र तो करना ही पड़ेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Finance Minister stated that Pakistan is creating obstructions in this respect, I want to know the estimated amount of the Govt. of India and amount claimed by Pakistan.

Shri B. R. Bhagat : These figures were already given.

Mr. Speaker : If the figures are available, they may be given as previously also one of the Hon. Members required this information.

Shri B. R. Bhagat : These figures are not with me at present.

श्री रामनाथन चेट्टियार : पाकिस्तान पर कुल कितनी राशि बकाया है, पाकिस्तान से कितना ब्याज लेना है और पाकिस्तान और भारत के वित्त मंत्रियों की पिछली बार कब बैठक हुई थी और किस मामले पर विचार किया गया था कि ?

श्री ब० रा० भगत : जइस मामले पर 1960 के आरम्भ में बातचीत हुई थी और तब वित्त मंत्री ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था जब कि यह कहा था कि इस मामले पर बातचीत के लिये हमें पाकिस्तान से निमंत्रण मिलेगा। तब से यह निमंत्रण नहीं मिला है। तब पाकिस्तान ने हमारे आंकड़ों के विरुद्ध विभाजन की तिथि को आय-कर की बकाया के रूप में 900 करोड़ के गलत आंकड़े रखे थे।

Shri Yashpal Singh : How long this discussion will take place and if it is not settled by discussion, what steps the Government propose to take?

Shri B. R. Bhagat : This cannot be said.

Mr. Speaker : This will go for ever.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the total reserve of gold, silver and jewellery with them in addition to cash and the amount they have returned so far out of it?

Shri B. R. Bhagat : They have not returned anything. There is no question of gold and silver ornaments. Certain reserves are bank estates, gold can be there but ornaments are not there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the amount of gold they returned so far?

Shri B. R. Bhagat : I require notice for that.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा देय रकम का अनुमान लगाते समय विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा तंग किये जाने पर पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई बहुमूल्य सम्पत्ति को भी ध्यान में रखा है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे कुल दावे विभिन्न मदों में हैं ; केवल अचल सम्पत्ति के बारे में ही नहीं बल्कि चल सम्पत्ति, पेन्शन और अन्य चीजें। इस सबका योग किया गया है।

श्री शिंकरे : क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा देय रकम के भुगतान के प्रश्न को भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को मधुर बनाने के सामान्य प्रश्न से सम्बन्धित किया है और फिर वह अपनी मांग पर जोर नहीं दे रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : किसने जोर नहीं दिया होगा ?

श्री शिंकरे : मैं एक सुझाव दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker Sir, he was replying as to the amount of our gold with the Reserve Bank ?

Mr. Speaker : He said, the information was not available with him at present.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What is the amount due from Pakistan on account of river water and electricity ?

Shri B. R. Bhagat : The issue regarding water has already been settled between both the countries. So far as electricity. . . .

Mr. Speaker : If it was settled, whether some amount was received or not ?

Shri B. R. Bhagat : I require notice for that.

श्री हेम बरुआ : राजनीतिक रूप से पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया बड़ा उदार रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस राजनीतिक रवैये का वित्तीय मामलों पर अर्थात् पाकिस्तान से अपनी रकम वापस लेने पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य के आक्षेप को नहीं मानता। न तो हमने कभी घुटने टेके हैं और न अनुचित रूप से आक्रान्ता रहे हैं। उनके साथ हमने वास्तविकता बरती है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : भारत में गैर-सरकारी और सरकारी पाकिस्तानी सम्पत्ति का क्या मूल्य है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे अनुसार हमारे आंकड़े उन आंकड़ों से बहुत कम हैं जिसका वे दावा करते हैं, अर्थात् 900 करोड़ रुपये। हमने सही आंकड़े नहीं बताये हैं क्योंकि हमें पता है कि एक बार वे आकड़े बताये जाने पर वे उसी तरह आरम्भ कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ये कम कैसे हो सकते हैं जब कि हमारे फालतू निष्क्रान्त सम्पत्ति के दावे 2000 करोड़ रुपये के हैं और उनका केवल 900 करोड़ का ही दावा है ? जहां तक निष्क्रान्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, 2000 करोड़ रुपये के दावे फालतू ही तो हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : धन का यह एक मान्य सिद्धान्त है कि नाम की जमा में से बाकी निकाली जाती है और जमा की नाममें से । क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि पाकिस्तान से हम काफी धन लेना है, फिर भी अभी हम इसको सिन्धु जल सन्धि के तौर पर धन दे रहे हैं और ऐसा क्यों है कि हमको जो रुपया सिन्धु जल संधि के फलस्वरूप देना है उसको हिसाब में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री ब० रा० भगत : सिन्धु जल संधि थक से हुई है। इसको इसका एक भाग नहीं माना गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है कि हम उनको देय रकम अपने दावे का समायोजन किये बिना ही देते जा रहे हैं । प्रश्नय है । अगला प्रश्न ।

Delhi Master Plan

\+

*506. {**Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) the further progress made in the finalisation of the Master Plan for Delhi;

(b) the outcome of the talks held with the two neighbouring States; and

(c) when this Plan would be ready for implementation?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Master Plan for Delhi has already been finalised and it was implemented on the 1st September 1962.

(b) The Master Plan for Delhi, so far as it relates with ring towns and National capital region, was prepared after consulting the representatives of Punjab and Uttar Pradesh.

(c) This Master Plan is already being implemented. It is expected this scheme will be completed, stagewise, in 20 years.

Shri Prakash Vir Shastri: The State Governments of U.P. and Punjab raised certain objections regarding their parts falling into the Plan. May I know, whether these objections have been settled or not?

Dr. Sushila Nayar : There was no special objection. So far this question is not there. You would recall that it was proposed to constitute some statutory body for the development of the whole area. That statutory body was not constituted but there is a Committee or a Board and whatever development work is being done, that is being done with the mutual consultation and agreement.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was different. Whether the objections raised by U.P. and Punjab regarding their areas falling into the Master Plan, have been disposed of?

Dr. Sushila Nayar : There was no question of taking any area. The discussion was held regarding the preparation and implementation of the development scheme and as I have stated the work has been done unanimously.

Shri Prakash Vir Shastri: Whether there have been any such incidents in connection with the Master Plan that the New Delhi Municipal Committee raised certain objections and if so, in what connection ?

Dr. Sushila Nayar : They raised objections about the construction of some such buildings which were not be fitted in the Master Plan. It has been ensured to them that in future Master Plan would be followed.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was very clear. What are the buildings, whether it is the Prime Minister's new house on which objections were raised ?

Dr. Sushila Nayar : There are certain Government buildings upon which objections were raised. Their list is not available with me as it was the question concerning Master Plan and not only Delhi.

Shri Yashpal Singh : Whether it has come to the notice of the Goverr-ment that the Development Authority raised serious objections to the changes made in the Prime Minister's House; if so, theaction taken by the Government ?

Dr. Sushila Nayar : I have no knowledge of it.

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वृहत् योजना की समुचित क्रियान्विति के हित में सरकार सभी प्रभावित क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रशासनिक यूनिट बनायेगी ?

Dr. Sushila Nayar : There is no such proposal.

श्री कपूर सिंह : वे योजना को समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं करना चाहते।

श्री शिव चरण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या महानगरी क्षेत्र का विकास वृहत्-योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो सरकार इसको सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठायेगी क्योंकि इससे राजधानी के समुचित विकास में बाधा पहुंचती है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक मुझे पता है, प्रगति संतोषजनक है। कुछ मामलों में कुछ ढील रही है और इसको पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Y. S. Chaudhary : Whether besides the geographical position of Delhi in the Master Plan, which is before the Government, some parts of Uttar Pradesh and Punjab are also included therein ?

Dr. Sushila Nayar: A scheme of Master Plan is already being implement-ed. That has been printed and it has now become a legal document. It was also proposed to develop in a planned way, the Delhi Capital region including some parts of Punjab and Uttar Pradesh. For this greater Master Plan, no statutory body has so far been set up but the plan has been prepared after consul-tation with each other and if there were statutory body also, the imlementation of the plan was to be done by respective State Governments.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक बड़ी वृहत् योजना का सम्बन्ध है, जिसका अभी मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में, जो इस वृहत् योजना में आता है, किसानों से भूमि 3 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से खरीदी जा रही है और निम्न आय वर्ग आवास

परियोजनाओं के लिये 12 से 14 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेची जा रही है और यदि हां, तो क्या वृहत् योजना में यह व्यवस्था भी है ?

डा० सुशीला नायर : मुझे वास्तविक ब्यौरे का पता नहीं है लेकिन यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो इससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि हर जगह विकास-शुल्क के कारण ऐसा हुआ है ।

श्री कपूर सिंह : सरकार के लिये यह शर्म की बात है ।

डा० सुशीला नायर : भूमि के विकास पर भी लागत आती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि औद्योगिक क्षेत्रों और हरी पट्टी के सीमांकन के बारे में कितनी बार परिवर्तन किये गये हैं और औद्योगिक क्षेत्रों और हरी पट्टी के बारे में योजना को सदा के लिये अन्तिम रूप कब दिया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है । इनको धीरे धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इसमें परिवर्तन कितनी बार किये गये ?

डा० सुशीला नायर : वृहत् योजना बनाये जाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुए ।

Shri Rameshwaranand : I want to know the area of the parts of Punjab and Uttar Pradesh which are being included in this Master Plan and the number of villages that will have its effect ?

Dr. Sushila Nayar : There are three-fourth districts of Punjab which will be affected such as some parts of Faridabad, Bahadurgarh, Rohtak and Gurgaon and Ghaziabad and Loni in Uttar Pradesh.

Shri Rameshwaranand : What about the border ?

Mr. Speaker : Border will be fixed later on.

राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा

\+

*507. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भीं० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा संगठन बनाने से सम्बन्धित एक ऐसी योजना पर योजना आयोग विचार कर रहा है जो देश में वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और अपमिश्रण को रोकने के लिये प्रबल उद्योग करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). ऐच्छिक संगठनों के एक समूह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा संगठन का गठन किया। इसे योजना आयोग द्वारा सहायता दी जाती है। स्कीम की मुख्य बातों तथा अपेक्षित सूचना के विषय में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा जिसका नाम पहले गैर-सरकारी मूल्य सेवा था, सन् 1963 में ऐच्छिक संगठनों के एक समूह द्वारा मार्गदर्शी आधार पर शुरू की गई थी। फरवरी, 1964 में, योजना आयोग, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और भाग लेने वाले ऐच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के एक कार्यकारी दल ने एक विस्तृत स्कीम बनाई ।

2. इस सेवा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। इसके मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता समितियां गठित करना।

(2) उपभोक्ता सहकारों को प्रोत्साहित करना ;

(3) उपभोक्ता समस्याओं का अनुसन्धान और बाजार सूचना, उपभोग के स्वरूप, अपसंचय, कृत्रिम अभाव, परिवहन समस्याएं, लाइसेंस देने की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना ; और

(4) मिलावट को रोकने, गुण नियंत्रण के प्रयोग करने और तौल व माप इत्यादि में इस्तेमाल की जाने वाली बुराइयों को दूर करने में सहायता देने ।

3. फिलहाल यह सेवा मुख्यतया दिल्ली में कार्य कर रही है । इसने उपभोक्ता के हितों से सम्बन्धित कई मामलों जैसे उपभोक्ता सहकारों के कार्य, खाने की चीजों में मिलावट, सब्जियों में मुनाफाखोरी या चोरबाजारी, चीनी, साइकल के टायर-ट्यब, तिजारती वाहन, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल आइल आदि, पर अलग अलग अध्ययन किया है ।

4. राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा की दिल्ली की यूनिट दिल्ली मार्गदर्शी परियोजना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य एककों की स्थापना में भी सहायता देगी।

Shri Yashpal Singh : It is not clear in the note that how much is the contribution of each State in it and what incentive has been given to them.

Shri B. R. Bhagat : So far it has been functioning in Delhi only. We intend to introduce it in other States also. The help from the State Governments will be sought only after introducing it there.

Shri Yashpal Singh : How much amount is being incurred on it by the Planning Commission? What is the target fixed for it by the Planning Commission?

श्री ब० रा० भगत : इस कार्य के लिये वर्ष 1962-63 में 2,500 रुपये और वर्ष 1963-64 में 16,500 रुपये दिये गये थे । तथा वर्ष 1964-65 के लिये 28,300 रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से प्रतीत होता है कि यद्यपि सहकारी उपभोक्ता सेवा स्वयंसेवी संगठनों के एक ग्रुप ने चालू की थी किन्तु योजना केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की सहायता से योजना आयोग ने तैयार की थी अतः मेरे विचार से यह अर्धशासकीय सेवा है । क्या इस सेवा को चालू करने का उद्देश्य केवल मामलों का अध्ययन करने तक ही सीमित है अथवा सरकार इसकी उपपत्तियों के आधार पर कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय ये मार्गदर्शी अध्ययन आरम्भ किये गये हैं और इनकी रिपोर्ट से सम्बन्धित मंत्रालय अवश्य लाभ उठायेंगे। हम उपभोक्ता संस्थाओं का विकास करना चाहते हैं ताकि वे भी अच्छी संस्था बन जाने पर अपने हितों की रक्षा कर सकें। किन्तु इसमें अभी समय लगेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रधान मंत्री की सहमति से दिल्ली में मूल्य विरोधी आन्दोलन आरम्भ किया गया है। मैं तथा कुछ अन्य संसद् सदस्य भी इसके सदस्य हैं। इस आन्दोलन का उपभोक्ता परिषद् से क्या सम्बन्ध है और क्या सरकार आन्दोलन को सहायता दे रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक पृथक आन्दोलन होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका एक उद्देश्य अपमिश्रण को रोकने के लिये सहायता देना है। यदि उपभोक्ता अपमिश्रण, तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये आन्दोलन करें तो क्या सरकार उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण देगी अथवा सत्याग्रह करने के आरोप में कारावास में डाल देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रत्येक मामले की स्थिति पर निर्भर करता है । इसका उत्तर इस समय कैसे दिया जा सकता है ?

Shri Tan Singh : The objects of the organisation are very laudable. May I know whether Government are advising or advised the State Governments to form similar organisation. If it has already adivised them what is their reaction in this regard?

Shri B. R. Bhagat : As I said this movement has been started in Delhi only for the time being.

श्रीमती रेणुका राय : वे गैर-सरकारी संस्थायें कौन सी हैं जिनके साथ योजना आयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा के लिये कार्य कर रहा है; क्या उसमें सरकार द्वारा प्रायोजित वे संस्थायें भी शामिल हैं जिनका देश में कोई अस्तित्व नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : ये सारी बातें विवरण में दी गई हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यह कहा गया है कि परिषद् के कार्यों में अपमिश्रण को रोकने, किस्म नियंत्रण करने तथा नाप-तोल सम्बन्धी कदाचार को रोकने में सहायता देना भी

शामिल है । क्या परिषद् को तकनीकी सहायता दी जायेगी और क्या सरकार विवरण में दिये गये कार्यों को पूरा करने के लिये इन संस्थाओं को तकनीकी सहायता देगी ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तक अनेक मार्गदर्शी परियोजनायें चालू की गई हैं जिन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा सहायता दी जा रही है, किन्तु मुख्य रूप से सरकार का विचार उपभोक्ता आन्दोलन को आगे बढ़ाने का है ।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण में नाम नहीं दिये गये हैं ;

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के कथन पर मुझे विश्वास करना पड़ता है ।

श्री कपूर सिंह : हम विश्वास नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के कथन पर मैं विश्वास करता हूं किन्तु मंत्री महोदय नहीं करते हैं । मुझे दोनों तरफ सन्तुलन बनाये रखना पड़ता है ।

समवाय विधि विभाग

\+

*508. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समवायों से शुल्क के रूप में ली गई धनराशि समवाय विधि विभाग पर किये गये व्यय से कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो यह अधिक धनराशि किस प्रकार तथा किस प्रयोजन के लिये व्यय की जाती है ; और

(ग) क्या समवायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क में परिवर्तन करने का विचार है जिससे कि आय तथा व्यय में अधिक अन्तर न रहे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां । 1961–62 से ।

(ख) यह अतिरिक्त धनराशि भारत सरकार के सामान्य राजस्व में जमा हो जाती है ।

(ग) फिलहाल शुल्क के ढांचे में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Has the Estimates Committee made its recommendation on it or not? If it has made it recommendation, how far it has been implemented?

Shri B. R. Bhagat : I do not think that Estimates Committee has passed any particular remark on it?

Mr. Speaker : The hon. Member should know whether its recommendations have been implemented or not.

Shri Yashpal Singh : May I know how long it will take to complete the programme of rationalization?

Shri B. R. Bhagat : So far, there is no programme of rationalization. We have no idia to reduce the fee fixed for the present.

आयोजन कार्य के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण

*509. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालिजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को आयोजन कार्य में तथा विकास कार्य-क्रमों के निष्पादन में प्रशिक्षित करने के लिए योजना आयोग ने एक नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ? और इसके कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना ह ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय अध्यापक, योजना गोष्ठियों के माध्यम से स्थानीय स्कीमों के नियोजन एवं कार्यान्वियन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लें ।

(ख) योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सलाह लेकर, स्कीम का ब्यौरा तैयापा कर रहा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बात देखते हुए कि इस समय समस्त विश्वविद्यालयों में उनकी क्षमता से अधिक संख्या में विद्यार्थी हैं, क्या विश्वविद्यालयों पर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इस कार्य का भार डालना उचित है जिससे उन्हें अपना मुख्य कार्य, अर्थात् विषय अध्यापन उचित रूप से करने में बाधा पड़ सकती है ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया गया था ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या इस प्रशिक्षण योजना सम्बन्धी वित्तीय उपलक्षणों का पता लगा लिया गया है और क्या केन्द्रीय सरकार योजना का पूरा व्यय वहन करेगी अथवा राज्य सरकारें आदि भी इस में भागीदार होंगे ?

श्री ब० रा० भगत : अभी इस पर विचार नहीं किया गया है । इन सब बातों पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

Shri Tulshidas Jadhav : It has been decided to train the college teachers but the train scheme will be prepared by District Councils and the State Governments. How these teachers will be concerned with them.

Shri B. R. Bhagat : At present Planning forums are functioning very efficiently in colleges and universities throughout the country. Now University Grants Commission and Planning Commission are considering how these forums can be helpful in the execution of plan.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अभी तक कितनी योजना गोष्ठियां बनाई गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वर्ष 1961 तक 718 योजना गोष्ठियां बनाई गई थीं । इसके पश्चात् उसका विकेन्द्रीयकरण किया गया और योजना गोष्ठियां का रजिस्ट्रेशन विश्व-विद्यालयों द्वारा किया गया ।

श्री स० च० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इस समय विश्वविद्यालय तथा कालेज गोष्ठियों में केवल विद्यार्थी ही लिये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं । गोष्ठियों में अध्यापक भी हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the standard of education being imparted to girls under this scheme proposed to be raised ?

Shri B. R. Bhagat : This is not a separate question of boys and girls; it is a question of teachers.

Shri Onkar Lal Berwa : My question is, will the free education be imparted in higher class also ?

Shri B. R. Bhagat : This question relates to the assistance sought from the Planning forum.

वाराणसी में सीमा शुल्क–अधिकारियों द्वारा छापा

\+

*510. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री गुलशन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1964 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने वाराणसी के एक उपनगर मडुआडीह के डीज़ल इंजन कारखाने में कुछ फोरमैनों के घरों पर छापा मारा था ;

(ख) क्या डीजल इंजन कारखाने में सहयोग देने वाली अमरीकन लोकोमोटिव मेनुफैक्चरिंग अन्डरटेकिंग से आये, इंजनों तथा अन्य मशीनों के बक्सों में कई हजार डालरों के करन्सी नोट, ट्रांजिस्टर्स, तथा टेप-रिकार्डर पाये गये थे; और

(ग) क्या इन घरों में कई पत्र भी मिले थे जिनसे पता लगा कि यह तस्कर व्यापार कई वर्षों से चल रहा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ; सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 14 अप्रैल, 1964 को एक फोरमैन के घर की तलासी ली थी ।

(ख) अमेरिका से मंगाये गये कुछ रेल इंजनों की उन जगहों में, जहां ड्राइवर बैठते हैं, छिपा कर रखे गये बक्सों के अन्दर कुछ ट्रांजिस्टर, टैप-रिकार्डर और अन्य उपभोक्ता-वस्तुएं मिलीं थीं। उनमें कोई करेंसी नोट नहीं थे।

(ग) 14 अप्रैल, 1964 को ली गयी तलाशी में फोरमैन के घर से चिट्ठियां बरामद नहीं नहीं हुई । अन्य व्यक्तियों के पास से पकड़े गये कागजात के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ समय से कुछ चीज़ों को चोरी-छिपे लाया जाता रहा है और इस सारे मामले की पड़ताल की जा रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस अवैधरूप से होने वाले व्यापार में पाये जाने वाले माल के कुल मूल्य का अनुमान लगाया है ?

श्री ब० रा० भगत : अब तक 50,000 रूपये का अनुमान लगाया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हम इस से होने वाले अनुभव से भविष्य के लिये सतर्क हो गये हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : High officials are deputed to procure goods from foreign countries but in this case a foreman was entrusted with the work. May I know whether there are allegations against the foreman also ?

Shri B. R. Bhagat : No body can be arrested without any charge. The investigation is still going on.

Shri Gulshan : Has the General Manager been suspended in this case?

Shri B. R. Bhagat : There is no such thing.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या फोरमैन के अतिरिक्त इस मामले में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के कुछ अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, और यदि हां, तो वे कौन हैं ? जिन लोगों से दस्तावेज पकड़े गये हैं उन के नाम क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : बहुत सी तलाशियां ली गई हैं । इस मामले की जांच की जा रही है । यदि आप व्यक्तियों के नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं ।

श्री दाजी : क्या इस मामले में कोई विदेशी भी शामिल हैं और यदि हां, तो वह विदेशी कौन हैं ?

श्री ब० रा० भगत : दो विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री दाजी : वे कौन हैं और किस देश के निवासी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि वे किस देश के नागरिक हैं ?

श्री ब० रा० भगत : उन में से एक का नाम श्री एस० सी० लाज है जो भारत में मेसर्स एलकोव का मुख्य प्रतिनिधि है और दूसरा व्यक्ति अमरीकी सर्विस इंजीनियर श्री स्चूटर है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब मंत्री महोदय ने विदेशियों के नाम बता दिये हैं तो कारखाने के उच्च अधिकारियों के नाम बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : इन दो विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी तलाशियां ली गई हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं ।

Shri Rameshwaranand : May I know whether the house of the General Manager was searched who has been associating with it, and if not, whether the foreman could indulge in such activities?

Shri B. R. Bhagat : G. M. D. L. W. Varanasi is among those whose houses were searched.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उपकरण सप्लाई करने वालों ने लोकोमोटिव वर्कशाप के अधिकारियों को अपने प्रभाव में रखने के लिये यह अनुचित कार्य किया था ; और यदि हां, तो क्या इस षड़यंत्र का भंडाफोड़ करने के लिये पूरी तरह जांच की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इन सब मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है ।

Shri Gulshan : May I know whether small workers have a hand in the import of components of diesel engines?

Shri B. R. Bhagat : I have told that foreman, G.M. and others are involved in the case.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the name of the foreman arrested and has he confessed the names of some higher officers involved in this case?

Mr. Speaker : The matter is still under investigation and all facts cannot be disclosed here.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the name of the person on whose accord it has been done?

Mr. Speaker : It cannot be disclosed here.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : At least disclose the name of the foreman.

Shri B. R. Bhagat : First of all the house of Shri R. C. Tripathi foreman was searched.

श्री जोकोम आल्वा : इस मामले में जो एक बड़ी अमरीकी फर्म शामिल है क्या इसके बारेमें अमरीकी दूतावास को सूचित किया गया है या अमरीकी दूतावास ने इस मामले के बाद कोई पूछ-ताछ की है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): इन मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। यह जांच अधिकारी का काम है कि इस में क्या कदम उठाये जाये। जांच पूरी होने तक किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है । मुझ यह ज्ञात नहीं है कि मामले की जांच किस तरीके से की जा रही है किन्तु यह तथ्य है कि जांच उचित ढंग से की जा रही है । इस समय किसी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति जांच पूरी होने पर निर्दोष साबित हो ?

श्री विश्वनाथ राय : अभी दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए क्या उन भारतीय तथा विदेशी व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनका नाम अभी बताया गया है, कोई और व्यक्ति भी इस अवैध व्यापार में शामिल है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस बात का पता जांच पूरी हो जाने पर ही लग सकता है ।

स्टेट बैंक्स

*511. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में स्टेट बैंकों को एक छोटे आदमी का अच्छा मित्र बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ख) क्या अभी तक की गई कार्यवाही का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनसे कि स्टेट बैंक के कार्यकरण का अन्य अनुसूचित बैंकों के कार्यकरण से विभेद किया जा सकता है ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारतीय राज्य बैंक (स्टेट बैंक) और उसके सहायक बैंक अपने सभी असामियों को वे सुविधायें और सेवाएं उपलब्ध करते हैं जो सामान्यत: दूसरे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाती हैं । इसके अलावा राज्य बैंक और उसके सहायक बैंक प्रेषण सम्बन्धी निश्शुल्क या सरल सुविधायें उपलब्ध करते हैं, करेंसी नोटों और छोटे सिक्कों का इंतजाम करते हैं और जिन स्थानों में रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं होते उन में सरकारी खजाने का काम भी करते हैं । ये बैंक शीर्ष (अपेक्स) सहकारी और भूमि बन्धक (लैण्ड मार्गेज़) बैंकों सहित छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों और सहकारी संस्थाओं को भी सहायता करते हैं।

(ख) जी, हां । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा-विस्तार कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों की नियमित रूप से समय-समय पर जांच की जाती है ।

(ग) खजाने के रूप में काम करने के अलावा, राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों से आशा की जाती है कि वे उन विकास कार्यक्रमों के लिए भी धन की व्यवस्था करें जो व्यापक राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक हों, और आवश्यकता पड़ने पर घाटे या खर्च को उस एकीकरण और विकास निधि से पूरा करें जो खास तौर पर से इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्टेट बैंक प्रबन्धाधिकारियों को, राष्ट्रीयकरण के कारण उत्पन्न, कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के बारे में कोई निदेश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो वे उद्देश्य क्या हैं और उन्हें किस प्रकार पूरा किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस मामले में कोई विशेष निदेश जारी नहीं किये गये हैं। सरकारी क्षेत्र का बैंक होने के नाते स्टेट बैंक को लोक-हित तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति को ध्यान में रखना होता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि स्टेट बैंक को कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं बताए गए हैं तो, मेरी समझ में नहीं आता कि उसे कैसे पूरा किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : स्टेट बैंक को सामाजिक उद्देश्यों के बारे में कोई निदेश नहीं दिया गया है ?

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government has formulated any definite programme to remove the difficulties?

Shri B. R. Bhagat : There is a programme and it is being implemented.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि अन्य सब अनुसूचित बैंक सब विकास कार्य करने के लिये तैयार हैं और वे बिल्कुल स्टेट बैंक की तरह ही छोटे पैमाने के उद्योगो की सहायता करने के लिये भी तैयार हैं। यदि हां, तो क्या किसी अनुसूचित बैंक ने ऐसा करने से इन्कार किया है और यह कैसे है कि स्टेट बैंक अनसूचित बैंकों के ऊपर ही ऊपर सब कुछ कर रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण तथा अन्य सुविधायें देने के बारेमें स्टेट बैंक की गतिविधियां अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों को मिला कर भी कहीं अधिक हैं।

श्री दाजी : क्या स्टेट बैंक द्वारा छोटे उद्योगों को कोई विशेष सुविधा दी जाती है जोकि किसी अन्य बैंक द्वारा नहीं दी जाती है ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने यही कहा है । छोटे उद्योगों के विरुद्ध 14 करोड़ रुपये बकाया हैं जोकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली राशि की तुलना में बहुत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या स्टेट बैंक द्वारा कोई विशेष सुविधा दी जाती है जो अन्य बैंकों द्वारा नहीं दी जाती ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह कहना बड़ा मुश्किल है कि अन्य बैंक क्या सुविधा देते हैं अथवा नहीं देते हैं । जहां तक स्टेट बैंक का सम्बन्ध है, उसको छोटे उद्योगों की सहायता करने का भार सौंपा गया है । यदि छोटे उद्योगों को उधार दी गई राशि को दृष्टि में रखा जाये तो वह बहुत अधिक है । स्टेट बैंक को इससे भी अधिक सुविधा देने के लिए कहा गया है । वास्तव में, इस बारे में उसे कोई निदेश नहीं दिये गये हैं । मुझे याद है कि मैंने पहले तथा इस बार भी अनौपचारिक रूप से निदेशक मण्डल से बातचीत की थी । मैंने कुछ समय पहले निदेशक मण्डल की बैठक में कहा था कि सरकार यह महसूस करती है कि छोटे उद्योगों का वित्त सम्बन्धी सुविधायें देने के मामले में अतिरिक्त काम की काफी गुंजायश है और केवल शाखा खोलने से ही काम नहीं चलेगा अपितु सुविधाएं देने के प्रश्न को भी ध्यान में रखना होगा । हम यह भी प्रयोग करने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक अथवा इसका कोई सहायक बैंक गांवों अथवा गांवों के समूहों में जाये और जैसा कि पश्चिमी देशों में किया जाता है गांवों में लोगों को किसी भी रूप में आर्थिक सहायता दे और उनसे सीधा सम्बन्ध बनाये रखे । इस मामले पर विचार किया जा रहा है । इस मामले की ओर ध्यान दिलाने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । इस तथ्य की जांच किये बिना, मैं यह नहीं कह सकता कि स्टेट बैंक को कोई विशेष निदेश दिये गये हैं अथवा नहीं । परन्तु मैं ने बैंक को सुविधाओं को बढ़ाने

की आवश्यकता के बारे में आगाह कर दिया है। हमें उसको सेवा बैंक बनाना है जो कि इस समय एक काफी कठिन कार्य लगता है।

श्री मुरारका : क्या यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों अथवा कम राशि उधार लेने वाले व्यक्तियों से ब्याज की कम दर लेता है अथवा कम जमानत पर रुपया उधार देता है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं ब्याज की कम दर के बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता, परन्तु मेरी राय में पैसे की सुरक्षा का प्रश्न व्यक्तियों द्वारा दी गई जमानत के प्रश्न से अलग किया जाना चाहिये। हम इस बात पर जोर देते हैं और हमें उसकी जानकारी है तो उस व्यक्ति से कोई जमानत नहीं मांगी जाती। भारत में बैंकिंग की समूची समस्या अभी वैसी की वैसी ही है। अब हम उस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहे हैं जिसकी साख पर हमें विश्वास है। वर्तमान मापदण्डों के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी साख पर हमें विश्वास न हो। उसके द्वारा दिये गये धन अथवा स्वयं उसके द्वारा दी गई जमानत के आधार पर ही हम उधार दे सकते हैं, जैसा कि दूसरे देशों में किया जा रहा है। अभी उस सीमा तक पहुंचने में काफी समय लगेगा परन्तु हमें कोशिश करनी चाहिये और स्टेट बैंक को इस बारे में आगाह कर दिया गया है।

श्री बासप्पा : क्या स्टेट बैंक ने छोटे उद्योगपतियों को उधार देने के बारे में एक गारंटी सिस्टम लागू किया है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और वह कहां तक सफल सिद्ध हुआ है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्टेट बैंक से यह जानकारी प्राप्त किये बिना मैं इसका विस्तार में उत्तर नहीं दे सकता हूं। हमने कुछ समय पहले यह प्रयोग किया गया था कि छोटे उद्योगों को सामान्य गारंटी के बिना पैसा उधार दिया जाये। एक स्थान पर जहां 1000 लेखे खोले गये थे, लगभग 5 मामलों में असफलता हुई। अतः, असफलताएं अधिक नहीं थीं। परन्तु सही जानकारी प्राप्त किये बिना मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

श्री अ० प्र० जैन : क्या भारत का स्टेट बैंक सामान्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कृषि उपज के परिष्करण तथा मार्केटिंग व्यवसाय को अधिक सुविधाएं प्रदान करता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों में प्रबन्धक जोखिम उठा सकता है। क्या माननीय वित्त मंत्री को पता है कि स्टेट बैंक में प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारीगण, जो कि सरकारी कर्मचारी समझे जाते हैं, उतनी जोखिम उठाने से भी डरते हैं जितनी कि अनुसूचित बैंक उठा सकते हैं ? यदि यह सच है तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं कि स्टेट बैंक के कर्मचारी उस सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने में कोई ढील न दिखाएं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य के अनुमानों की पुष्टि अथवा खण्डन करने की स्थिति में नहीं हूं । ऐसा होता है कि हम जिन सरकारी उपक्रमों को चालू करते हैं उनके कर्मचारी दोनों क्षेत्रों--सरकारी तथा गैर-सरकारी--के लाभ चाहते हैं । यह हमारी मुख्य कठिनाई है । हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लोग गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों की तरह अपना काम करें । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्टेट बैंक की बहुत सी शाखाओं में पुरानी पद्धति अभी जारी है, परन्तु मेरी राय में नये भरती किये जाने वाले नवयुवकों के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है । अभी हाल में मैं ने हैदराबाद में स्टेट बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये खोले गये स्कूल का दौरा किया था । वहां 40 नौजवान थे और उनसे बातें करने में बहुत मजा आया क्योंकि उन्हें काफी अनुभव हो गया था । परन्तु उस सर्वोत्तम स्तर तक , जो कि माननीय सदस्य की दृष्टि में है, पहुंचने में अभी बहुत देर है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Closure of Vanaspati Mills

S.N.Q. No.8. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** / **Shri D. C. Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that six leading vanaspati mills in North India have closed down because of the restrictions imposed by the Government of Gujarat on the export of groundnut;

(b) whether it is also a fact that the prices of *til* and mustard oils have gone very high as a result of the restrictions imposed by the Government of Gujarat which will also effect the price of pure ghee in future; and

(c) if so, the action taken by Government to save the said mills from closure?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) उत्तर भारत की चार वनस्पति फैक्ट्रियों ने, दो ने 13/14 सितम्बर और दो ने 20/21 सितम्बर से तेल की कमी के कारण अस्थायी रूप से उत्पादन बन्द किया है ।

(ख) हाल ही के महीनों में दिल्ली में तिल के तेल का भाव उचित रूप से स्थिर रहा है । तथापि, चालू वर्ष में सरसों की कम फसल होने के कारण सरसों की कठिन सप्लाई स्थिति से सरसों के तेल के भाव में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ग) मंगफली के तेल और खाने के अन्य तेलों का निर्यात बन्द कर दिया गया है । वनस्पति उद्योग को तेल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे इसके लिए पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से 75,000 मीट्रिक टन सोयाबीन का तेल आयात करने के लिए बातचीत चल रही है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it not a fact that due to export restrictions imposed by the Government, other things have also been affected and in Delhi itself the prices of ghee have gone up ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैं ने उत्तर में बताया, कठिन संभरण स्थिति के ।रण मूंगफली के तेल का निर्यात बन्द कर दिया गया । यह अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि 15 अक्तूबर से नई फसल आनी शुरू हो जायेगी और तब स्थिति में सुधार होना निश्चित है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके फलस्वरूप, वास्तव में देशी घी की कीमतों में वृद्धि हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं ; कोई अधिक नहीं । मेरी जानकारी के अनुसार, यह बराबर 7.50 रुपये प्रति किलो ही रही है ।

Shri Bade : Is it not a fact that Government has exported 22,000 tons of oil to Burma without taking into consideration the production of oil in this country which is the cause of this deficit.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस वर्ष कुछ तेल का निर्यात किया गया है और यदि ऐसा न किया गया होता तो कुछ सीमा तक स्थिति संतोषजनक बनी रहती । परन्तु विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से निर्यात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या यह सच है कि इस वर्ष तेल के निर्यात के कारण मूंगफली के तेल की कीमतें बढ़ी हैं और क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि वह भविष्य में कृषकों को मिलने वाली कीमतों में तथा उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमतों में अधिक अन्तर नहीं होने देगी और कृषकों को उचित दाम दिये जायेंगे और उपभोक्ताओं को भी सस्ते दरों पर इसे उपलब्ध किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आजकल बाजार भाव पत्रों में छापे जाते हैं और उत्पादकों को उचित दाम प्राप्त करने के बारे में ज्ञान होता जा रहा है । इसके अतिरिक्त, सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि उत्पादकों को उपभोक्ता मूल्य को ध्यान में रख कर उचित दाम दिये जायें ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि वनस्पति घी के दाम केवल मूंगफली के तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण ही नहीं बढ़े हैं, अपितु वनस्पति लाइसेंस धारियों के इस एकाधिकारी दृष्टिकोण के कारण भी बढ़े हैं कि उन्होंने वनस्पति उत्पादन की अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार का अपनी नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है जिससे कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके जो वनस्पति घी के कारखाने खोलना चाहते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में, इस समय तेल की कमी के कारण वनस्पति घी के कारखान पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तेल उपलब्ध होने पर, वे पूरी क्षमता से उत्पादन करेंगे ।

Shri Bagri : May I know whether Government is aware of the fact that these prices have risen on account of speculation in oilseeds ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये इस संकट काल में सट्टा बन्द कर दिया गया है। अब अच्छे परिणामों की दृष्टि से मूंगफली तथा मूंगफली के तेल के सट्टे की अनुमति दे दी गई है क्योंकि इससे मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, यह कदम उठाने से कीमतें कुछ गिर गई हैं।

श्री पु० र० पटेल : मेरी राय में जोनल प्रतिबन्ध नहीं होने चाहियें। क्या यह सच कि निर्यात पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी, गुजरात में तेल का वितरण 100 ग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : शायद माननीय सदस्य के कहने का अर्थ यह है कि निर्यात प्रतिबन्ध के बावजद भी गुजरात में तेल की कमी है।

केरल में खाद्य स्थिति

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 9. श्री मणियंगाडन :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री कोया :
श्री प० कुन्हन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि केरल के अनेक भागों में चावल और अन्य खाद्यान्नों की भारी कमी है ;

(ख) इस महीने में और पिछले महीने में केरल को दक्षिण जोन के अन्य राज्यों से कितना चावल भेजा गया है और उस राज्य की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ;

(ग) इस अवधि में केन्द्रीय सरकार ने केरल को कितना चावल दिया है;

(घ) केरल में चावल का भाव क्या निश्चित किया गया है और बाजार में प्रचलित भाव क्या है ;

(ङ) क्या मद्रास सरकार ने चावल के एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है और क्या इससे केरल की स्थिति पर कोई असर पड़ा है; और

(च) वर्त्तमान संकट को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार को केरल में चावल की कठिन सप्लाई स्थिति के बारे में जानकारी है। अन्य खाद्यान्नों के अभाव की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) जुलाई और अगस्त, 1964 में रेल द्वारा अकेले आन्ध्र प्रदेश और मद्रास से केरल को व्यापारिक खाते में 76 हजार मीट्रिक टन धान और चावल भेजे गये जब कि 1963 की उसी अवधि में 65.5 हजार मीट्रिक टन भेज गये थे। सितम्बर, 1964 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जुलाई और अगस्त में 1,13,600 मीट्रिक टन चावल भेजा गया जब कि 1963 की उसी अवधि में 60,800 मीट्रिक टन भेजा गया था ।

(घ) चावल की विभिन्न किस्मों के भाव सांविधिक रूप से निर्धारित कर दिये गये हैं । अधिकतम खुदरा भाव 68 रुपये से 90 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में हैं ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) उचित मूल्य की दुकानों पर चावल की दी जाने वाली मात्रा दुगुनी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भण्डार से 17,000 मीट्रिक टन मोटा उबला चावल सहकारी समितियों द्वारा बेचने के लिये दिया गया है । आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों से केरल को चावल का साधारण संचलन बनाये रखने के कदम उठाये गये हैं ।

श्री मणियंगाडन : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से केरल को इस वर्ष पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा अधिक चावल भेजा गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी कमी के क्या कारण हैं । मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कई बार छापे मारे जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में चावल उनके हाथ नहीं लग सका है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे केरल के राज्यपाल से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें स्थिति खराब बतायी गई है और हमने केरल को अधिक चावल देने के लिये कुछ उपाय किये हैं । लेकिन यह बात आश्चर्यजनक सी है कि 1963–64 में उत्पादन अधिक होने और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पड़ौसी राज्य से चावल अधिक भेजे जाने के बावजूद वहां भावों का सिलसिला अजीब सा चल रहा है । इससे पता चलता है कि व्यापार को ठीक तरह से नहीं संभाला गया है ।

श्री मणियंगाडन । क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं कि क्या आन्ध्र प्रदेश से भेजा गया सारा चावल केरल पहुंच गया है अथवा इसका मद्रास राज्य में ही उपयोग कर लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आन्ध्र प्रदेश से एक बार केरल के लिये चावल भेज जाने पर इसको मार्ग में मद्रास में नहीं उतारा जा सकता । शिकायत यह है कि इसको पहले मद्रास भेजा गया और फिर मद्रास से केरल क्योंकि केरल में मूल्य स्थिर नहीं हो रहे हैं । अतः व्यापारियों को चावल मद्रास में रखने की बजाय केरल भेजने के लिये पूरा प्रलोभन मौजूद है ।

श्री कोया : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कालीकट और अन्य स्थानों से चावल मैसूर राज्य में मंगलौर ले जाया गया ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि केरल का चावल मंगलौर जाता है । वास्तव में, केन्द्रीय भंडार से कुछ चावल हमने मंगलौर को भी दिया है और वह भेज दिया गया है । लेकिन इसका केरल के चावल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प० कुन्हन : क्या सरकार को पता है कि मूल्य नियंयत्रण के बावजूद चावल 125 रुपये से 130 रुपये प्रति बोरी तक बेचा जाता है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि ये आंकड़े ठीक हैं । लेकिन मुझे पता है कि समाचार ये हैं कि चावल नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है जो लगभग

10 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है लेकिन इतना अधिक नहीं जितना कि माननीय सदस्य ने बताया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि केरल में हर वर्ष विशेषत: कुछ जिलों में जनता को इस अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार की कोई दीर्घ-कालीन और अल्प-कालीन योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केरल में हर वर्ष लगातार कठिन स्थिति को देखते हुए हम लगभग हर परिवार को न्यूनतम मात्रा देते हैं । अब उस मात्रा को दुगुना कर दिया गया है और जून-जुलाई-अगस्त की संकटमय अवधि में हर परिवार को सामान्य मात्रा से चौगुना चावल दिया जा रहा है। अत: हमने इस पर भी ध्यान दिया है। यही कारण है कि वहां पर सारे वर्ष अनौपचारिक राशन-व्यवस्था रहती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो अल्प-कालीन व्यवस्था है। भूमि सुधार और अन्य कार्यों सम्बन्धी दीर्घकालीन उपाय क्या किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दीर्घकालीन उपायों के बारे में बताने के लिये उन्हें सूचना चाहिये ।

श्री वारियर : क्या सरकार वहां कभी को पूरा करने के लिये गेहूं भी भेजेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दुर्भाग्य से केरल में गेहूं नहीं खाया जाता है । वास्तव में हमने यह प्रयत्न किया था । लेकिन वहां केवल चावल को ही प्राथमिकता दी जाती है ।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती : अधिक मूल्यों के कारण वे गेहूं नहीं ले सकते ।

Delhi Milk Scheme

10. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Balmiki :
Shri P. L. Barupal :
Shri Mate :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Utiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishram Prasad :
Shri Bagri :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Veerappa :
Shri D. C. Sharma :
Dr. C. B. Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri S. L. Verma :
Shri P. K. Deo :
Shri Kapur Singh :
Shri Buta Singh :
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that dissolved powder milk is being supplied as toned milk by the Delhi Milk Scheme;

(b) if so, whether the customers have been informed of this fact;

(c) whether it is also a fact that an insect (tiddi) was found in the toned milk bottle some days back and a Member of the Delhi Municipal Corporation drew the attention of the authorities concerned to this; and

(d) whether Government have enquired into this matter and, if so, with what results?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं। चरबी और चरबी रहित पदार्थों को पूर्व-निर्धारित स्तर को ठीक अनुसार रखने के लिये टोन्ड दूध, ताज़ा और पाउडर को मिला कर तैयार किया जाता है। ऐसा दूध तैयार करने के लिये भारत में ही नहीं अपितु संसार भर में यह एक मानी हुई विधि है।

(ख) टोन्ड दूध की बोतलों पर सील लगी होती है और यह सील गाय तथा भैंस के दूध पर लगी बोतलों से अलग प्रकार की होती है। ग्राहकों को सूचित करने के लिये अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(ग) दुर्भाग्यवश, यह ठीक है।

(घ) डेरी द्वारा सावधानी बरते जाने पर भी ऐसा हो गया। दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने इस पर विचार किया है। भविष्य में ऐसी घटना से बचने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना एक प्रसिद्ध कम्पनी से कीटरोधी उपाय करवा रही है। "कन्वैयर" द्वारा बोतलों के धुलाई की मशीन से बोलत भरने की मशीन तक पहुंचने तक की सुरक्षा के लिये अतिरिक्त सावधानी के तौर पर स्टेनलैस स्टील के एक ढक्कन की व्यवस्था की गई है। आशा है कि कुछ ही दिनों में यह ढक्कन लगा दिया जाएगा। सरकार समझती है कि ये सावधानियां पर्याप्त हैं। भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिये हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that buffalo, cow and toned milk is being supplied to the people for some time in much lesser quantity and if so, the main reasons therefor?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य कारण यह है कि देश भर में दूध का उत्पादन कम हो रहा है। परसों मैं दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न दुग्ध उपभोक्ताओं से मिला था। दूध इस्तेमाल करने वाली हर डेयरी में और हर कारखाने में उपलब्धता लगभग आधी रह गई है। यह बाढ़ और विभिन्न अन्य कारणों से है जिससे चारे की कमी होने के कारण ढोरों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब प्रतिदिन स्थिति सुधर रही है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही हम भी गाय और भैंस का दूध देना आरम्भ कर देंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Last time when the question about Delhi Milk Scheme was raised in this House, it was said that its Chairman, Dr. Sikka, was previously serving in Calcutta and when he was discharged from there, he dislocated the whole machinery there. I want to know whether it is one of the reasons that he dislocated the whole machinery here after his replacement and therefore the milk is available in a lesser quantity.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब उनको हटा दिया गया है और एक अन्य अधिकारी ने उनका कार्यभार संभाल लिया है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों के एक दल ने दिल्ली दुग्ध योजना के

कार्यकरण की पड़ताल की है। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और परसों उनकी सिफारिसों पर विचार किया गया था और उन सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही भी की गई है।

Shri Yashpal Singh : As has been raised in this House several times previously, is it a fact that received from villages, Rajasthan and Uttar Pradesh reaches our homes after 72 hours and it becomes sour and stink and vitamins are lost? If so, what arrangements are being made to supply fresh milk to the people. ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब आधुनिक परिस्थिति में अच्छी तरह से तैयार किया गया दूध एक सप्ताह तक या 15 दिनों तक रखा जा सकता है। अत: यह तो इसको ठीक तरह से तैयार करने की बात है और यही उपाय अपनाये जाने के बाद हम बीकानेर जैसे दूरवर्ती स्थानों से दूध लाने में समर्थ हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली दुग्ध योजना के कुल संभरण की स्थिति में सुधार हुआ है। क्या यह सच है कि संभरण की मात्रा घटा कर संसद्-सदस्यों के लिये आधी और दिल्ली की बाकी जनता के लिये चौथाई कर दी गयी है? संभरण पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा मैं बता चुका हूं प्रश्न दूध के उत्पादन का है। दुर्भाग्य से हर जगह विशेषत: मौसम और बाढ़ के कारण इसमें कमी हुई है लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। अत: मुझे आशा है कि संभरण पूरा करना संभव हो सकेगा।

Shri Rameshwaranand : On a point of order Sir, the main reason for the shortage of milk in the country is slaughter of cow, buffalo etc. in the slaughter houses. The Government should take steps to close down these slaughter-houses. Only after that milk can be available Here in Lok Sabha not a single drop of milk is available, then how the people can get it. I want your protection Sir.

Mr. Speaker : How I can reply to this point of order. There is no rule, no constitution for this which I should refer.

Shri Onkar Lal Berwa : Sometimes back it appeared in the press that five thousand goats will be purchased to make up the shortage of milk. I want to know whether those goats have come or not.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दूध की कमी पूरी करने के लिये बकरियां भी हैं।

श्रीमती रेनु चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने बताया कि दूध के उत्पादन में कमी बाढ़ और मौसम के कारण हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह बात बतायी गयी है कि बंगाल में, जहां बाढ़ नहीं आयी है, स्थिति ऐसी ही है और वहां ताजे अर्थात् गाय के और भैंस के दूध की बहुत कमी हुई है और हमें विवश हो कर टोंड दूध लेना पड़ रहा है? क्या यह इस कारण है कि यह सरकार पी० एल० 440 पर अधिक निर्भर करती है।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्होंने बंगाल की बात कही, फिर संभरण की और फिर पी० एल० 480 की।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बारे में भी मैं दूध विशेषज्ञ से बातचीत कर रहा था। पता नहीं कि यह जानकारी कहां तक सही है लेकिन उनका कहना है कि दूध के उत्पादन

में भी वृम-चक्र चलता है और संसार भर में दूध के उत्पादन में कमी हुयी है। इसी कारण दुग्ध-चूर्ण की भी कमी है ।

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानने का उत्सुक हूं कि सील बन्द सरकारी दूध की बोतलों में बिना उचित अधिकार के किस प्रकार टिड्डे जैसे बड़े कीड़े घुस जाते हैं।

श्री के० दे० मालवीय : क्या सरकार का वास्तव में यह विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निश्चित ही ।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देना कठिन है कि बिना किसी अधिकार के वे बोतलों में कैसे घुस गये ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मंत्री महोदय को विशेषज्ञों ने क्या राय दी, क्या दूध की कमी केवल चौपायों की है या दुपायों की ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य थोड़े गंभीर रहें ।

श्री इकबाल सिंह : दूध के संभरण की कमी का वास्तविक कारण चने और चारे का अधिक मूल्य है क्योंकि वे भैंसों को पूरी मात्रा में चने और चारा नहीं दे पाते। यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खाद्यान्नों के मूल्य के बारे में यह एक सामान्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला कार्य लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

न्यूयार्क में अमरीकी व्यापारियों का सम्मेलन

*12. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री निम्बियार :
श्री लक्ष्मीदास :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री कपूर सिंह :
श्री अ० क० गोपालन० :
श्री अम्बीचिबावा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को "भारत में विनियोजन संस्था व्यापार संचालन' के विषय पर 8 से 10 जून, 1964 तक न्यूयार्क में हुए अमरीकी व्यापारियों के समेलन में भाग लेने के लिये कहा था ;

(ख) भारत की ओर से इस सम्मेलन में यदि कोई आश्वासन दिये गये थे तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या ये आश्वासन गैर-सरकारी उपक्रम के बढ़ते हुए एकाधिपत्य का सामना करने के सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के मंत्री (आर्थिक) ने 8 जून, 1964 को न्यूयार्क में अमरीकी प्रबंध संस्था द्वारा आयोजित "भारत में निवेश और व्यापार-संचालन (इन्वेस्टिंग ऐण्ड आपरेटिंग इन इंडिया)" सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ख) और (ग). मंत्री (आर्थिक) के भाषण का उद्देश्य गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीतियों का स्पष्टीकरण करना था, कोई विशेष आश्वासन देना नहीं ।

सड़क-रेल समन्वय

*513. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री 12 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सड़क-तेल समन्वय से सम्बन्धित ब्रिटेन के परिवहन विशेषज्ञ, श्री एम० आर० बोनाविया द्वारा दिये गये ज्ञापन-पत्र पर परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). मिस्टर बोनाविया ने भारत में सड़क-रेल मंत्रालय समन्वय के बारे में, परिवहन नीति एवं समन्वय समिति को जो ज्ञापन प्रस्तुत किया उस पर समिति ने विचार किया है। इस समय समिति अपना प्रतिवेदन तैयार कर रही है और आशा है कि मिस्टर बोनाविया के ज्ञापन में जो सुझाव दिये गये हैं उनके सहित समिति को जो विभिन्न सुझाव प्राप्त होंगे, उन्हें वह ध्यान में रखेगी।

समुद्र तटीय इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र

*514. **श्री ब० व० राघावन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तट के कटाव के सम्बन्ध में प्रविधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये अमरीकी समुद्र-तट कटाव बोर्ड के नमूने पर एक समुद्र तटीय इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख). जी हां। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना में तटीय इंजीनियरी गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

निवृत्तिवेतन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता

*515. { **श्री पी० च० शर्मा :**
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को निष्प्रभाव करने के लिये निवृत्ति वेतन भोगियों के लिये महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने कम पेंशन पाने वालों के लिए 1 अक्टूबर, 1963 से सहायता के रूप में, तदर्थ वृद्धियों की स्वीकृति दे दी है ।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद का मामला

*516. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामले के बारे में 5 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एण्ड सेंट्रल एक्साइज, नागपुर द्वारा उच्च न्यायालय (नागपुर बेंच) के सामने दायर शपथ-पत्र में अन्य बातों के साथ साथ यह बताया गया है कि "मैंने ऐसे दस्तावेज पाये हैं जिनसे पता लगता है कि याचिकाकार ने ऐसे व्यापार कार्य किये हैं जो सीमा शुल्क विनियमों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन हैं तथा जिनके लिये समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम 187 तथा/अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सजा मिल सकती है । जिन दस्तावेजों, नोटबुकों तथा फाइलों को मैंने देखा है उनसे भी पता लगता है कि याचिकाकार ने करोड़ों रुपयों के खनिज अयस्कों के निर्यात में कम बीजक बनाया है, लाखों रुपये का सोना बड़ी मात्रा में खरीदा है, लाखों अमरीकी डालरों की विदेशी मुद्रा अनधिकृत रूप से ऐसी पार्टियों को बेची है जिसमें कुछ व्यक्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः तस्कर व्यापार में लगे हुए हैं ;"

(ख) यदि हां तो क्या उक्त शपथपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या जांच कार्य पूरा हो गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने नागपुर उच्च न्यायालय में जिन विभिन्न प्रादेश-प्रार्थनापत्रों (रिट ऐप्लिकेशन) का प्रतिरोध किया है उनके सम्बन्ध में दायर किये गये पांच शपथपत्रों की प्रतिलिपियां सभा की मेज पर रख दी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3297/64]** इनमें से चार शपथपत्र केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग (सेण्ट्रल एक्साइज), नागपुर के अधीक्षक (सुपरिन्टेण्डेण्ट) द्वारा दायर किये गये हैं और एक शपथपत्र इसी विभाग के उपाधीक्षक (डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट) द्वारा दायर किया गया है। माननीय सदस्य ने प्रश्न के भाग (क) में जिस उद्धरण का उल्लेख किया है वह इनमें से चार शपथपत्रों में है।

(ग) जी नहीं।

"एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" में काश्मीर का मानचित्र

*516-क. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" 1964 (लाल-रायल-टैक्स जिल्द) के खण्ड 24 के पृष्ठ संख्या 1, 4, 60, 65, 66 और 67 पर दिये दिये गये मानचित्रों की ओर दिलाया गया है जिस में काश्मीर को भारत के एक भाग के रूप में नहीं दिखाया गया है परन्तु उसे काले रंग से इतना रंग दिया गया है कि संसार की एटलस में काश्मीर का पूरा मानचित्र दिखाई ही नहीं देता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "एनसाइक्लोपीडिया" के प्रकाशकों से इस गलती के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या उत्तर आया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

Demolition of unauthorised structures

*517. **Shri Kishen Pattnayak :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unauthorised structures constructed in Srinivas-puri are being demolished by officials of the Delhi Development Authority;

(b) the number of houses in Delhi which have been demolished so far by the Delhi Development Authority and the number of those houses that are yet to be demolished;

(c) whether it is a fact that demolished houses include some such houses about which cases are pending in the court; and

(d) whether house-owners are given prior intimation about he time of demolition before the houses are demolished?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes, Sir.

(b) 36 structures have been demolished in the development areas under the jurisdiction of the Delhi Development Authority so far and 2394 structures are yet to be demolished.

(c) Only such portions of the houses which were not covered by any stay order from the court have been demolished.

(d) The unauthorised structures are demolished in accordance with the provisions of the Delhi Development Act, 1957.

टोकियो में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सम्मेलन

*518. **श्री आल्वरेस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोकियो में हाल ही में हुए अन्तराष्ट्रीय मुद्रानिधि सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) बढ़े हुए अंशदान में भारत का कितना अंश है ; और

(ग) क्या भारत ने सुझाव दिया था कि उस के द्वारा अदा किये जाने वाले ऋण की अनुसूची पुनः तैयार की जाए, और इन प्रस्तावों का परिणाम क्या निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) टोकियो में हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के वार्षिक सम्मेलन में स्वीकार किये गये प्रस्तावों में अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मलावी को निधि का सदस्य बनाने, 1964 की वार्षिक रिपोर्ट और 1965 के बजट को मंजूर करने और कोटों (निर्धारित अंशों) में सामान्य समायोजन करने की सम्भावना के बारे में थे। अन्तिम विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव में कार्यपालक निदेशकों को कोटों में समायोजन करने के प्रश्न पर विचार करने और निधि के गवर्नर के बोर्ड के सामने जल्दी ही एक उपयुक्त प्रस्ताव पेश करने का निदेश दिया गया है।

(ख) चूंकि कोटों के समायोजन के प्रश्न पर कार्यपालक निदेशकों द्वारा अभी विचार किया जाना है इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़े हुए कोटे में भारत का हिस्सा कितना होगा।

(ग) जी नहीं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि के प्रबन्ध निदेशक ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया था कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था वाले देशों को ऋण-व्यवस्था सम्बन्धी जो भारी अदायगियां करनी पड़ती हैं उन से उन पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है। भारतीय प्रतिनिधि के वक्तव्य में इस बात का समर्थन किया गया कि ऋण-व्यवस्था सम्बन्धी अदायगियों से पड़ने वाले भार को कम करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

नागार्जुन सागर परियोजना

*519. **श्री पें० वैंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार नागार्जुन सागर परियोजना का कार्यभार, इसे केन्द्रीय परियोजना घोषित कर के, स्वयं संभाल लेने का है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने कहा है कि उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में चालू वर्ष के लिए और तृतीय योजना की शेष अवधि के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार को यह कहा गया है कि वे इस आधार पर कि 1964-65 में उन्हें 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दे दी जाएगी, परियोजना के सम्बन्ध में कारवाई आरम्भ कर दें राज्य के साथ आगामी वार्षिक योजना पर वार्तालाप में 1965-66 के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा ।

हैजा

*520. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ ।
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वीरप्पा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों को हैजा हो जाने के कारण उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों को हैजा फैलने की सम्भावनाओं के संबंध में एक सर्कुलर भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोग को फैलने से रोकने के लिये तकनीकी तथा अन्य सहायता देने की पेशकश की गई है ;

(ग) कितने राज्यों में यह रोग फैला हुआ है तथा केन्द्र ने कितने राज्यों में इस की रोकथाम करने के लिये सहायता दी है ; और

(घ) हैजा को फैलने से रोकने के लिये राज्यों तथा केन्द्र ने और क्या उपाय किए ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निम्नलिखित राज्यों ने जनवरी, 1964 से अगस्त, 1964 तक की अवधि में वहांपर बड़े पैमाने पर हैजा फैलने के समाचार दिये थे :—

1. आंध्र प्रदेश
2. मद्रास
3. महाराष्ट्र
4. मैसूर
5. पश्चिम बंगाल

महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को उनकी प्रार्थना पर हैजा के टीके और दवाइयां आदि भेजकर केन्द्रीय सरकार ने उनकी सहायता की है । अन्य राज्यों से केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) राज्य सरकारों ने जो कार्यवाही की थी उसमें ये बातें सम्मिलित हैं : रोग की अधिसूचना हैजा-निरोधक टीके, हैजे के मरीजों का शीघ्र उपचार, तथा उनका पृथक रखना, सफाई व्यवस्था में सुधार, मलमूत्र का रोगाणुनाशक, मक्खी -नाशक कार्यवाही जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हैजा फैलता था उनमें विशष कार्यवाही, पेय जल में क्लोरीन का मिलाना , रोगाणुनाशक औषधियों तथा सल्फाक्लोरानी डाइन का प्रयोग, मेलों तथा त्योहारों के अवसरों पर संक्रामक रोग अधिनियम का लागू करना तथा संक्रामक रोगानिरोधी विशेष कार्यवाही करना ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम ने गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में हैजे के फैलने के मामले की जांच करने और आवश्यक प्रविधिक मार्गदर्शन करने के लिये वहां पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता का एक महामारी विज्ञान सम्बन्धी दल (एपीडेमीओलॉजीकल टीम) भेजा था ।

समवायों के मामलों की जांच

*521. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा समवाय अधिनियम की धारा 235, 237, 247 तथा 249 के अन्तर्गत ऐसे कितने मामलों की जांच का आदेश दिया गया था जो 3 साल से अधिक समय से लम्बित हैं ।

(ख) इस के मुख्य रण क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं कि जांच करने में एक वर्ष से अधिक समय न लगे ?

योजना मंत्री (श्रीव० रा० भगत) : (क) एक भी नहीं लेकिन भारतीय समवाय अधिनियम (इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट), 1913 की धारा 138 (iv) के अधीन, जो समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 235 (सी) जैसी है, जांच का एक मामला तीन साल से भी अधिक समय से पड़ हुआ है ।

(ख) जांच के सम्बन्ध में प्रबन्धकों की असहयोगपूर्ण और बिलम्बकारी चालें ।

(ग) निरीक्षकों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए, कानन बनाये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि इन संशोधनों से, जहां तक सम्भव हो सके बिभागीय अफसरों को ही निरीक्षक नियुक्त करने सरकार के पहले ही किये गये जा चुके, निश्चय और समवाय विधि न्यायाधिकरण, (कम्पनी ला ट्रिब्यनल) की स्थापना से स्थिति में सुधार हो सकेगा।

दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां

*522. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री प्र० कं० देव :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न चिट फंड समवायों के कार्य-संचालन में पाई जाने वाली अनियमिततओं संबंधी अनेक शिकायतों को प्रभावपूर्ण ढंग से निबटाने के लिए क्या मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 संघ राज्य-क्षत्र दिल्ली में लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में कितनी सावधा नियां बरती जा रही हैं और कितने मामलों में लोगों को दोषी पाया गया और सजायें दी गयीं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 , जिस रूप में दिल्ली के संघीय राज्य-क्षेत्र में लागू किया गया है, उसके अधीन कोई मुकदमा दायर करने का अवसर अभी तक नहीं आया है । लेकिन 1 जनवरी, 1964 से 31 अगस्त, 1964 तक जो शिकायतें मिलीं

उनकी छानबीन के बाद भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधपूर्ण विश्वास घात अथवा अन्य अपराधों के 12 मामले पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गये हैं। अभी इन 12 मामलों के बारे में कार्रवाई पूरी नहीं हुई है । इसी अवधि में प्राप्त शिकायतों से सम्बन्ध रखने वाले लगभग 110 मामलों के बारे में अभी छानबीन की जा रही है ।

बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये सहायता

*523. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ऐसे राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में हर साल बाढ़ें आती हैं कि बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र द्वारा दिया जाय ;

(ख) बाढ़ से बचाव केहेतु निर्मित बांधों आदि की मरम्मत एवं देख रेख की लागत को पूरा करने के लिये क्या हितग्राहियों पर एक बाढ़ उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर बाढ़ नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मंत्रालय ने समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखा है कि वे बाढ़-टैक्स लगाने के लिए कानून पास करें। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही उपयुक्त कानून पास कर लिया है । बाढ़ नियंत्रण के लिए फरवरी, 1964 में बनाई गई मंत्रियों की समिति भी इस प्रश्न का पुनरवलोकन कर रही है ।

(ग) इस विषय को मंत्रियों की समिति को जांच पड़ताल के लिए निर्दिष्ट किया गया है और जब उनकी रिपोर्ट उपलब्ध होगी, आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ।

विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार

*524. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

श्री बागड़ी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने हाल में ही बैंक ड्राफ्टों, ट्रैवलर चैकों, पासपोर्टों में जालसाजी करने वाले एक बड़े गिरोह का पता लगाया है जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय था ;

(ख) क्या यह सच है कि संबधित गिरोह में दक्षिण अफ्रीका के भारतीय हैं तथा वे इस देश में अपने स्थानीय साथियों के साथ मिले हुए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटन यातायात में कदाचारों के कारण भारत से विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि चोरी छिपे विदेशों को ले जाई जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे मामलों का पता चला है कि जिनमें जाली यात्री-चैकों को भुनाया गया अथवा भुनाने की कोशिश की गयी। विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों को इन मामलों में कार्यवाई कर रहे हैं। ऐसे एक मामले में एक विदेशी को दोषी ठहराया गया। कुछ मामलों में या तो मुकदमें चल रहे हैं या जांच की जा रही है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में घग्गर नदी में बाढ़

525. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कर्णी सिंह जी:
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में घग्गर नदी में बाढ़ को रोकने के लिये मानसून से पहले क्या कायवाही की गई थी तथा आगामी मानसून से पहले क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) इस के लिये कितने धन की अपेक्षा है तथा इस धन को उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये बाढ़ के पानी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान साईफांन के प्रति-स्रोत में 5 मील लम्बा बंध इस वर्ष की मानसून के पूर्व ही पूरा कर दिया गया था। घग्गर में बाढ़ों से प्रभावित कुछ महत्वपूर्ण शहरों और ग्रामों के लिए सरक्षक बंध पूर्ण कर दिए गये थे। राज्य सरकार को यह आशा है कि वे, अपेक्षित धन राशि के उपलब्ध

होने से, आगामी मानसून के पूर्व ही साईफान के नीचे बाढ़ व्यपवर्तन नाली को लगभग 15 मील की लम्बाई तक पूर्ण कर देंगे ।

(ख) घग्गर बाढ़ नियंत्रण स्कीम अक्तूबर, 1963 में योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार की गई थी। यद्यपि स्कीम की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है, धन की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है ।

(ग) आवर्द्धित कृषि उत्पादन के लिए बाढ़ के पानी को (1) मोड़ नाली से वर्तमान नाली तह में नियमित सम्भरण करने से, (2) खरीफ और रबी की फसलों के लाभ के लिए निम्नस्तरीय क्षेत्रों में बाढ़ के प्रवाह को मोड़ने से, (3) घग्गर से राजस्थान नहर प्रणाली में रबी के दौरान पानी डालने से जब कि राजस्थान नहर प्रणाली को हरिके से कोई पानी नहीं मिलता, अथवा कुछ थोड़ा सा मिलता है, और (4) सिंचाई के उद्देश्यों के लिए मोड़ नाली के तटों में सीधे निर्गम द्वार बनाने से, प्रयोग में लाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम सहकारी समितियां

*526. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित केन्द्रीय कृषि श्रम सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम सहकारी समितियां बनाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों का ध्यान इस सुझाव की ओर दिलाया गया है। इस सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय आधार पर विद्युत् का विकास

*527. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ऐसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि चौथी योजना में विद्युत् का विकास क्षेत्रीय आधार पर होना चाहिये तथा राज्य आधार पर नहीं जैसा कि अभी तक होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). भारत सरकार ने क्षेत्रीय आधार पर विद्युत् विकास के लिये आयोजना के असूल को मान लिया है। फिर भी चतुर्थ योजना के लिये विद्युत् विकास कार्यक्रम आवश्यक रूप से राज्य क्रम के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। किन्तु यह आशा है कि पारेषण पर्थो के अन्तर्सम्पर्क से और क्षेत्रीय ग्रिडों के, प्रतिष्ठापन से, क्षेत्रीय आयोजना का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और कि अधिकतम लाभ प्राप्त होगा ।

(ग) जी, हां ।

ठेका पद्धति

*528. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित करने का विचार है जिससे टेडरों तथा ठेकेदारों द्वारा किए गये काम के लिये भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सके तथा सरकार-ठेकेदार के आपसी व्यवहार में भ्रष्टाचार के तरीकों की जांच की जा सके ;

(ख) क्या ठकेदारों को मान्यता देने के लिये कोई मूलभूत अर्हतायें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक पेश कर देगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को नामजद करने के लिए आधार भूत योग्यतायें नियमावली में दी गई हैं ।

(ग) सितम्बर, 1964 को समिति (कमेटी) ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

बिजली घर

*529. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिजली घरों के कार्यवहन का गहन अध्ययन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कोई अध्ययन वर्ग बनाया गया है; और

(ग) इसके निर्देशपद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) कोई भी अध्ययन दल स्थापित नहीं हुआ है, किन्तु ये अध्ययन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किये जा रहे हैं ।

(ग) अध्ययन का उद्देश्य तापीय विद्युत् केन्द्रों की कार्यक्षमता और मितव्ययिता को उन्नत करने के लिये सुझाव देना है ।

'सी' बिजली घर

*530. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सी' बिजली, नई दिल्ली के टर्बाइनों में अभी भी वाइबरेशन्स (तरंगे) उत्पन्न हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां ।

(ख) इस मशीन की 10 सितम्बर, 1963 से, जिस तारीख को वह चालू की गई थी, 3 साल की गारंटी है। इस मशीन के चालू होने के लगभग 6 महीने बाद कम्पन पहली बार 3 मार्च, 1964 को देखा गया। सप्लाई कम्पनी के अभियन्ताओं ने इस मशीन का पुन: रेखांकन किया और यह मशीन 10 अप्रैल, 1964 से संतोषप्रद रूपमें काम करने लगी, परन्तु 17 अगस्त, 1964 को कम्पन फिर देखा गया। मैसर्ज़ मितसूविशी शोजी कैशा लि०, जापान के अभियन्ता, जिन्होंने मशीन सप्लाई की थी, तब से कम्पन को उचित सीमा तक लाने के लिये आवश्यक अनुकूल कार्य में जुटे हुए हैं ।

उड़ीसा में तपेदिक के रोगी

1617. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सर्वेक्षण परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में इस समय तपेदिक के रोगियों की संख्या कितनी है ;

(ख) तपदिक के इन रोगियों का उपचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को क्या सहायता दी है ; और

(ग) इन रोगियों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) तपेदिक के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में उड़ीसा राज्य सम्मिलित नहीं किया गया था। तथापि, उड़ीसा राज्य में इस समय तपेदिक के रोगियों की अनुमानित संख्या 2,63,000 है।

(ख) राष्ट्रीय तपैदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित योजनाओं के मामले में राज्य सरकारों की सहायता करती है :—

(एक) बी० सी० जी० टीका आन्दोलन ;
(दो) तपेदिक के चिकित्सालयों की स्थापना ;
(तीन) क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ;
(चार) चलती-फिरती एक्स-रे यूनिटों की स्थापना ;
(पांच) टी० बी० की पृथक शय्याओं की व्यवस्था; और
(छ) तपैदिक-निरोधी औषधियों का सम्भरण ।

उपर्युलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों को 75 प्रतिशत अनावर्ती व्यय और 50 प्रतिशत आवर्ती व्यय की सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है । इमारतों पर आने वाले निम्नलिखित अधिक से अधिक व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है :

क्षयरोग चिकित्सालय	95,000 प्रति चिकित्सालय
क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र .	2,25,000 रुपये प्रति केन्द्र

(ग) क्योंकि केन्द्रीय-सहायता प्राप्त योजनाओं के केन्द्रीय सरकार की सहायता योजनाओं के एक ग्रुप के लिये "मार्गोपाय अग्रिमधन' के रूप में दी जाती है, अतः यह ज्ञात नहीं है कि उड़ीसा राज्य को अकेले तपेदिक योजनाओं के लिये कितनी सहायता दी गई है ; तथापि, चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य के एक मास मिनिएचर रेडियोग्राफी यूनिट, एक रेफिजरेटर तथा लैबोरेटरी उपकरण का एक सैट जिसमें माइकोस्कोप भी सम्मिलित है देने के अतिरिक्त अब तक उन्हें 14,469 रुपये 30 पैसे के मूल्य की तपैदिक-विरोधी औषधियां भी दी गई हैं । उड़ीसा के तपैदिक रोगियों के उपचार के लिये उड़ीसा राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये 14 लाख 78 हजार रुपये की धनराशि मंजूर की है ।

जलधारा मापक उपकरण[1]

1618. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे इंजीनियर उस नवीनतम जलधारा मापक उपकरण का प्रयोग करने लगे हैं जिसका कि अमेरिका तथा अन्य उन्नत देशों में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जाता है; और

(ख) क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए इस उपकरण के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी , हां ।

(ख) बहुत सा स्वदेशी उपकरण प्राप्त किया जा रहा है । तथापि, इस मामले की ओर उद्योग तथा संभरण मंत्रालय का ध्यान विशेषरूप से दिलाया जा रहा है ।

[1]Stream gauging equipment.

रामनदी बांध

1619. श्री म० प० स्वामी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने रामनदी बांध के निर्माण के लिये अपना पुनरीक्षित प्राक्कलन भेज दिया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को प्रविधिक मंजूरी दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड

1620. डा० ब० ना० सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड के कब गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) उक्तकथित बोर्ड के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति के लिये क्या शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नये बोर्ड के नवम्बर, 1965 तक गठित किये जाने की सम्भावना है ।

(ख) दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार, इस बोर्ड के नौ सदस्य होंगे तथा यह निम्नलिखित विधि से गठित किया जायेगा; अर्थात् :—

(एक) पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा स्वयं अपने में से निर्वाचित छः सदस्य, जो कि होम्योपैथी पद्धति द्वारा कम से कम दस वर्ष चिकित्सा कर चुके हों ;

(दो) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक चिकित्सक ;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा जनता से नाम निर्देशित एक सदस्य जिसकी होम्योपैथी में रुचि हो ; और

(चार) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित दिल्ली राज्य का एक स्वास्थ्य सेवा निदेशक अथवा सहायक निदेशक ।

राज्य सरकार बोर्ड के एक सदस्य को सभापति के रूप में नाम-निर्देशित करेगी । बोर्ड का उप-सभापति बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से ही चुना जायेगा ।

केन्द्रीय होम्योपैथिक सलाहकार समिति

1621. श्री डा० ब० ना० सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). केन्द्रीय होम्योपैथिक सलाहकार समिति की पदावधि क्या है ;

(ख) अगली समिति के कब गठित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है ; और

(घ) इस समिति के सदस्यों के नाम-निर्देशन के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिये वर्तमान होम्योपैथिक सलाहकार समिति की स्थापना 23 फरवरी, 1962 को की गई थी ।

(ख) वर्तमान समिति तृतीय योजना की शेष अवधि में कार्य कर सकती है । उसके पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) यह समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है ।

(घ) कोई विशिष्ठ अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

दिल्ली में होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीकरण

1622. **श्री डा० ब० ना० सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ ऐसे व्यक्तियों ने अपने आपको होम्योपैथिक चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत करा लिया है जो कि इसके पात्र नहीं हैं और यह कि कुछ समय पूर्व दिल्ली के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड के सभापति तथा पंजीयक के पास इस सम्बन्ध में एक शिकायत भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) दिल्ली में कितने अर्हता प्राप्त तथा अर्हताहीन होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिन्होंने इस प्रकार पंजीकरण करा लिया है ; और

(घ) दिल्ली में होम्योपैथिक चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये क्या शैक्षणिक अर्हतायें, आयु तथा अनुभव निर्धारित किया हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). दिल्ली में कोई अपात्र व्यक्ति पंजीकृत नहीं किया गया है । दिल्ली के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड के सभापति/पंजीयक को कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, जिनके पंजीकरण के मामलों से सम्बन्धित चौदह शिकायतें सम्मिलित थीं जिनमें से दस गलत पाई गई हैं तथा शेष मामलों की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 की अनुसूची के पैरा 1, 2 और 3 में पंजीकरण के लिये निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की हुई हैं :—

(एक) ऐसे होम्योपैथिक चिकित्सक जिन्होंने दिल्ली के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड द्वारा ली जाने वाली अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।

(दो) ऐसे होम्योपैथिक चिकित्सक जिन्होंने दिल्ली राज्य की अथवा इससे बाहर की किसी होम्योपैथिक संस्था की परीक्षा उतीर्ण कर ली हो, बशर्ते कि यह संस्था पंजीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।

(तीन) ऐसे होम्योपैथिक चिकित्सक जो कि उस समय जब कि अधिनियम पारित किया था पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में दस वर्ष से कार्य करते रहे हों और चिकित्सकों के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये निर्धारित ढंग में उपयुक्त व्यक्ति प्रमाणित किये गये हों ।

स्पष्टीकरण : यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकार अथवा किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्था का (होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में होने के अतिरिक्त) कोई सवैतनिक नौकर हो तो उसे पूर्णकालिक होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं माना जायेगा ।

आंखों का अस्पताल

1623. **श्री राम हरख यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री फिरोज गांधी की स्मृति में दिल्ली में आंखों का एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं और यह अस्पताल कहां पर बनाया जायेगा ; और

(ग) अस्पताल पर अनुमानतः कितना रुपया व्यय होगा और उसमें सरकार यदि कोई अंशदान करेगी तो वह कितना होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में गैर-सरकारी मैडिकल कालिज

1624. **श्री राम हरख यादव** : : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एक गैर-सरकारी मैडिकल कालिज खोलने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कालिज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय की मान्यता शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में सुनारों के लिए सहकारी समितियां

1625. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गये सुनारों को रोजगार दिलाने के लिये केरल में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं ; और

(ख) सरकार ने इन समितियों को अब तक किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अब तक आठ आरंभिक तथा बारह अन्य औद्योगिक सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं ।

(ख) आरंभिक सहकारी समितियों को 40,000 रुपया कार्यवहन के लिए ऋण स्वीकार किया है तथा वेतन पाने वाले सैक्रेटेरियों के वेतन के लिये 583 रुपया अनुदान दिया है । औद्योगिक सहकारी समितियों के लिये 30,935 रुपये की पूंजी स्वीकार की गई है ।

टेल्लिचेरी तथा माहे में पीने के पानी का संभरण

1626. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेल्लिचेरी तथा माहे में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये केरल सरकार से कोई प्रस्ताव मिले ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). केरल सरकार से टेल्लिचेरी, माहे तथा कन्ननूर के लिये विस्तृत जल संभरण योजना के 23.50 लाख रुपये के अनुमान मिले हैं । ये अनमान 195 लाख रुपये की योजना का एक भाग हैं । क्योंकि योजना के प्रतिवेदन की जांच नहीं हो सकती थी इसलिये राज्य सरकार से कहा गया है कि विस्तृत जल संभरण योजना के विस्तृत इंजीनियरिंग आंकड़े जांच के लिये पेश करे ।

केरल में भूमिधर पर बुनियादी कर

1627. श्री अ० ब० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1 सितम्बर, 1964 से भूमि पर बुनियादी कर के कितने बकाया हैं ;

(ख) बुनियादी कर के बकाया वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) केरल पंचायत अधिनियम में उपबन्ध के अनुसार विभिन्न पंचायतों को कितनी रकम दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग 2.11 करोड़ रुपये ।

(ख) चालू वर्ष में 2 बराबर की किश्तों पर वसूली करने के आदेश दिए गए हैं ।

(ग) कोई नहीं ।

केरल राज्य नर्स संस्था

1628. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को राज्य नर्स संस्था से उनकी शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । केरल सरकार को राज्य नर्स संस्था से दो ज्ञापन मिले हैं ।

(ख) राज्य सरकार ने बहुत सी बातों पर आदेश जारी कर दिए हैं तथा शेष विचाराधीन हैं ।

मोहोल नगर, महाराष्ट्र के लिए जल योजना

1629. **श्री सोनावने** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर जिला (महाराष्ट्र) के मोहोल नगर के लिये कोई जल योजना महाराष्ट्र राज्य से स्वीकृति के लिये मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना स्वीकार कर ली गई है तथा यदि नहीं, तो इसके कब तक स्वीकार कर लिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) योजना विचाराधीन है तथा संभावना है कि एक पखवाड़े में स्वीकार हो जायेगी ।

कृत्रिम अंगों को बनाना

1630. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में कृत्रिम अंगों को बनाने के लिये एक केन्द्र चालू करने का कोई

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे अंगहीन लोगों को लाभ हो सके और उनके कृत्रिम अंग लेने के लिये पूना जाने के व्यय बच जायें ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थिति में हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विकलांगों के लिये कृत्रिम अंग बनाने के लिए दो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इनमें से एक केन्द्र उत्तर में होगा ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मंत्रियों के निवास स्थान

1631. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री की मृत्यु के बाद उसके आश्रित कितने समय तक के लिये उसी निवास स्थान में रह सकते हैं ;

(ख) क्या कभी इस नियम का उल्लंघन हुआ है तथा क्या भारत के महालेखा परीक्षक ने इस सम्बन्ध में कभी आपत्ति की है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) पन्द्रह दिन तक।

(ख) पांच मामलों में समय बढ़ाया गया है परन्तु इनमें से किसी भी मामले में भारत के महालेखा परीक्षक ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं की।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम आवास योजना

1632. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंचलिक नागरिक परिषद् कलकत्ता ने सुझाव दिया था कि जीवन बीमा निगम को शरणार्थी बस्तियों में मकान बनाने के लिये धन देना चाहिए जिससे पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कुछ सहायता हो सके ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सुझाव की क्रियान्विति में कुछ कठिनाइयां हैं। जीवन बीमा निगम एक वाणिज्यिक संगठन है तथा मकान बनाने के लिए पालिसी होल्डर्स को ये जो ऋण

देती है वह कई शर्तों के आधार पर देती है । उन शर्तों को शरणार्थी पूरा नहीं कर पाते हैं । इसीलिये जीवन बीमा निगम ने कोई कार्यवाही करना आवश्यक अथवा संभव नहीं समझा है ।

धर्मार्थ अस्पताल

1633. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष में दिल्ली में धर्मार्थ अस्पतालों को कुछ वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). ऐच्छिक क्षय रोग, कुष्ठ रोग और अन्य संस्थाओं को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष निम्नलिखित संस्थाओं को अब तक निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गयी है :

संस्था का नाम	स्वीकृत धन राशि	उद्देश्य
	रुपये	
1. दि तारा देवी स्मारक समिति, शंकर मार्केट, नई दिल्ली	30,000	एक्सरे की मशीन खरीदने के लिये
2. दि योग इंस्टीट्यूट फॉर साइको-फिजिकल थेरापी, भगवान दास सेवा सदन, लाजपत-नगर, नई दिल्ली ।	1,000	उपकरण खरीदने के लिये
3. दि आन्ध्र वनिता मंडली, 2, कुशक रोड, नई दिल्ली ।	15,000	उपकरण खरीदने के लिये

इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने डा० श्रॉफ़ नेत्र चिकित्सालय, दिल्ली को 13,600 रुपये की धनराशि मंजूर की है ।

भारतीय रुपये का परिवर्तन मूल्य

1634. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री श्याम लाल सर्राफ़ :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपया मुद्रा का परिवर्तन मूल्य चिन्तनीय दर से गिर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य-ह्रास की वार्षिक दर क्या है ; और

(ग) इस मूल्य-ह्रास को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं। भारतीय रुपये का परिवर्तन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहमत सम-मूल्य पर आधारित है जिसमें सितम्बर, 1949 से कोई पररिवर्तन नहीं हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों के अन्तर्गत समता मूल्य में एक प्रतिशत की घटा-बढ़ी की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वृहद् योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

1635. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में राजधानी में मकान बनाने के लिये वृहद् योजना के अनुसार निर्माण-कार्य में बहुत धीमी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा सुशीला नायर) : (क) और (ख). संलग्न विवरण **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3300/64] से पता चलता है कि मकान बनाने के लिये दिल्ली की बृहद् योजना में निर्धारित लक्ष्य का काफी भाग प्राप्त कर लिया गया है।

गर्भ-निरोधक वस्तुएं

1636. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रामपुरे :
श्री कोया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री परिवार नियोजन वस्तुओं के बारे में 30 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में गर्भ-निरोधक वस्तुओं के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब और कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी पूंजी लगेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में रबड़ की गर्भ-निरोधक वस्तुएं बनाने का प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकार

1637. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या लोक-लेखा समिति द्वारा अपने 18 वें प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के लिये एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों और निर्देश पदों की कब तक घोषणा कर दी जावेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) लोक-लेखा समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करने की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है । तथापि, उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार दिल्ली विकास प्राधिकार के गठन, अधिकारों, कृत्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में पूनर्विचार करे और वह किया जा रहा है । तथापि, सरकार का यह मत है कि दिल्ली विकास अधिनियम, के संशोधन के बाद, जो कि संसद् द्वारा दिसम्बर, 1963 में पारित किया गया था, प्राधिकार का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है और इसको वृहद् योजना की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं जिसका उद्देश्य दिल्ली का समुचित विकास है ।

प्राधिकार के कार्यालय में काम की वर्तमान प्रक्रिया और तरीके में मितव्ययता और कुशलता की दृष्टि से सुधार करने के लिये यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इसको परामर्ष देने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के गठन तथा प्रक्रिया विभाग से एक पदाधिकारी लिया जाये। इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवार नियोजन के लिये वित्तीय सहायता

1638. श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गहन ग्रामीण तथा नगरीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ करने के संघ सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ग) राज्य में यह योजना कब से आरम्भ होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार को 1962–63 में और 1963–64 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये क्रमशः 13.97 लाख रुपये और 6.09 लाख रुपये का सहाय्य अनुदान दिया गया और 1964–65 के लिये 26·26 लाख रुपये का आवंटन किया गया ।

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य में गहन ग्रामीण तथा नगरीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है ।

नई दिल्ली में जीवन-बीमा निगम का भवन

1639. **श्री सुरेंद्र पाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार और नई दिल्ली नगरपालिका ने पार्लियामेंट स्ट्रीट और जनपथ के निकट जीवन बीमा निगम के अपनी 30 से 40 मंजीली एक ऊंची इमारत बनाने के प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां की हैं और निगम ने इन आपत्तियों और अड़चनों को दूर करने के लिये वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने यदि कोई कदम उठाये हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं । यह निर्णय किया गया है कि जीवन बीमा निगम को इमारत बनाने दी जाये और दिल्ली विकास प्राधिकार के कुछ सुझावों को मान लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेश-स्थित भारतीयों द्वारा धन का भेजा जाना

1640. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन स्थित अधिकांश भारतीय श्रमिक अवैध तरीके से नियमित रूप से अपने घरों को धन भेज रहे हैं ;

(ख) उन के भारत में धन भजने की सामान्य प्रक्रिया क्या है ; और

(ग) विदेश-स्थित भारतीयों द्वारा सामान्य तरीका छोड़ कर गुप्त तरीके अपनाये जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). इन लोगों द्वारा अवैध तरीकों से धन भेजे जाने के कुछ मामले हुए हैं। इस बारे में अपनाये गये तरीकों का पता नहीं है और इस कारण इन गुप्त तरीकों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

Rural Works Division

1641. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the question of transferring the Rural Work Division of Plann-

ing Commission to the Ministry of Community Development is under the consideration of the Central Government ;

(b) if so, when it is likely to be affected ; and

(c) the reasons therefore?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). In order to facilitate the linking up of the Rural Works Programme with other rural development programmes of a community nature, the administrative responsibility for the Rural Works Programme was transferred from the Plannning Commission to the Ministry of Community Development and Cooperation with effect from 1-9-64. Accordingly, the Rural Works Division of the Planning Commission has also been transferred to that Ministry from that date.

खाद्य अपमिश्रण

1642. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कलकत्ता किरयाना (मसाला) व्यापारी संघ ने खाद्य-निरीक्षकों के पास उचित परीक्षण यंत्रों के अभाव में उत्पादों के रासायनिक स्तर के बारे में खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम में संशोधन करने के लिये कोई अभ्यावेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). इस संघ ने अभ्यावेदन किया है कि खाद्य अपमिश्रण रोक निमय, 1955 में निर्धारित सभी मसालों की किस्म का स्तर उसकी अपनी किस्म के आधार पर आधारित हो और इन नियमों में निर्धारित रासायनिक परीक्षण समाप्त किया जाये।

नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मसालों की किस्म के स्तर की केन्द्रीय खाद्य पदार्थ स्तर समिति की एक उप-समिति द्वारा जांच की गयी है । उस समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

जीवन बीमा निगम की आवास योजनायें

1643. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की नयी आवास योजना में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी पालिसियां दी गयी हैं और इन पालिसियों की राशि कितनी है ; और

(ग) इस ऋण के दिये जाने के बारे में पालिसी होल्डरों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 46.90 लाख रुपये के मूल्य की 512 मौजूदा पालिसियों के अतिरिक्त 31 जुलाई, 1964 तक इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिये जमानत के तौर पर जीवन बीमा निगम के पक्ष में अभिहस्तांकित करने के लिये 20.05 लाख रुपये की 121 नई पालिसियां दी गयी हैं।

(ग) 1,576 (31, जुलाई, 1964 तक)

पेरियार परियोजना

1644. **श्री प्र० के० देव** : : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरियार परियोजना आरम्भ हो गई है ;

(ख) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयी है और केन्द्र और राज्य ने लागत का कितना-कितना अंश वहन किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पेरियार परियोजना का प्रथम चरण दूसरी योजना में, मई, 1959 में पूरा हो गया था जिसमें प्रति 35,000 किलोवाट के तीन जनरेटिंग यूनिट शामिल हैं। परियोजना का दूसरा चरण जिसमें 35,000 किलोवाट का एक चौथा जनरेटिंग यूनिट लगाये जाने की व्यवस्था है, वर्ष 1965 के आरम्भ में पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) इस योजना में मदुरै कस्बे के लगभग 40 मील दक्षिण-पूर्व में पेरियार नदी के सिंचाई जलाशय से चलने वाली मौजूदा सिंचाई नहर के मुहाने पर 78 लाख यूनिट की क्षमता का एक विनियामक जलाशय बनाने और फिर वहां से 4180 फुट लम्बी एक दूसरी नहर बनाने की व्यवस्था है जिस से प्रति 35,000 किलोवाट की क्षमता के 3 जनरेटिंग यूनिट, जो 1959 से चालू हैं और एक चौथा यूनिट बन रहा है, के बिजली घर को पानी पहुंचाती है । बिजली उत्पादन के लिये लगभग 1283 फुट का एक "हैड" उपलब्ध है ।

(ग) पेरियार योजना के प्रथम चरण की प्राक्कलित लागत 1048 लाख रुपये "हैड" और दूसरे चरण की 94 लाख रुपये। इस योजना की लागत को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बांटा नहीं जा रहा है ।

पश्चिम-बंगाल द्वारा मांगी गयी सहायता

1645. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में हुए पिछले उपद्रवों के कारण हुए अप्रत्याशित भारी व्यय के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 1963–64 में सहायता कार्य में व्यय के लिये, जिसमें कलकत्ता में उपद्रवों सम्बन्धी सहायता कार्यों पर व्यय भी शामिल है, 'लेखा' आधार पर एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है ।

पंजाब में भारी तथा मध्यम उद्योग

1646. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में भारी तथा मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अधिक धन आवंटित करने को कहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

सार्थों द्वारा कम मूल्य का बीजक बनाया जाना तथा अधिक मूल्य का बीजक बनाया जाना

1647. **श्री राम चन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री 9 अप्रैल, 1961 के तारांकित प्रश्न संख्या 984 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्रवर्तन निदेशक द्वारा सरकार को दी गयी योजना पर, जिस में निर्यात के कम मूल्य के बीजक बनाने और आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने को रोकने के उपायों का सुझाव दिया गया है, तब से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). इस योजना पर विचार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किये गये हैं।

सुवर्ण रेखा नदी

1648. **श्री राम चन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 12 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 544 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा सुवर्ण रेखा नदी (उड़ीसा) के पानी का उपयोग करने की योजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं का परीक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी , हां ।

(ख) सुवर्ण रेखा नदी के पानी के इस्तेमाल के बारे में इंजीनियर स्तर पर एक समझौता हो गया है ।

कोयले के परिवहन की समस्या

1649 **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वित्त** मंत्री 28 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिवहन सम्बन्धी समस्या पर विश्व बैंक ने कोई अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है । प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रियाएं यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे मंत्रालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1650. **श्री गुलशन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय निम्न और उच्च श्रेणी के कुल कितने क्लर्क हैं जिन्हें अभी तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है; और

(ख) उन्हें सरकारी मकान मिलने की कब संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). राज सम्पत् निदेशालय यह आंकड़े नहीं रखता कि किस मंत्रालय/विभाग में कितने कर्मचारी हैं । तथापि रेलवे मंत्रालय ने सूचना दी है कि 217 निम्न श्रेणी के क्लर्कों और 62 उच्च श्रेणी के क्लर्कों को अभी क्वार्टर नहीं मिले हैं । क्वार्टर मंत्रालय / विभाग के हिसाब से नहीं दिये जाते । क्वार्टर पात्र कार्यालयों में अधिकारियों के काम करने की प्राथमिकता की तिथि के अनुसार दिये जाते हैं । रेलवे मंत्रालय के निम्न और उच्च श्रेणी के क्लर्कों को सरकारी क्वार्टर उनकी बारी पर दिये जायेंगे । कोई समय बताना कठिन है क्योंकि इस समय एक लाख से भी अधिक आवेदन पत्र आये हुए हैं जब कि उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या केवल 36,000 के लगभग है ।

आय कर की बकाया राशि

1651. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में 30 जून, 1964 को आय कर की कुल कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : 30 जून, 1964 को पंजाब में आय कर के रूप में कुल 5.33 करोड़ की राशि बकाया थी ।

पंजाब में राजस्व संग्रह

1652 **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 और 1963 में पंजाब राज्य से (सर्किल वार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : 1962–63 में पंजाब राज्य से (सर्किल वार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में निम्न लिखित राशियां प्राप्त हुईं :—

	1962	1963
	1000 रुपयों में	1000 रुपयों में
अमृतसर . .	1,11,30	2,33,68
गुरदासपुर . . .	46,80	66,84
चंडीगढ़ . .	1,73,55	2,00,74
जालिन्धर	1,38,34	1,33,98
लुधियाना	59,83	84,92
रोहतक . . .	1,01,49	1,20,34
यमुनानगर	2,83,56	3,07,90
गुड़गांव	2,48,84	3,95,46
कुल .	11,63,71	15,43,86

बीमा एवं गृह-योजना

1653 **श्री राम चन्द्र मलिक :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मोहन नायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बीमा एवं गृह सम्बन्धी अग्रिम योजना के अन्तर्गत लगभग 400 फ्लेट बनाये जा रहे हैं ;

(ख) ये फ्लैट कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ; और

(ग) इन 400 फ्लैटों के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण परियोजना के लिये कुल कितनी राशि मंजर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1964-65 में दिल्ली विकास प्राधिकार ने जन-साधारण को जीवन बीमा से सम्बन्धित किराया-खरीद के आधार पर देने के लिये 3,200 फ्लेट बनाने का निर्णय किया है। इनमें से 180 फ्लैटों का निर्माण पहले से जारी है और आशा है कि ये जनवरी, 1965 के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेंगे ।

1234 फ्लैटों के निर्माण के लिये हाल ही में टेंडर प्राप्त हुए हैं और इनका कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जायेगा। आशा है कि अक्तूबर, 1965 तक ये बन कर तैयार हो जायेंगे।

शेष फ्लैटों के डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और इनका निर्माण मार्च, 1965 तक आरम्भ हो जायेगा।

(ग) और (घ). 3,200 फ्लेटों की संम्पूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 432 लाख रु० है।

क्षय रोग केन्द्र

1654. **श्री राम चन्द्र मलिक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्षय रोग केन्द्रों को दवाइयों के संभरण के लिये भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में से क्षय रोगियों को कोई अतिरिक्त सहायता दी गई थी अथवा देने का विचार है; और

(ग) उन रोगियों के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी राशि दी गई अथवा देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के टी० बी० क्लिनिकों/ टी० बी० प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को क्षय रोग विरोधी दवाइयां देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख रु० की राशि का उपबन्ध किया गया है। क्षय रोगियों के लिये सहायता की योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान से आये विस्थापित क्षय रोगियों को क्षय रोग विरोधी दवाइयां देने के लिये 40,000 रु० की एक अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई है ।

(ग) उड़ीसा में विस्थापित क्षय रोगियों को क्षय रोग विरोधी दवाइयां देने के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है। परन्तु क्षय रोगियों के उपचार के लिये उड़ीसा के टी० बी० क्लिनिकों को 14,469.30 रु० के मूल्य की क्षय रोग विरोधी दवाइयां अब तक दी जा चुकी हैं।

"कैट-गट" का आयात

1655. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशों से "कैट-गट" के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्वदेशी "कैट-गट' कुछ विशेष प्रकार की शल्य चिकित्सा में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त और साकारत्मक रूप से खतरनाक समझे जाते हैं; और

(ग) 1963–64 में "कैट-गट" के आयात पर कुल कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) कैट-गट के आयात पर लाल किताब (शल्य चिकित्सा के औजार, उपकरण आदि जो मुख्यत: रबड़ और शीशे से नहीं बनाये जाते) की प्रविष्टि 93-94 (ई)/ की द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और "कैट-गट" के आयात की मात्रा पर काफी समय से कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं ।

(ख) देश में मैसर्स जोनसन एंड जोनसन, बम्बई ही "कैट-गट" के एक मात्र निर्माता हैं और उनके द्वारा निर्मित "कैट-गट' की किस्म के बारे में कोई शिकायत सुनने में नहीं आई है सिवाय इसके कि कलकत्ता के अस्पतालों के शल्य चिकित्सकों ने इस फर्म के द्वारा निर्मित "कैट-गटों" के बारे में समाचार पत्रों को सामान्य शिकायत की है कि "कैट-गट" मानक स्तर का नहीं है क्योंकि इसकी तनाव की शक्ति असंतोषजनक है और इसके देर के प्रचषण से ोप पैदा हो जाती है । केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला इस "कैट-गट" का परीक्षण कर रही है ।

(ग) 1963-64 में अब तक 2,30,86 । रु0 के "कैट-गट" आयात किये गये हैं ।

T. B. Hospitals

1656. Shri Veerappa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) Whether Government have decided to give grants-in-aid to T. B. Hospitals set up by the State Governments/Voluntary Organisations during the Second and Third Plans ;

(b) if so, the amount of aid given in 1963-64 and that proposed to be given during 1964-65 and 1965-66 ; and

(c) the amount of aid proposed to be given to Mysore State ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar):(a)There is at present no scheme of the Central Government for giving grants-in-aid to T. B. Hospitals set up by State Governments. *Ad-hoc* non-recurring grants for the purchase of equipment and for minor works are, however, sanctioned to voluntary medical institutions including T. B. Hospitals and those which may have facilities for treating Tuberculosis cases. These grants are paid on the recommendation of a committee set up by the Health Ministry. Proposals are considered as and when received through the State Governments. Grants are also sanctioned to certain voluntary T. B. institutions for their maintenance or for the reservation of beds for poor/displaced T. B. patients.

The Government of India are giving grants-in-aid for the maintenance of the following two T. B. Hospitals run by voluntary organisations :—

(*i*) Mehrauli T. B. Hospital, Delhi run by the Tuberculosis Association of India ; and

(*ii*) Childrens' ward in the Union Mission Tuberculosis Sanatorium, Madanapalle run by the Mission authorities.

(b) The grants given to the T. B. voluntary institutions including the Mehrauli T. B. Hospital and Union Mission Tuberculosis Sanatorium, Madanapalle during 1963-64 and 1964-65 (upto the end of August, 1964 are shown below :—

	Rs.
(*i*) 1963-64	12,96,482
(*ii*) 1964-65	5,65,764

Proposals for giving grants during 1965-66 will be considered at the appropriate time.

(c) No grants are paid to institutions run by State Governments or local bodies.

पश्चिम बंगाल में डिपथीरिया के रोगी

1657. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में हाल ही में डिपथीरिया का रोग बड़े पैमाने पर फैल गया है ;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों में अब तक कितने रोगी आये हैं; और

(ग) इसके उन्मूलन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गत जुलाई से डिपथीरिया का रोग जोर पकड़ रहा है ।

(ख) पता लगा है कि जुलाई, और अगस्त, 1964 में अस्पतालों में डिपथीरिया के 2294 रोगी दाखिल किये गये जिनमें से 149 व्यक्तियों की मृत्यु हुई :

(ग) निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं:—

1. ट्रिपल एंटीजन द्वारा बच्चों को डिपथीरिया, ध्यनुरोग और काली खांसी से छुटकारा दिलाने के लिये राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1960 से एक योजना चालू की है और इसके लिये कलकत्ता के विभिन्न अस्पतालों में रोग विमुक्ति केन्द्र खोले गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को 5–6 सप्ताह के बाद 3 टीके लगाये जाते हैं और पूरे कोर्स के लिये केवल 1 रु० लिया जाता है। गरीब रोगियों को टीका मुफ्त लगाया जाता है।

2. सदर सब डिवीजन के अस्पताल और कलकत्ता के बाहर के क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में छूत रोग विमुक्ति केन्द्र खोलने के लिये नवम्बर, 1962 से योजना का विस्तार कलकत्ता के बाहर के क्षेत्रों में भी किया गया है ।

3 जुलाई, 1964 तक 10,808 बच्चों को ट्रिपल ऐंटीजन के टीके लगा कर छूत के रोगों से विमुक्ति दिला दी गई है।

4. राज्य सरकार एक और योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत 5–10 साल की आयु के स्कूल जाने वाले सभी संभाव्य बच्चों को, जो इस समय कलकत्ता में रहते हैं ट्रिपल एंटिजन के टीके लगा कर छूत के रोगों से मुक्त किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को, योजना आरम्भ करने के 3 या चार मास के अन्दर अन्दर, ट्रिपल ऐंटिजन के 3 टीके लगा कर छूत के रोगों से छुटकारा दिलाया जायेगा।

Rise in Sub-Soil Water

1658. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the level of the sub-soil water has gone up in, some parts of New Delhi ;

(b) the areas where this level has particularly gone up ; and

(c) the steps taken to check it ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) The level has gone up in the Safdarjang, Race Course, Central Vista, Golf Links, Exhibition Grounds, Indraparastha, Connaught Place, Chanakyapuri and Satya Marg areas.

(c) Sub-soil water is being pumped out by nearly 300 tube wells installed for the purpose.

उड़ीसा की वित्तीय स्थिति

1659. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) क्या उस अभ्यावेदन की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार को वित्तीय स्थिति के बारे में कोई जांच की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मकान

1660. श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :

क्या **निर्माण और आवास,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह प्रस्ताव है कि औद्योगिक नियोजकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे अपने कर्मचारियों के लिये मकान की व्यवस्था करें; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के ब्योरे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

हेमावती और हरंगी परियोजनायें

1661. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की हेमावती तथा हरंगी परियोजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये परियोजनायें केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदनों के राज्य सरकार से प्राप्त होने की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

बम्बई में अरबी राष्ट्रजनों के पास से पकड़ा गया सोना

1662. **श्री बै० न० कुरील** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अगस्त, 1964 को अथवा इसके लगभग दो अरबी राष्ट्रजनों के पास से, जो कि वहां फारस की खाड़ी से जहाज द्वारा आये थे, बम्बई के प्रशुल्क अधिकारियों ने 430 तोला सोना पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 22 अगस्त, 1964 को बम्बई के प्रशुल्क अधिकारियों ने दो अरबी राष्ट्रजनों को गिरफ्तार किया था जो कि फारस की खाड़ी से वहां आये थे और प्रत्येक के पास एक एक स्टील का ट्रंक था। जांच करने पर यह पाया गया कि उन ट्रंकों पर ऐसा रोगन किया हुआ था जिसमें सोने का चूरा मिला हुआ था। ट्रंकों से निकाले गये रोगन के चूरे के नमूनों के परीक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि उससे लगभग 4514 ग्राम सोने का चूरा निकल सकता है । इसके अतिरिक्त, इन याचियों की तलाशी लेने पर उसमें से एक के पास 10 ग्राम सोना निकला था ।

(ख) इन दोनों व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है । यह कार्यवाही वैभागिक न्यायनिर्णयन के अतिरिक्त होगी ।

केन्द्रीय माल लदान केन्द्र

1663. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व दामोदर घाटी निगम ने एक केन्द्रीय माल लदान केन्द्र बनाने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह पूरा हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस योजना को पूरा करने के हेतु परामर्शदात्री इंजीनियरी फर्म को नियुक्त करने और उपकरण को प्राप्त करने के लिये खुली निविदाओं को आमंत्रित करने की आम प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस योजना के कार्य को पूरा करने के लिये बहुत विशेष प्रकार के उपकरण का आयात किया जाना है जिसके लिये निविदायें भेजने वालों के समय लम्बी बातचीत तथा उपकरण के चयन के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम को परामर्श देने के लिये विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति आवश्यक है । दामोदर घाटी निगम विद्युत् प्रणाली, रिहन्द तथा पश्चिम बंगाल सरकार के दुर्गापुर बिजलीघर के एक समय में काम करने से कुछ अतिरिक्त टेलीमीटरिंग और दूर-संचार उपकरणों की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया तथा अन्य रेडियो ट्रांसमिशनों में किसी बाधा को न होने देने के लिये फ्रीक्वेंसी योजना में भी परिवर्तन अनिवार्य हो गया । इस सब कार्य में समय लगा है और इसलिये अभी तक इस योजना को अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं हो सका है ।

(घ) जी, हां ।

पौंग बांध

1664. **श्री हेम राज :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास नदी पर पौंग बांध तथा सतलज-ब्यास सम्पर्क योजना के निर्माण से जितनी संख्या में और जो जो गांव जलमग्न हो जायेंग उन के अन्तिम अनुमान तैयार किये गये हैं ; और

(ख) इनके निर्माण से राज्यवार और जिलावार जितनी जनसंख्या में लोग विस्थापित हो जायेंगे उनके अन्तिम अनुमान क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नगर पालिकाओं और निगमों के लिये ऋण तथा अर्थ सहायता

1665. **श्रीमती रेंणुका बड़कटकी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजनायें हैं जिन के अन्तर्गत विकास एवं अन्य

कार्यों के लिये नगरपालिकाओं तथा निगमों को ऋण और अर्थ सहायता उपलब्ध की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना में ऋण/अर्थ सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गयी ; और

(ग) किन किन नगरपालिकाओं तथा निगमों को इस प्रकार की सहायता दी गयी और कितनी कितनी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारत सरकार दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका को विकास एवं अन्य कार्यों के लिये ऋण तथा अर्थ सहायता देती है। अन्य संघ राज्य क्षत्रों में ऐसे निकायों को सम्बद्ध प्रशासनों के जरिये इस प्रकार की सहायता दी जाती है। राज्य में स्थानीय निकायों को ऋण एवं अर्थ सहायता सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है ।

(ख) और (ग). संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय निकायों सम्बन्धी सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल. टी. 3301/64] राज्यों में अन्य स्थानीय निकायों सम्बन्धी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

Staff Cars

**1666. { Shri Sinhasan Singh :
Shri Brij Basi Lal :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of staff cars in various offices of the Central Government situated in Delhi in 1952 and 1964 along with the break-up of the figures Ministry-wise ;

(b) whether these staff cars can be utilized for personal use and if so, the conditions laid down in this regard; and

(c) the amount paid by different Ministers during 1963-64 on account of the staff cars taken for personal use?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (c). The requisite information is being collected from the various Ministeries/Departments and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) The rules permit the use of staff cars on non-duty journeys by senior officers for ;

(*i*) Occasional journeys between residence and office ; and

(*ii*) urgent visits to hospitals.

The use of staff cars is not permissible for journeys to places of entertainment, public amusements, parties and pleasure trips, etc., or by officers on leave.

Charges for non-duty use are leviable at the rate of 44 paise per kilometer for big cars and 31 paise per kilometer for small cars, in addition to detention charges at the rate of Rs. 0.60 per hour. Any over-time allowance payable to the chauffeur is also recovered from the officer using the car.

गोदावरी तथा कृष्णा नदियों का जल

1667. **श्री चन्द्रिकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुलाटी आयोग के प्रतिवदन के अनुसार प्रस्तावित गोदावरी नदी के पानी के रूख को कृष्णा नदी की ओर करने की सुकरता को स्थापित करने के लिये लगभग छः मास में सर्वेक्षण करने तथा प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना प्रतिवेदन तैयार है और यदि नहीं, तो इसे प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). गोदावरी के पानी का रूख कृष्णा नदी की ओर करने के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल और क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। परियोजना प्रतिबेदन के लगभग जून, 1965 तक तैयार हो जाने की आशा है ।

सरकारी लेखन-सामग्री

1668. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **निर्माण, और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कार्यालयों को घटिया किस्म की लेखन सामग्री सम्भरित की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कदाना बांध परियोजना

1669. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माही नदी पर कदाना बांध परियोजना के सम्बन्ध में विवाद के बारे में राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के बीच समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस परियोजना की कार्यान्विति के बारे में अपनी अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह परियोजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विचाराधीन है ।

केरल के लिये जल संभरण योजनाएं

1670. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीची बावा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पीने के पानी के सम्भरण सम्बन्धी योजनाओं के लिये तीसरी योजना में कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केरल राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में नगरीय जल सम्भरण योजनायों के लिये 407 लाख रुपये तथा देहाती जल सम्भरण योजनाओं के लिये 50 लाख रुपये रखे गये थे । गांव जल सम्भरण योजनाओं के लिये राज्य की योजना में कोई धनराशि नहीं रखी गई है परन्तु स्थानीय विकास निधियों से योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वार्षिक आवंटन मंजूर किये जाते हैं।

(ख) केरल में नगरीय तथा देहाती जल सम्भरण जल सम्भरण योजनाओं पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में निम्नलिखित व्यय किया गया है :–

(1) नगरीय जल सम्भरण योजनाएं . . 87.64 लाख रुपये
(2) देहाती जल सम्भरण योजनाएं . . 13.14 "
(3) गांव जल सम्भरण योजनाएं . . 14.17 "

(ग) जिन योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :—

(क) नगरीय योजनाएं—2 निगम (त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट)
—1 पंचायत (ओट्टाप्पलम)
—12 म्युनिसिपैलिटीस

(ख) देहाती जल संभरण योजनाएं— 93 गांव

(ग) गांव जल संभरण योजनाएं— 91 गांव

चोरी-छिपे भारत में माल लाने के सबध में की गई गिरफ्तारियां

1671. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में भारत में चोरी-छिपे सोना, हीरे, घड़ियां, ट्रांसिसटर तथा शस्त्र और गोलाबारूद लाने के सम्बन्ध में कितने विदेशी तथा भारतीय गिरफ्तार किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चेचक उन्मूलन कार्यक्रम

1672. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम हरख यादव:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेचक के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंग के रूपमें एक व्यापक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). चेचक सम्बन्धी एक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता पर भूतकाल में काफी बार विचार किया गया है । इस विषय पर एक केन्द्रीय विधान बनाने की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि यह महसूस किया गया कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 के उपबन्धों को लागू करने से स्थिति को काबू में किया जा सकेगा । फिर भी, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक में इस प्रश्न पर फिर विचार किया जायेगा ।

Loans to Agricultural Labourers for Housing

1673. Shri B. N. Kureel : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have earmarked any amount for giving assistance to landless agricultural labourers in Uttar Pradesh for the purpose of constructing houses under the Third Five Year Plan ; and

(b) if so, the amount thereof?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). No separate allocation is made to States for provision of house-sites to landless agricultural workers. States can, however, utilize for this purpose funds up to one-third of their annual allocations under Village Housing Projects Scheme. The Third Plan allocation of Uttar Pradesh for the Scheme is Rs. 225 lakhs. They have however drawn Rs. 14·56 lakhs only during the first three years of the Plan and have made a provision of Rs. 5 lakhs in the current financial year.

Payment of T. A. to Planning Commission Members

1674. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state the total amount of travelling allowance paid to the members of the Planning Commission in the year 1963-64 ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Amount of T.A./ D.A. paid	Expenditure on air journeys	Expenditure on h.o.r. journeys	Total
Rs. 9,791·85	Rs. 30,399·00	Rs. 21,665·60	Rs. 61,856·45

Research Staff in Planning Commission

1675. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total number of research officers and senior research officers working in Planning Commission ;

(b) the number of those selected on the recommendation of the Union Public Service Commission and the number of those who have been appointed by promotion or direct recruitment ; and

(c) the number of those out of them who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See No. LT.* 3302/64]

Development of Libraries

1676. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state ;

(a) whether any panel of experts has been formed for development of libraries under the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the names of members thereof ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes. The Planning Commission has set up a Working Group on Libraries to formulate proposals for the development of Libraries in the Fourth Plan.

(b) The necessary information is given in the enclosed statement. [*Placed in Library. See No. L.T.*-3303/64]

डम्बरू जल विद्युत् परियोजना

1677. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा त्रिपुरा की डम्बरू जल-विद्युत् परियोजना स्वीकार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

1492 (ai) LSD—6.

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) त्रिपुरा में डम्बरू जल-विद्युत् परियोजना को, जिसे गुमती जल-विद्युत् परियोजना भी कहते हैं, तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार करने योग्य समझा गया है किन्तु अभी योजना आयोग द्वारा योजना को कार्यरूप देने की स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन करने हैं ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन से प्राप्त 314.22 लाख रुपये के वर्तमान प्राक्कलनों पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार परिवर्तन किये जाने के बाद ही लागत का अनुमान ज्ञात हो सकता है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ।

Direct Taxes Administration Enquiry Committee

1678. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 249 on the 10th September, 1964, regarding the recommendations of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee and state;

(a) the action taken on recommendation contained in para No. 8·89 of the Report of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee and whether it was also sent to the U.P.S.C.; and

(b) the opinion given by the U.P.S.C. in this connection and the decision taken thereon?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). The recommendation of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee was not accepted fully. It was not accepted at all in regard to promotions from L.D.Cs. to U.D.Cs. As regards promotions from U.D.C.s. to Inspectors, the recommendation was accepted with modifications under which seniority as well as the date of passing the examination would be taken into account while drawing up the panel for promotions. The modified formula was enforced but the U.P S.C.were not consulted as it was not necessary. The question of having a similar formula in respect of promotion of Inspectors as I.T.Os, Class II, was also considered and a proposal to that effect sent to the U.P.S.C. The U.P.S.C. however advised against such a formula and the proposal was thereafter dropped.

उत्तर प्रदेश में सम्पदा-शुल्क का निर्धारण

1679. श्री रणंजय सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सम्पदा शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी ऐसे कितने मामले हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से अनिर्णित पड़े हैं और जिन्हें 15 सितम्बर, 1964 तक नहीं निपटाया गया है ; और

(ख) इन अनिर्णित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये है या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

(क) 44 मामले ।

(ख) सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को अनिर्णित मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये अनुदेश दिये गये हैं ।

Recovery of Income Tax in Kannauj

1680. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax arrears due from persons living in Kannauj town in district Farrukhabad ; and

(b) the action taken to realise the tax arrears :

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

नागपुर निगम का जल संभरण विभाग

1681. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर निगम के जल संभरण विभाग को नागपुर स्थित केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्था को सौंपा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) राज्य सरकार ने बताया है ऐसा कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वार्षिकी जमा योजना

1682. **श्री लहरी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिकी जमा योजना 1 अक्टूबर, 1964 से चालू की जायेगी ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों को वर्ष 1964–65 की राशि 28 फरवरी, 1965 से पहले, अर्थात् योजना लागू होने के पांच महीनों के अन्दर, जमा करनी पड़ेगी जिससे उन्हें बहुत कठिनाई होगी ;

(ग) क्या वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत कुल आय का हिसाब लगाते समय केन्द्रीय सरकारी पदाधिकारियों द्वारा दी जाने वाली आयकर की राशि तथा भविष्य निधि में उनके अंशदान को ध्यान में नहीं रखा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार, योजना को कार्यरूप देने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1963–64 की वेतन से होने वाली आय के सम्बन्ध में, जिस पर कि 1964–65 में कर निर्धारण होना है, कोई वार्षिकी जमा नहीं करनी पड़ेगी । चालू वित्तीय वर्ष में वेतन से होने वाली आय पर पिछली राशि को निर्धारित किस्तों में जमा करना होगा । अन्तिम किस्त 15 मार्च 1965 से पहले जमा करनी होगी ।

(ग) वार्षिकी जमा की राशि का हिसाब "समायोजित कुल आय" के अनुसार लगाया जाता है । "समायोजित कुल आय का हिसाब लगाते समय वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त आयकर की राशि तथा भविष्य निधि के अंशदान को घटाया नहीं जाता है।

(घ) सरकार इस बात को नहीं मानती है कि इस योजना को कार्यरूप देने से बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को किस प्रकार की कठिनाई होती है ।

राजस्थान में पेय जल का सम्भरण

1683. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पहले उन्होंने पीने के पानी की सम्भरण स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये बीकानेर के अकालग्रस्त क्षेत्रों तथा राजस्थान में इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के समय उन्होंने क्या क्या बातें देखीं ;

(ग) इन क्षेत्रों में पीने के जल के अत्याधिक अभाव को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा क्या योजना, यदि कोई हो, तैयार की है, और इस का क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गत अकाल के समय कितनी सहायता, यदि कोई दी गई हो, दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां । राजस्थान में पीने के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, विशेषत: सीमावर्ती क्षेत्रों तथा बीकानेर जिले में लुंकारांसर क्षेत्र में पानी के सम्भरण सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिये मैंने अप्रैल, 1964 में इन क्षेत्रों का दौरा किया था ।

(ख) मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि कुछ स्थानों में पानी की सप्लाई की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सहायक अनुदान दिया जाता है, वर्ष 1964 के

लिये बीकानेर जिले की निम्नलिखित ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं को स्वीकार किया गया है :—

योजना का नाम	अनुमानित लागत
1. सिन्थल जल सम्भरण योजना .	1.68 लाख रुपये
2. कालू जल सम्भरण योजना	1.62 लाख रुपये
3. काकरा जल सम्भरण योजना	1.13 लाख रुपये
4. चत्तरगढ़ जल सम्भरण योजना	0.21 लाख रुपये
5. सुरपुरा जल सम्भरण योजना .	1.00 लाख रुपये

बीकानेर जिले में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये समन्वित जल सम्भरण योजना सम्बन्धी एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन हाल में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्र सरकार राजस्थान में ग्रामीण जल-सम्भरण के लिये राज्य सरकार को 63 लाख रुपये तक की सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ।

सफदर जंग के पास सड़क को चौड़ा करना

1683-क . **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सफदरजंग मदरसा और सफदरजंग अस्पताल के बीच सड़क के चौड़ा करने के कार्य को पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो काम को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने इस कार्य के पूरा होने में विलम्ब के निम्नलिखित कारण बताये हैं :—

(एक) सब-स्टेशन, कर्मचारियों के क्वार्टरों तथा नलकूपों आदि को स्थानान्तरित करना ।

(दो) अपेक्षित अतिरिक्त भूमि को अर्जन करने में कठिनाई ।

(ख) नगरनिगम द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है और आशा है सड़क चौड़ा करने का कार्य दिसम्बर, 1964 तक पूरा हो जायेगा ।

व्यवस्था का प्रश्न
POINT OF ORDER

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11 से सम्बन्धित अपने व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे रहा हूं किन्तु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल माननीय सदस्य द्वारा मुझे अनुमति के लिये लिखने से अनुमति नहीं दी जाती है । उन्हें मुझ से पूछ लेना चाहिये कि उन्हें सहमति दी गई है या नहीं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : महोदय, मुझे किस तरह मालूम करना चाहिए ? मैं ने समझा प्रश्न उठाने का यही उचित समय है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को खड़ा होना चाहिए । यह उचित नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपना कर्त्तव्य पालन कर रहा हूं, अल्प सूचना प्रश्न संख्या 11 को इसके महत्व तथा उपयुक्तता के परिणाम स्वरूप आपने स्वीकार किया था और मंत्री महोदया इसके उत्तर देने के लिये सहमत भी हो गई थीं । हमें बताया गया था कि आज अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10 के बाद इस प्रश्न को लिया जायेगा । अब हमें बताया जा रहा है कि इस प्रश्न को सूची में से निकाला जा रहा है । इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान नियम संख्या 54 की ओर दिलाता हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि अल्प सूचना प्रश्न की ग्राह्यता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय यदि समझें कि प्रश्न वास्तव में लोक महत्व का है तो वे सम्बन्धित मंत्री से मालूम करेंगे कि क्या वह इसका अल्प सूचना प्रश्न के रूप में उत्तर दे सकते हैं । यदि माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं तो वह प्रश्न का उत्तर देने की तिथि अध्यक्ष महोदय को बता देते हैं जिसकी सूचना प्रश्न पूछने वाले सदस्य को दे दी जाती है । यदि मंत्री महोदया अल्पसूचना का उत्तर न देना चाहें तो प्रश्न को मौखिक प्रश्नों की सूची में पहले क्रम पर रखा जाता है ।

जब कि यह प्रश्न इसकी ग्राह्यता को देख कर स्वीकार किया गया था और मंत्री महोदया इस का उत्तर देने के लिये तैयार थीं तो इस समय इसे प्रश्नों की सूची से निकालने का कोई औचित्य नहीं है । यह एक अनुचित पूर्व दृष्टान्त बन जायेगा और यह सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात करना होगा ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : इस प्रश्न को किसने निकाला ?

अध्यक्ष महोदय : स्वयं मैंने ।

श्री हेम बरुआ : . . . की सलाह पर . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सलाह का प्रश्न नहीं है। मैं ने सत्र के अन्तिम दिनों में एक से अधिक अल्प सूचना पूछने की अनुमति दी है । यह सच है कि मैं ने इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी है और मंत्री महोदया भी इसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं । मुझे प्रश्न के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । आज के लिये तीन अल्प सूचना प्रश्न पहले सूची में थे । इनके लिये कम से कम आधे घंटे का समय चाहिये । इस प्रश्न का तत्काल पूछा जाना अनिवार्य नहीं । इसे आप अगले सत्र में भी पूछ सकते हैं । इसीलिये मैंने इसे प्रश्नों की सूची से निकाल दिया । इसके अतिरिक्त और कोई विशेष बात नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ऐसे कई पूर्वोदाहरण मौजूद हैं जब कि एक दिन में तीन अल्प सूचना प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी । दूसरी बात यह है कि जब एक बार प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे प्रश्नों की सूची से क्यों निकाला जाता है । तीसरी बात यह है कि इस प्रश्न को निकलवाने के लिये मंत्री की ओर से अवश्य प्रयत्न किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही कहूंगा कि चूंकि सूची में तीन प्रश्न पहले ही थे इसलिये इसे शामिल नहीं किया गया । इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । इससे प्रश्न के महत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है । यदि माननीय सदस्य अगले सत्र में फिर प्रश्न की सूचना देंगे तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : शनिवार को क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शनिवार के लिये सूची में पहले ही तीन या चार अल्प सूचना प्रश्न हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह पहले से ही था ।

अध्यक्ष महोदय : आज के लिये तीन प्रश्न थे । मैं नहीं जानता कौन पहले से था । किन्तु हमने उनका क्रम निर्धारित किया है । यही बात मैं सभा के सामने स्पष्ट कह रहा हूं ।

श्री हेम बरुआ : कुछ लोगों का विचार है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री को पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सहायता नहीं मिली । यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह बात माननीय सदस्यों को पहले से ही पता थी इसलिये उन्हें पहले ही प्रश्न पूछना चाहिये था जिससे उन्हें अपेक्षित जानकारी मिल जाती । इसे वे नियमित प्रश्नों के साथ भी पूछ सकते थे । मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती ।

श्री बड़े (खारगोन) : क्या माननीय सदस्य का यह कहना सच है कि प्रश्न को सूची से निकालने के लिये आपके तथा मंत्री महोदया के बीच पत्र-व्यवहार हुआ था ?

अध्यक्ष महोदय : कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ । मुझे सब की बातें सुननी पड़ती हैं । माननीय मंत्री भी माननीय सदस्यों की भांति मेरे पास आ सकते हैं । मैं किसी की बात सुनने से इन्कार नहीं कर सकता हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, I received a letter from your office in which your consent is given. In spite of the fact that there were already three question s in the list, you gave your consent for the fourth therefore, I submit that this question should be taken just now otherwise it will establish a very bad precedent.

Mr. Speaker : I cannot take it now.

Shri Prakash Vir Shastri : Then postpone it for Saturday.

Mr. Speaker : I will see whether it is possible.

श्री हेम बरुआ : जितना समय इस प्रश्न के बारे में चर्चा करने पर लग गया उतने समय में प्रश्न का उत्तर ही दिया जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार बहस करने लगें तो मैं क्या कर सकता हूं ;

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम के गांवों में विद्रोही नागाओं द्वारा कथित लूटमार

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में वह एक वक्तव्य दें :–

> "विद्रोही नागाओं द्वारा आसाम के कुछ गांवों में, विशेषकर उत्तरी कचार पहाड़ियों में, कथित लूट मार करना ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य देना चाहता हूं वह लगभग 5 पृष्ठ में है । यदि आप उचित समझें तो मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे 5 म० प० बजे लेंगे ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं इस समय सभा को वक्तव्य के सारांश से अवगत कराऊंगा । आसाम राज्य सरकार से प्राप्त विस्तृत सूचना पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । अगस्त के महीने में विद्रोही नागाओं ने दो बार––एक 22 तारीख को दूसरा 28 तारीख को––आक्रमण किये । जिन गांवों पर उन्होंने आक्रमण किये थे उनके नाम चेरालिगांव, गोरजन और चौडंगपठार हैं । उन्होंने इन आक्रमणों के समय सरकारी और निजी सम्पत्ति को लूटा और कुछ मकानों में आग लगाई इन आक्रमणों के परिणामस्वरूप सम्पत्ति को हुई कुल क्षति का अनुमान लगभग एक लाख रुपये लगाया गया है ।

सितम्बर में विद्रोही नागाओं ने पुनः 15 और 22 सितम्बर के बीच कई बार आक्रमण किये । ये आक्रमण जिन गांवों पर किये गये उनके नाम सैंताप, छोटा अर्कीप, मुलकोई, बोरोबिके, पुराना पैंसे, छोटा बिको, जीनम आदि हैं । इन आक्रमणों में उन्होंने अग्नेय अस्त्रों समेत नकदी तथा कुछ अन्य वस्तुएं लूटीं और कुछ ग्रामीणों का भी अपहरण

किया । किन्तु सुरक्षा सेना द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप विद्रोही नागा जीरी नदी के मार्ग से भाग गये मालूम होते हैं, भागने से पहले उन्होंने अपहृत व्यक्तियों को छोड़ दिया ।

शिबसागर, संयुक्त मिकिर और उत्तरी कचार पहाड़ियों और कचार जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये नागा विद्रोहियों की गतिविधियों की अगाऊ सूचना एकत्रित करने के लिये सीमा गुप्तचर व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है । लोगों में मनोबल तथा विश्वास बनाये रखने के लिये पुलिस और सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है । वहां पर अब स्थिति सामान्य है । मैं इस वक्तव्य को सभा पटल पर भी रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3292/64 ।]

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि श्री फिजो पूर्वी पाकिस्तान में रह कर नागा विद्रोहियों का मार्ग दर्शन कर रहे हैं और नागा विद्रोही आसाम के गांवों में लूट कर हथियार लेने तथा श्री फिजो से आवश्यक अनुदेश लेने के लिये पूर्वी पाकिस्तान जाते हैं और वापस भारत लौट आते हैं ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई जानकारी विवरण में दी गई है ।

श्री हेम बरुआ : क्या श्री फिजो पाकिस्तान में हैं ?

श्री हाथी : इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या नागा विद्रोशियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर श्री फिजो का प्रभाव है और श्री फिजो के साथी शान्ति वार्ता असफल करने के षड़यंत्र में शामिल हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री हाथी : इतनी जल्दी कुछ कहना कठिन है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार ये घटनायें 15 और 22 सितम्बर के बीच हुईं जबकि वहां पर उस समय कार्यवाही स्थगित की गई थी ।

श्री हाथी : मैं ने कहा था इनमें से कुछ घटनायें अगस्त में भी हुई थीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : ये घटनायें उस समय हुई थीं जब शान्ति वार्ता चल रही थी । क्या श्री फिजो के प्रभाव में आकर विद्रोही नागाओं द्वारा पूर्वायोजित ढंग से ऐसा किय गया था ।

श्री हाथी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री बाजी (इन्दौर) : सितम्बर में किन तारीखों को आक्रमण किये गये थे और क्या उस समय शान्ति वार्ता चल रही थी ?

श्री हाथी : आक्रमण 15 और 20 तारीख के बीच किये गये थे ।

श्री हेम बरुआ : मैं आपसे मार्ग दर्शन करने के लिये प्रार्थना करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जायें यही मार्ग दर्शन मैं कर सकता हूं। (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य : उठे--

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या लूटमारों के बारे में पूर्व सूचना देने की कोई व्यवस्था की गई थी और क्या ये लूटमार हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा वहां काफी देर बाद पहुंचने के कारण हुई थी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हमने सुरक्षा के काफी उपाय किय हैं मदि फिर भी नागा लोग जब कभी कोई कार्यवाई करते हैं तो हम उसका मुकाबला करने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं, मह सच है कि लगभग शान्ति वार्ता के दिनों में ये घटनायें हुईं थीं। हमें यह बात धी समझनी चाहिये कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस वार्ता को सफल नही होने देना चाहते हैं। हम नागाओं के हाथों में खिलौने नहीं बनना चाहते हैं। यदि वे उचित मार्ग लेकर बात करना चाहें तो हम तैयार हैं किन्तु यदि उनकी मांग अनुचिद होती है यह स्पष्ट है कि सरकार उसे नहीं मानेगी और उनकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या वहां पर अगाऊ सूचना देने वाली कोई गुप्तचर व्यवस्था की गई है और क्या सुरक्षा बल की कमी तथा उसके समय पर न पहुंच सकने के कारण ये लूटमार की घटनायें हुईं थीं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस प्रकार की घटनायें आठ-दस वर्षों से होती आ रही हैं। हम ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। हमें काफी हद तक नागाओं की गतिविधियों के बारे में मालूम रहता है किन्तु फिर भी कभी कभी ये घटनायें हो ही जाती हैं। छिपे हुए नागा लोग छिप कर हमला कर देते हैं जिनके बारे में सदैव पता रहना संभव नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Whether it is a fact that Nagas in the batches of 400 or 500 go to Pakistan to receive training and come back to India and if so whether Government propose to strengthen our security arrangements on the borders so that the Nagas are prevented to cross the border.

Shri Lal Bahadur Shastri : Much has been said about it. Therefore I do not think needless to say anything more about it.

Shri Bagri (Hissar) : At the time of attack by the Naga hostiles peace talks were discontinued and again when the second round of talks was resumed the Naga hostiles suspended their activities. What are the reasons for it?

Shri Lal Bahadur Shastri : It is not a matter of great surprise. It may so happen sometime.

श्रीमती रेणुकाराय बड़कटकी (बारपेटा): यह खुशी की बात है कि नागाओं की गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं । किन्तु क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आसाम-नागालैन्ड सीमा तथा आसाम-मनीपुर पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था किये बिना वहां से सुरक्षा सेनाओं को हटाने से वहां के गांवों के लोगों में विद्रोही नागाओं की ओर से वहां असुरक्षा का भय छा गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक सुरक्षा सेनाओं का संम्बन्ध है, वे नागालैण्ड सीमा पर तैनात हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा का उत्तर दायित्व हमारी सुरक्षा सेनाओं पर है । मुझे विश्वास है कि वहां के निवासियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

'केअर' संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये दोपहर के भोजन से आन्ध्र प्रदेश में स्कूल के बच्चों की मृत्यु के बारें में

RE : DEATH OF SCHOOL CHILDREN IN ANDHRA PRADESH BY TAKING 'CARE' MID-DAY MEALS

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : महोदय, कुछ दिन पहले आपने आन्ध्र प्रदेश में स्कूल के बच्चों की हुई दुखदाई मृत्यु के बारे में शिक्षा मंत्री महोदय को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा था । प्रकाशित समाचार के अनुसार इसकी जांच के लिये नियुक्त की गई समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोट दे दी है । क्या इस बारे में सभा को भी कुछ जानकारी दी गई जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय शिक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं। अतः इसे इस समय नहीं लिया जा सकता ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

उत्तर प्रदेश विधान सभा बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर): मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में दी गई राय की ओर, जिसमें न्यायपालिका के कार्य का समर्थन किया गया है , विधि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए संविधान में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार के लिये अभी इस संबंध में अपने विचार प्रकट करना समय से पूर्व होगा । यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिये कहूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : आज मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकृत करने के बाद मंत्री महोदय द्वारा उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :उच्चतम न्यायालय का निर्णय तो सभी पढ़ चुके हैं। यदि माननीय मंत्री महोदय से ही सुनना चाहते हैं तो पढ़ कर सुना सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उनसे निर्णय पढ़ने के लिये नहीं कह रहा हूं । उत्तर प्रदेश के, एक के अतिरिक्त प्राय: सभी सदस्यों ने निर्णय किया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय मानने के लिये विधान सभा बाध्य नहीं है । क्या सरकार को इस बात का पता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके उनकी अध्यक्षता में एक बैठक बुलाने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में समाचार प्रकाशित हो चुका है । वे बैठक आयोजित कर सकते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : स्वयं राष्ट्रपति ने यह मामला उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिये उसे सौंपा गया था । राष्ट्रपति को सलाह देने वाली सरकार है। अत: जिस समय यह मामला उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार की राय देने के लिये भेजा गया था, सरकार के दिमाग में क्या बात थी और जो कुछ अब हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए तथा विधायकों की इस भावना को भी दृटि में रखते हुए कि उनके विशेषाधिकारों पर किसी प्रकार की आंच न आये, सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह सकता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थानी (नामनिर्देशित –आंग्ल भारतीय) अध्यक्ष महोदय , इससे पहले मेरा अनुरोध है (**अन्तर्बाधायें**)

एक माननीय सदस्य : पहले मंत्री महोदय को पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने दीजिये।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : जब तक पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, दूसरे माननीय सदस्य द्वारा अन्य प्रश्न पूछना न्यायसंगत नहीं है ।

श्री फ्रैंक एन्थानी ––उठे ।

श्री के० दे० मालवीय : माननीय सदस्य द्वारा इस तरह खड़ा होना उचित नहीं है.....(**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें। एक प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद ही दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है ।

विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन) : अध्यक्ष महोदय , श्री मुकर्जी ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि किन कारणों से सरकार को उच्चतम न्यायालय की राय जानने की आवश्यकता पड़ी । जिन परिस्थितियों में यह मामला उत्पन्न हुआ था वे सर्वविदित हैं। इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की लखनऊ बेंच ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली थी जिसे उत्तर प्रदेश विधान-सभा के अपमान के लिये दंडित किया गया था । और न्यायालय ने संबंधित

व्यक्ति को अन्तिरिम अनुतोष (इंटेरिम रिलीफो) प्रदान किया । इसके पश्चात् इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूरी पीठ के समक्ष और विधान-सभा में विभिन्न कार्यवाहियां हुई । यह सरकार के दो अंगों के बीच एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है जो संविधान के मूल से संबंधित है। हमारे विचार से सरकार के दो अंगों के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति ने इन परिस्थितियों में यही उचित समझा कि विधि संबधी प्रश्नों पर, अर्थात् विधान-सभा और उच्च-न्यायालय अथवा न्यायपालिका के क्षेत्राधिकारों पर, उच्चत्तम न्यायालय की राय ली जाये। प्रश्न यह है कि राज्य विधान मण्डलों तथा संसद् को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन विशेषाधिकारों के निर्वचन तथा अस्तित्व के बारे में निर्णय करने का संसद् तथा विधान मण्डलों का जो क्षेत्राधिकार हैं उस में न्यायालय किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकते हैं ?

उपरोक्त बातों को देखते हुए सरकार का यह मत था कि इस विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय को सौंप करके ही किया जा सकता है जो न्यायपालिका, विधान मंडल और संसद् के क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट करे और उनके विशेषाधिकारों के हत्वपूर्ण प्रश्न तथा इस बात का निर्णय करे कि क्या विधान मंडल के अवमान के लिये किसी व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकता है या नहीं ।

जो पांच प्रश्न सौंपे गये थे उन में से चार तो विशिष्ट थे और पांचवां सामान्य सा था । उच्चत्तम न्यायालय ने पांचों प्रश्नों के उत्तर न्यायपालिका के ही पक्ष में दिये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : संसद् सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न है ।

श्री अ० कु० सेन : किसी की आलोचना के बजाय विधायकों तथा न्यायपालिका के सदस्यों को यथासंभव आत्मसंयम से काम लेना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप इस संबध में उत्तर प्रदेश विधान सभा को सलाह दे रहे हैं ?

श्री अ० कु० सेन : उनके अपने विधि मंत्री तथा कानूनी सलाह कार हैं । अतः उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि . . .

श्री हनुमन्तैया : (बंगलौर नगर): राय ।

श्री अ० कु० सेन : यह एक निर्णय है ।

श्री हनुमन्तैया : निर्णय और राय में अन्तर है ।

श्री अ० कु० सेन : पारिभाषिक रूप से यह निर्णय नहीं कहा जा सकता है, किन्तु जब कोई विवाद न्यायालय के सामने आता है . . .

श्री हनुमन्तैया : माननीय मंत्री यदि गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम सभा की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है, श्री फ्रैंक एन्थानी द्वारा प्रश्न पूछने पर भी आपत्ति की गई थी ।

श्री अ० कु० सेन : जिस प्रकार प्रिवी परिषद् का मत महामहिम सम्राट के लिये केवल एक राय होती है उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय का मत निर्णय नहीं कहा जा सकता है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : यह मामला उसके समानांतर नहीं है ।

श्री हनुमन्तैया: महोदय, मुझे अवसर दीजिये मैं साबित कर दूंगा कि मंत्री महोदय गलत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस पर चर्चा करना चाहती है कि सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : महोदय, कानूनी पहलू को विधि मंत्री तथा अन्य कानून विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं । किन्तु यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है। हम इतना शीघ्र इस बारे में किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से भी बातचीत की है और उन्हें सलाह दी है कि कोई विशेष रवैया अपनाने से पहले इसके सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार करें और तभी हम किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस पर 3 अक्तूबर को चर्चा हो सकेगी । अतः इसे अगले सत्र में चर्चा के लिये लिया जा सकता है :

अध्यक्ष महोदय मुझे प्रधान मंत्री तथा सभा के नेता को एक बात के बारे में सूचित करना है। उच्चत्तम न्यायालय की राय घोषित हो जाने पर विधान मण्डलों के सदस्यों, विशेषरूप से पीठासीन पदाधिकारियों को काफी परेशानी महसूस हुई है और यदि हम उनका मार्गदर्शन नहीं करते तो शायद वे अपनी भावनाओं को ठीक ढंगसे व्यक्त न करें जिससे उचित वातावरण बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। श्री बनर्जी का यह कथन सच है कि विधान मंडल ने कहा है कि वे इसके लिये लड़ेंगे। यदि दूसरे विधान मंडलों ने भी यही कहना शुरु कर दिया और पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाकर कोई संकल्प पारित कर दिया तो अच्छा नहीं होगा । अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह ऐसी स्थिति में जैसे भी संभव हो मार्ग दर्शन करे ताकि दोनों पक्षों में सामंजस्य बना रहे ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने केवल यह कहा है कि मामला इस प्रयोजन के लिये नियुक्त विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है । एक सदस्य ने तो—जिसका नाम समाचार पत्र में नहीं दिया गया है—यहां तक कहा कि हम उच्चत्तम न्यायालय की राय को नहीं मानेंगे ।

फिर भी मैं क्षमा याचना करते हुए कहता हूं कि अध्यक्ष, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद संभाले हुए हैं, इतना शीघ्र कोई परिणाम नहीं निकाल सकते हैं । उन्हें इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये । हम राज्य सरकारों को केवल सलाह ही दे सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप अध्यक्ष को कैसे राय दे सकते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । इस बारे में मैं बहुत सावधान हूं । किन्तु, जैसा कि मैंने कहा है कि हम राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं । किन्तु इस मामले में हमें अच्छी तरह इस पर विचार करके ही सलाह देने की आवश्यकता है । मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से कहा है कि वह इस मामले में निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। यदि आवश्यक हुआ तो हम एक साथ बैठ कर इस मामले पर विचार करेंगे ।

अतः मेरा अनुरोध है कि हमें इस पर विचार करने के लिये समय दिया जाये । हम विचार करने के बाद ही राज्य सरकारों को सलाह देंगे । विधि मंत्री भी जैसा उचित समझेंगे उसी प्रकार मामले में कार्यवाही करेंगे ।

श्री अ० कु० सेन: यदि हम इंगलैंड में हाउस आफ कामन्स की परम्परा की दृष्टि से मामले पर विचार करें तो निस्संदेह उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय से विशेषाधिकारों का हनन हुआ है । जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है हमें इस मामले पर सावधानी से विचार करना होगा । यदि इससे वास्तव में किसी प्रकार का हनन हुआ है तो हमें संसद् तथा विधान मंडलों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिये इसमें सुधार करने की बात सोचनी चाहिए । यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें शीघ्र निर्णय लिया जा सके । किन्तु वास्तविकता यह है कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय से विशेषाधिकारों का काफी हनन हुआ है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : कुछ भी हो, इस मामले में हमारी कुछ जिम्मेदारी है हमें अपने देश को यह बताना होगा कि ऐतिहासिक महत्व का यह निर्णय क्या है । अपने अधिकारों के अतिरिक्त हमें अपनी प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा । हमें यह चिन्ता करनी होगी कि हम क्या कार्यवाही करें। संसद् का अधिवेशन 3 तारीख को समाप्त हो जायेगा । परन्तु सदन का कर्त्तव्य है और सदस्य गण भी ठीक ही चिन्तित हैं कि हमें जो कार्यवाही करती है वह निर्धारित कर दी जाय । वह बहुत जरूरी है कि विरोधी दलों के सभी नेता, विधि विशेषज्ञों और सदन के नेताओं की तुरन्त एक बैठक बुलाई जाय और भावी कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाय और उस कार्यक्रम को सदन को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री शिवाजी राव श० देशमुख (परभगी) : मैं इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि हम सब भी तो इस निर्णय के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हमें भी तो उच्चत्तम न्यायालय का नोटिस मिला था और हमने इसके अनुसार चलने का निर्णय किया । जब हमने उच्चत्तम न्यायालय के सामने औपचारिक रूप से उपस्थित न होने का निश्चय किया है तो इसका मतलब यह है कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय में हमारा विश्वास निहित है । सदन के समक्ष अब एक ही रास्ता है कि सारे प्रश्न के विवेचन के लिए अध्यक्ष के निदेश से तुरन्त एक विशेष समिति कायम की जाय जो यह सुझाव दे कि संविधान में संशोधन करके अथवा अन्य उपायों के द्वारा कौन से सुधार के उपाय किये जा सकते हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमद) : इस मामले के महत्व तथा परिणामों को देखते हुए हमें एक दो दिन के लिए इस सत्र को बढ़ा कर सभा के सामने रखे गये मामलों पर विचार कर लेना चाहिए ताकि हम यह निर्णय कर सकें कि आगे इनके सम्बंध में किस प्रकार कार्यवाही की जाय ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह कहना गलत है कि हमारे विशेषाधिकारों का किसी प्रकार हनन हुआ है । उच्चत्तम न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है । उसने कहा है कि उसे काम सौंपा गया था और संविधान का निर्वचन करना उसका काम है, जोकि प्रभुतासम्पन्न है और उसने उसका निर्वचन किया है । उच्चत्तम न्यायालय ने नागरिकों को मूल अधिकारों को महत्व दिया है और ठीक दिया है ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): यह सर्व सम्मत बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभा में विचार किया जाना चाहिये । इससे प्रत्येक व्यक्ति परेशान है । जब तक हमारे विशेषाधिकारों का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता तब तक हमारे लिए कार्य करना बहुत कठिन है । अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : हमें इस मामले पर संयम से विचार करना चाहिये । यह विधान मंडल बनाम न्यायपालिका का प्रश्न नहीं है । हम कार्य करने के लिये संविधान का निर्माण कर रहे हैं अतः हमें ऐसी परम्पराओं का भी निर्माण करना चाहिए ताकि सरकार के सभी अंग शन्तिपूर्वक कार्य कर सकें । प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय मिलकर इस पर विचार करें और प्रक्रिया सम्बंधी कोई सूत्र बनायें । अन्यथा इस प्रश्न पर देश भर में तथा प्रत्येक विधान मंडल में विवादपूर्ण ढंग से चर्चा होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहना कतई ठीक नहीं है कि उच्चत्तम न्यायालय में अपना प्रतिनिधि न भजकर हमने उनके क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है । हमने हमेशा उच्चत्तम न्यायालय के निर्णयों का आदर किया है, और करते रहेंगे क्योंकि यदि ऐसा न किया गया, तो लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता । मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह संसद् के गौरव का ध्यान रखें । सरकार को संसद् के गौरव का ध्यान रखना चाहिए । जो भी निर्वचन प्रस्तुत किया गया है उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार होना चाहिए । हमें देखना है कि यह आदेश है, निर्णय है अथवा परामर्श है । जो भी है इसका रहस्य है और महत्व है । इसी कारण मैंने प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है ताकि वह गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार कर सके । अब हम इस मामले को यहीं छोड़ते हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्था का वर्ष 1963–64 का प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नयी दिल्ली के वर्ष 1963–64 के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3293/64]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 के अन्तर्गत अधिसूचना इत्यादि

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 39 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 19 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1329 की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3294/64]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक 19 सितम्बर, 1964 का जी० एस० आर० 1330

(ख) दिनांक 24 सितम्बर, 1964 का जी० एस० आर० 1401 [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3295/64।]

(3) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 19 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या 10/64 की एक प्रति [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी० 3296/64।]

(4) कृषि पुनर्वित अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित निगम की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की लेखा-परीक्षित लेख सहित एक प्रति [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3297/64।]

विधेयक पर राय

OPINIONS ON BILL

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): श्रीमान जी, मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक के पत्र संख्या 2, जो कि 22 नवम्बर 1963 को सभा के निर्देश द्वारा जनमत के लिए परिचालित किया गया था, सभा-पटल पर रखता हूं। पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०]

राज्य सभा सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान जी, मैंने राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा 24 सितम्बर 1964 को पास किये गये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1964 के सम्बंध में लोक-सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा 24 सितम्बर, 1964 को पास किए गये विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1964 के सम्बंध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी 29 सितम्बर 1964 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 2 सितम्बर 1964 को पास किए गये लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमान् जी, संसद् की दोनों सभाओं द्वारा वर्तमान अधिवेशन में पारित किये गये तथा 7 सितम्बर, 1964 को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 1964 को सभा-पटल पर रखता हूं :

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझुनू) : मैं राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) 1964 के बारे में लोक लेखा समिति का सताइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कुरनूल जिला बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SUPREME COURT JUDGEMENT RELATING TO NATIONALIZATION OF BUS ROUTES IN KURNOOL DISTRICT

अध्यक्ष महोदय : श्री अ० कु० सेन

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :

अध्यक्ष महोदय : . . .

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य कितना लम्बा है ।

श्री अ० कु० सेन : लगभग सात पृष्ठ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब इसे सभा-पटल पर रखा जा सकता है। और माननीय सदस्य उसका अध्ययन करने के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें तो अभी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : बिना वक्तव्य को पढ़े प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं ।

श्री अ० कु० सेन : मैं जल्दी से 6, 7 मिनिट में वक्तव्य पढ़ देता हूं :

पुराने हैदराबाद राज्य अर्थात् तेलंगाना क्षेत्र के नौ जिलों में, जो अब आन्ध्र प्रदेश राज्य का भाग हैं, सड़क परिवहन सेवाएं हैदराबाद राज्य की सरकार के सड़क परिवहन विभाग द्वारा और उस के आन्ध्र प्रदेश राज्य में विलय के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश राज्य के सड़क परिवहन

विभाग द्वारा चलाई जाती थीं। आन्ध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जिसे इसके पश्चात् इस में "कारपोरेशन" कहा गया है 11 जनवरी, 1958 को स्थापित किया गया था। उसने सड़क परिवहन सेवाओं का प्रबन्ध, जो पहले आन्ध्र प्रदेश की सरकार के सड़क परिवहन विभाग द्वारा चलाई जाती थीं, अपने हाथ में ले लिया। कारपोरेशन की स्थापना की तारीख को स्थिति यह थी कि तेलंगाना क्षेत्र में, अर्थात् नौ जिलों में, सड़क परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीय करण पहले ही हो चुका था जब कि आन्ध्र क्षेत्र में, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश राज्य के शेष 11 जिलों में, प्राइवेट आपरेटर विभिन्न मार्गों पर अपनी निजी बसें चलाकर सड़क परिवहन सेवाओं को चला रहे थे। तब यह निश्चय किया गया कि आन्ध्र क्षेत्र में यात्री परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण एक क्रमबद्ध प्रोग्राम के अनुसार किया जाये। कारपोरेशन ने पहले कृष्णा, पश्चिम गोदावरी और गन्तूर जिलों के विभिन्न मार्गों की सड़क परिवहन सेवाओं को अपने हाथ में लिया।

इस के पश्चात्, कारपोरेशन ने मोटरगाड़ी (संशोधन) अधिनियम 1956 द्वारा यथा संशोधित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 68-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुरनूल जिले के कुछ भागों में सड़क परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने लिये तीन स्कीमें तैयार कीं और 29 नवम्बर, 1962 को आन्ध्र प्रदेश गजट में प्रकाशित कीं। अधिसूचना में उल्लिखित समय के अन्दर आम जनता से आपत्तियां पेश करने और स्कीमों से प्रभावित पक्षकारों से अपनी आपत्तियां फाइल करने के लिये कहा गया। आन्ध्र प्रदेश की सरकार को लगभग 45 आपत्तियां प्राप्त हुईं। आपत्तियों का पर विचार करने के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आपत्तिकर्ताओं के नाम सूचनायें निकाली और उन को इत्तिला दी कि उन की आपत्तियां 11 और 12 जुलाई, 1963 को सूचनाओं में वर्णित समय और स्थान पर आन्ध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री द्वारा (जो इस प्रयोजन के लिये कानूनी प्राधिकारी थे) सुनी जाएंगी। आपत्तियों की सुनवाई के समय आपत्तिकर्त्ता अपने अधिवक्ताओं के द्वारा हाजिर हुए और कारपोरेशन का भी प्रतिनिधित्व उसके पदाधिकारियों और विधि मंत्रणादाताओं ने किया। परिवहन मंत्री ने आपत्तियों पर सम्यक्रूप से विचार किया और तीन स्कीमों को तीन आदेशों अर्थात् गृह (परिवहन--4) विभाग के जी० ओ० सं० 292, 293 और 294 ता० 12 फांवरी, 1963 द्वारा अनुमोदित किया। पहले आदेश के अन्तर्गत 34 मार्ग दूसरे आदेश के अन्तर्गत 17 मार्ग और तीसरे आदेश के अन्तर्गत 13 मार्ग थे और वे सब जिला कुरनूल में थे। उस के पश्चात् अनुमोदित स्कीमें 13 फरवरी, 1963 के आन्ध्र प्रदेश गजट (असाधारण) के भाग 2 में प्रकाशित की गई। स्कीमों में इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिये और स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के लिये कारपोरेशन के पक्ष में परमिट देने के लिये उपबन्ध किया गया। उसके पश्चात् 22 याचिकादाताओं ने जो सभी उक्त स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों पर बसों के आपरेटर थे, अन्य बातों के साथ साथ आन्ध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री के उक्त तीन आदेशों को अपखंडित करने के वास्ते समुचित रिट या आदेश निकालने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं फाइल कीं। याचिकाओं में विभिन्न आधार लिये गये जिन में से केवल एक वर्तमान प्रयोजन के लिये सुसंगत है अर्थात् यह कि उक्त स्कीमें इसलिये प्रदूषित थी कि आन्ध्र प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री श्री संजीव रेड्डी ने असद्भाव और विषयेतर धारणाओं से प्रेरित हो कर उक्त स्कीमों का सूत्रपात करने के लिये कारपोरेशन को और उनका अनुमोदन करने के लिये परिवहन मंत्री को अभिभूत किया। कुछ याचिकाओं में मुख्य मंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाये गये थे कि

[श्री अ० कु० सेन]

उन्होंने उक्त स्कीमें सम्बन्धित क्षेत्रों में बस आपरेटरों के खिलाफ ईर्षा और द्वेष से प्रेरित हो कर बनाई हैं जब कि अन्य याचिकाओं में आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री और लोक निर्माण मंत्री के तथाकथित दल के खिलाफ यह उपेक्षिप्त किया गया था कि उक्त स्कीमों के सूत्रपात और उन के अनुमोदन के लिये वे ही उत्तरदायी हैं। मुख्य मंत्री के खिलाफ लगाये गये आरोपों का सार यह था कि : कुरनूल जिले के कुछ बस आपरेटरों ने पिछले साधारण निर्वाचनों में मुख्य मंत्री के तथा कथित दल के खिलाफ काम किया था और उस दल के अनेक उम्मीदवार हार गये थे और यह कि उसके फलस्वरूप मुख्य मंत्री क्षुब्ध हो गये और उन्होंने कारपोरेशन से स्कीमों का सूत्रपात और परिवहन मंत्री से उनका अनुमोदन कराया।

कारपोरेशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और परिवहन मंत्री श्री बी० वी० गुरुमूर्ति ने शपथपत्र फाइल कर रखे थे जिन में इन आरोपों से इंकार किया गया था कि उक्त स्कीमें मुख्य मंत्री के कहने पर शुरू और अनुमोदित की गई थीं। आन्ध्र प्रदेश के द्वितीय सचिव श्री एस० ए० आयंगर आइ० ए० एस० और आन्ध्र प्रदेश सरकार के गृह (परिवहन) विभाग, हैदराबाद में सहायक सचिव श्री के० राममूर्ति ने भी आरोपों से इन्कार करते हुए शपथ पत्र फाइल किये। किन्तु विधि अनुकूल मंत्रणा के अनुसार मुख्य मंत्री ने कोई शपथ पत्र फाइल नहीं किया।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष दिया कि उसे कारपोरेशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का वक्तव्य स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, उच्च न्यायालय ने कहा है :

> "इस आरोप में कोई सचाई नहीं है कि उसने स्कीम को अपनी ओर से अनुमोदित करने में मुख्य मंत्री की आज्ञा का पालन किया... "

उच्च न्यायालय ने आगे कहा है :

> "कारपोरेशन के निमित्त और परिवहन मंत्री द्वारा फाइल किये गये पत्र को स्वीकार करते हुए हम यह निष्कर्ष देते हैं कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाया गया असद्भाव का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है।

इस प्रश्न पर कि क्या मुख्य मंत्री को अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए शपथ पत्र फाइल करना चाहिये था, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि "वर्तमान मामले में स्कीमों का सूत्रपात कारपोरेशन ने किया और उनका अनुमोदन परिवहन मंत्री ने किया। जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है सही स्थिति का कथन कारपोरेशन और परिवहन मंत्री को करना है और उन्होंने शपथ पत्र फाइल कर दिये हैं।" उच्चतम न्यायालय के पहले के एक विनिश्चय का निर्वचन करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस में केवल मुख्य मंत्री ही न्यायालय को जानकारी देने की स्थिति में थे। आन्ध्र प्रदेश राज्य के निमित्त श्री एस० ए० आयंगर ने जो शपथ पत्र फाइल किया है उस में उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को यह सलाह दी गई थी कि आरोप ऐसे हैं कि जिन में कारपोरेशन और परिवहन मंत्री को इन आरोपों से निबटना है कि उन्होंने मुख्य मंत्री की प्रेरणा पर कार्य किया और यह कि सरकार को यह सलाह दी गई थी कि मुख्य मंत्री के लिए स्वयं शपथ पत्र फाइल करना

आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कथन करने का अनुदेश और प्राधिकार मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया था कि उन के खिलाफ असद्भाव के आरोप मिथ्या और रिष्टपूर्ण थे। आन्ध्र प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री को दी गई विधि अनुकूल मंत्रणा विधि के उसी निर्वचन पर आधारित थी जिस की अभिव्यक्ति आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरिवर्णित निर्णय में की गई थी। उन शपथ पत्रों के विषय में जिन में मुख्य मंत्री के खिलाफ असद्भाव विषयक आरोप थे आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा है :—

"मुख्य रिट याचिका में शपथ पत्र के अभिसाक्षी और अन्य रिट याचिका में शपथ पत्र के अभिशाक्षी द्वारा लगाये गये आरोपों के बीच अन्तर्भूत असंगित स्वयं असद्भाव की बात की, जिसका अभिवचन याचिकाओं द्वारा किया गया है, अविश्वासनीय प्रकृति का ठोस प्रमाण पेश करती है :"

"एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो मुख्य मंत्री के खिलाफ लगाये गये असद्भाव के आरोप के लिए पूर्णतः विनष्टकारी है। स्वयं याचिकादाताओं के विद्वान वकील ने ऐसे उदाहरण दिये हैं जो यह दर्शित करते हैं कि दूसरे और तीसरे याचिकादाताओं के सेक्टर मार्गों में से केवल कुछ ऐसे हैं जिन को अधिकार में लिया गया है। उन्होंने वास्तव में इस आधार पर विभेद की शिकायत की है कि जब कि उनके मार्गों में से कुछ कों ले लिया गया है, कुछ को प्रस्थापित स्कीमों की परिधि में से बाहर छोड़ दिया गया है। यदि यह सच है तो असद्भाव के आरोप की भली प्रकार पुष्टि नहीं हो सकती है। यदि याचिकादाताओं के मार्गों में से कुछ को, जिन के सम्बन्ध में यह अधिकथित है कि राजनीतिक अखाड़े है में वे मुख्य मंत्री के खिलाफ हैं, स्कीमों की परिधि से बाहर छोड़ दिया गया है तो यह ही तथ्य यह दर्शित करने के लिये पर्याप्त है कि असद्भाव का आरोप अभिपुष्ट नहीं किया गया है।"

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्याायलय ने अन्य सब आधार रद्द कर दिये जिन पर याचिकायें फाइल की गई थी और याचिकाओं को खारिज कर दिया।]

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय 27 फरवरी 1964 को सुनाया। उच्चतम न्यायालय का सम्पूर्ण निर्णय इस निष्कर्ष पर आधारित है कि कारपोरेशन जिसे अपनी राय स्वतंत्र रूप से कायम करनी थी मुख्य मंत्री की उन इच्छाओं से प्रभावित हो गया था, जो कि उन्होंने कारपोरेशन और उस के पदाधिकारियों के साथ 19 अप्रैल, 1962 को अपने द्वारा किये गये सम्मेलन में जाहिर की थीं। न्यायाधीश आयंगर ने जिन्होंने न्यायालय का निर्णय सुनाया था, यह कहा :—

"मामले में जो साक्ष्य रखा गया है उस से हमारा समाधान हो गया है कि अब विवादित स्कीमों की रचना कारपोरेशन ने 19 अप्रैल, 1962 के सम्मेलन के फलस्वरूप, और वहां पर प्रकट की गई मुख्य मंत्री की इच्छाओं को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की थी।"

[श्री अ० कु० सेन]

इस निष्कर्ष के आधार पर उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित निश्चय पर पहुंचा :—

"अतः हमारा निष्कर्ष यह है कि विवादित स्कीमें इस बात के कारण प्रदूषित हैं कि वे धारा 68—ग की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थीं"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ असद्भाव के आरोप सही हैं। वास्तव में निर्णय में कहा गया है कि यदि मुख्य मंत्री कुरनूल के पश्चिमी भाग के सड़क परिवहन आपरेटरों के विरुद्ध वैयक्तिक द्वेष केहेतुकों से प्रेरित हैं....." । जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि परिवहन मंत्री मुख्य मंत्री से प्रभावित थे, निर्णय में निम्नलिखित कथन है :

"किन्तु इस मामले में दो बातें स्मरण रखनी हैं। पहली यह कि अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से यह दर्शित हो कि मुख्य मंत्री ने अपने साथी को प्रभावित किया और इस बात के अलावा कि मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री दोनों एक ही मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं यह उपदर्शित करने के लिये भी कुछ नहीं है कि मुख्य मंत्री ने परिवहन मंत्री पर प्रभाव डाला। दूसरी बात यह है कि परिवहन मंत्री ने शपथ पर यह कथन किया है कि आपत्तियों का विचार करते समय और स्कीमों का अनुमोदन करते समय वह मुख्य मंत्री से प्रभावित नहीं हुए। अतः हमारा विचार यह है कि इस निष्कर्ष के लिये कोई आधार नहीं है कि परिवहन मंत्री द्वारा स्कीमों का अनुमोदन विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता।"

निर्णय में कहा गया है कि :—

"मुख्य मंत्री ने इन्कार नहीं किया है और न किसी ऐसे व्यक्ति ने शपथ पत्र ही दाखिल किया है कि जो इन आरोपों की सत्यता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का दावा करता है या कर सकता है। गृह विभाग के सचिव—श्री एस० ए० आयंगार ने प्रतिशपथपत्र फाइल किया है जिस में उन आरोपों से जो हमने पहिले उपवर्णित किये हैं औपचारिक रूप से इन्कार किया गया है। उसने कथन किया है कि "मुझे माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहने के लिये स्पष्ट हिदायत दी है और प्राधिकृत किया है कि वैयक्तिक शत्रुभाव और आज्ञा देने के प्रति इंगित करने वाले आरोप मिथ्या और निष्टिकारी हैं और वे सहानुभूति का वातावरण बनाने के लिये जानबूझ कर लगाये गये हैं विद्वान एडवोकेट जनरल ने यह नहीं सुझाया कि मुख्य मंत्री द्वारा की गई इस अप्रत्यक्ष इन्कारी पर न्यायालय कार्यवाही कर सकता था क्यों कि श्री एस० ए० आयंगार का कथन केवल जनश्रुति है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालने के लिये बाध्य हैं कि यह आरोप अखंडित है कि मुख्य मंत्री अपीलार्थियों के विरुद्ध पक्षपात और वैयक्तिक द्वेष से प्रेरित थे।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह भी कहा गया ह कि परिवहन मंत्री के शपथ पत्र से यह परिणाम नहीं निकला कि याचिका में किये गये आरोपों से इन्कार किया गया है। किन्तु परिवहन मत्री ने यह निश्चित रूप से कहा था कि उन्होंने आदेश मुख्य मंत्री के कहने पर नहीं दिये थे तथा उचित तथ्य उनके अपने आदेशों में उपवर्णित थे और उन्होंने इसके प्रतिकूल सभी आरोपों से इन्कार किया है। आदेशों में उन्होंने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पक्षपात और

असद्भाव के आरोप मिथ्या और विष्टिाकारी हैं। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने परिवहन मंत्री द्वारा अपने शपथ पत्र में किये गये इन्कार को पर्याप्त माना है।

इन परिस्थितियों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की राय को दृष्टि में रख कर इस बात को गंभीरता से नहीं सुझाया जा सकता कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के विधि मंत्रणादाताओं का जो यह विचार था कि मुख्य मंत्री के शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं थी, सर्वथा भ्रम पूर्ण था। उच्चतम न्यायालय ने केवल यहीं कहा है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ लगाये गये पक्षपात और वैयक्तिक द्वेश के आरोप अखंडित हैं। इसे निश्चय ही आरोपों की सचाई पर निश्चायक निष्कर्ष के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

सरकार ने अभिलेखों, याचिकाओं, शपथ पत्र, प्रति शपथ पत्रों, परिवहन मंत्री के सामने की कार्यवाहियों और परिवहन मंत्री के आदेशों का अवलोकन किया है। सरकार ने श्री संजीव रेड्डी से भी इन तथ्यों की जानकारी ली है जिनके शपथ पत्र के न होने से उच्चतम न्यायालय पर असर पड़ा प्रतीत होता है। सरकार का समाधान हो गया है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ पक्षपात और द्वेष के आरोप सिद्ध कुछ नहीं माने जा सकते।

श्री संजीव रेड्डी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तुरन्त पश्चात् आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र दे कर लोक आचरण का उच्च आदर्श स्थापित किया है हालांकि उपर्युक्त परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय को तथ्यों के बारे में उनका विवरण प्राप्त नहीं था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय निस्संदेह हमारे सर्वोच्च आदर का पात्र है किन्तु उसे तथ्यों के संदर्भ में और उस साक्ष्य के प्रसंग में पढ़ा जाना चाहिये जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष थे। सब तथ्यों का और श्री संजीव रेड्डी के विवरण का जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं था अध्ययन करने के पश्चात् सरकार का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त याचिकायों में लगाये गये आरोप श्री संजीव रेड्डी के खिलाफ नहीं माने जा सकते।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Leaving aside the legal aspect of the matter, there is a moral aspect also. I think this aspect has more weight. Shri Sanjiva Reddy must also have resigned keeping in view of the moral aspect. I want to know why their moral aspect has not been kept in view by the Prime Minister which forming the Centre Cabinet.

The Prime Minister and Minister for Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : The moral aspect of the matter is always of great importance. But in this case there was no moral turpitude involved. The question of an adffidavit was at the most a technical matter. The Andhra Pradesh High Court had served that as the Transport Minister and some others have filed an affidavit, no objection can be raised as to the filing of an affidavit by the Chief Minister . Even if the observation is made by the Supreme Court after that an affidavit should have been filed by the Chief Minister, it does not prove that the allegation levelled against him stand substantiated.

The resisgnation of Shri Sanjiva Reddy on moral grounds had not debarred him from coming into the Government forever. His inclusion in the cabinet was a political decision by the Prime Minister to which there is no bar.

श्री नरसिम्हा रेड्डी : (राजमपेट) : मैं विधि मंत्री से दो बातें पूछना चाहता हूं। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया है। उसमें मुख्य मंत्री श्री संजीव रेड्डी के विरूद्ध आरोप को स्वीकार नहीं किया गया और उनके द्वारा स्थापित उच्च नैतिक स्तर की प्रशंसा की है। विधि मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उपयुक्त अंश वैसे ही छोड़ दिया है। उच्चतम न्यायालय उन तमाम कारणों को रद्द कर दिया जिनके आधार पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की विधि मंत्री महोदय विस्तार से उच्च न्यायालय का उल्लेख करते रहे। उच्चतम न्यायालय ने कहा :—

> "उच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीशों ने हलफिया ब्यानों को जिस आधार पर रद्द किया वे हमें अपील नहीं करते। और इस दिशा में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वे भी ठोस नहीं कहे जा सकते।"
>
> "यदि न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को रद्द कर दिया जाय तो वही आरोप रह जाते हैं जिनको हम इस से पूर्व देख चुके हैं। और उन आरोपों को तो परिवहन मंत्री ने भी इसे गलत नहीं बताया।"
>
> "विद्वान न्यायाधीशों के वास्तविक तथ्यों को रद्द नहीं किया। महाधिवक्ता ने भी इस बारे में कुछ विशेष नहीं कहा। आगे चल कर यह भी कहा कि अब प्रश्न यह है कि इन तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाला जाय, जिन्हें इन्कार नहीं किया गया। और इस स्थिति में उन्हें ठीक समझा जाना चाहिए।"

अब प्रश्न है कि सार्वजनिक नैतिकता का उच्चस्तर स्थापित किया जाये। श्री संजीवा रेड्डी ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् की बैठक में भाग लिया। ये बैठक 1962 नवम्बर के प्रथम सप्ताह में हुई। इसमें यह संकल्प स्वीकार किया गया कि आगे से बसों का राष्ट्रीयकरण न किया जाय। परन्तु ठीक 28 दिन के बाद बस परिवहन के राष्ट्रीयकरण की योजना को कुरनूल जिले में प्रकाशित किया जाता है। अब आप ही देखिए किस प्रकार राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् के संकल्प का निरादर किया। क्या इस प्रकार के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रिमंडल में किस को लिया जाय यह काम हमारा नहीं प्रधान मंत्री का है। यदि सदन चाहे तो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उस समय उनके बारे में सविस्तार कहा जा सकता है। सदन तो सरकार को ही बदल सकता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता मध्य) : क्या सरकार को किसी एक व्यक्ति विशेष को मंत्रिमंडल में नियुक्त करने का अधिकार है। बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस नियुक्ति के औचित्य के विरूद्ध जाता है। ऐसे समय पर हम अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। श्री शास्त्री ने कहा है कि जहां तक सम्भव हुआ है उन्होंने कुछ सिद्धांतों को समक्ष रख कर निर्णय लिये हैं। यदि श्री शास्त्री समझते हैं कि उन्होंने अपने साथियों का चुनाव ठीक किया है तो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। परन्तु इससे यह व्यक्त नहीं होता कि उन्होंने अपने साथियों का चुनाव न्यायोचित किया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या यह ठीक ही नहीं है कि श्री रेड्डी आंध्र में पद त्याग कर यहां तशरीफ ले आये ।

श्री शिवाजी राव शं देशमुख (परभाणी) : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि जो कुछ सदन के समक्ष है वह तो विधि मंत्री का वक्तव्य है और जो कुछ नहीं है वह प्रधान मंत्री का कृत्य है । प्रधान मंत्री के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव का निर्णय हो चुका है । उसे रद्द कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यह बात कह चुका हूं । अब हम अगला विषय लेंगे

देश में बाढ़ की स्थिति के बार में चर्चा
DISCUSSION RE. FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

अध्यक्ष महोदय : अब हम बाद की स्थिति पर और आगे चर्चा करेंगे । माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेते हुए जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं । उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं। मैं विभिन्न बातों पर प्रकाश डालूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy speaker in the chair]

एक प्रश्न जो इस चर्चा में प्रमुख रहा है, यह है कि यह बाढ़ें हर साल क्यों आ रही हैं और क्या कारण है कि स्वतंत्रता के 17 वर्ष पूरे हो जाने पर भी बाढ़ नियंत्रण नहीं किया जा सका है । कारण यह है कि भारत संसार के उन थोड़े से देशों में से है जिन में वर्षा बहुत होती है । भारत की औसत वर्षा लगभग 44.5 इंच है । हमारी अनेक नदियों में होकर वर्षा का बहुत सा पानी बहता है । ये बड़ी नदियां समस्त देश में फैली हुई हैं और कहीं वर्षा कम होती है कहीं अधिक। कुछ जंगल में भी काट दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त देश में सड़कों और रेलों आदि के निर्माण में भी विकास हुआ है । जिनसे पानी के स्वछन्द बहाव में रुकावट आई है। इन सब बातों के कारण नदियों में पानी बढ़ गया है । अतः बाढ़ें अपरिहार्य हैं ।

सरकार का चौथी योजना में पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर 10 राडर केन्द्र खोलने का विचार है जिनसे विभिन्न स्थानों में होने वाली वर्षा की पूर्व सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इनसे यह तो मालूम हो सकेगा कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होगी परन्तु वे निश्चित स्थान नहीं बता सकेंगे और वह बताना असम्भव तो नहीं किन्तु बहुत कठिन अवश्य है। मछेरला में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सिंचाई के एक छोटे से तालाब में दरार आ गई है क्योंकि पानी का उसमें समाया रहना सम्भव नहीं रहा । वह दरार बहुत सुबह आई जिसके परिणामस्वरूप जनता को बहुत कष्ट हुआ और कई जाने भी चली गईं । इसी प्रकार नागार्जुनसागर पुल की आठ कड़ियां टूट गईं और पुल गिर गया जिसके कारण उस क्षेत्र में यातायात रुका रहा । खाद्य तथा कृषि मंत्री कल सुबह मेरे साथ उस क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं।

[डा० कु० ल० राव]

वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाकर भी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि किस क्षेत्र विशेष में अधिक वर्षा होगी। यह बहुत जरुरी है कि बाढ़ से होने वाली क्षति को जहां तक सम्भव हो कम किया जाये। इस बात को सभी मानते हैं और इसी लिये भारत सरकार ने दस वर्ष पूर्व बाढ़ नियंत्रण की राष्ट्रव्यापी नीति अपनाई थी। यदि हम धन खर्च करने का सामर्थ्य रखते हों और स्थान उपलब्ध हो तो बाढ़ नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बांधों का निर्माण किया जाये। अगर पानी को रोकने के लिये जलाशय बना दिये जायें तब भी बाढ़ों से बचाव हो सकता है।

पंजाब सरकार ने सतलुज घाटी को कृषि योग्य बनाने का जो कार्यक्रम बनाया है वह बिल्कुल सही कदम है। वे भूमि को कृषि योग्य बनाने का इसलिये प्रयत्न कर रहे हैं कि पानी के अधिक बहाव की अथवा अधिक चौड़े जल मार्गों की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार पंचोट तथा मेथान के स्थानों पर बांधों का निर्माण हो जाने के बाद बाढ़ से होने वाली क्षति में भारी कमी हो गई है। हमने लगभग 10,000 मील तटबन्धी कर दी है जिससे बहुत बड़े क्षेत्र का बचाव हो गया और हमारे देश का 14,000 वर्ग मील क्षेत्र पानी में डूबने से बच गया है।

इसी प्रकार हम लगभग 65 नगरों को, जिन में अधिकतर महत्वपूर्ण नगर हैं, कटाव से बचा रहे हैं। यदि समय पर कार्यवाही न की गयी होती और कटाव को रोकन के लिए लगभग ढाई करोड़ रुपया खर्च न किया गया होता तो आसाम का डिब्रूगढ़ शहर कभी का ब्रह्मपुत्र में डूब गया होता। गांव बसाने के सम्बन्ध में, लगभग 4,400 गांव बसाये जा चुके हैं और उससे काफी जान-माल की रक्षा हुई है।

कोसी बांध के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि नदी पिछले 75 वर्षों में 75 मील पश्चिम की ओर चली गयी है। पश्चिमी तटबन्ध तैयार न किया गया होता तो दरभंगा और वर्तमान तटबन्ध के बीच का सब से उपजाऊ क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया होता और सम्पूर्ण क्षेत्र एक विस्तृत रेगिस्तान बन जाता, क्योंकि वहां कोसी नदी होती। कोसी नियंत्रण कार्य का मुख्य उद्देश्य नदी को उस ओर जाने से रोकना है और पिछले 10 वर्षों में हमने बड़ी सफलता से उसे रोका है। यद्यपि उपरोक्त विभिन्न निर्माण कार्य किये जा चुके हैं फिर भी सरकार बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में काफी अधिक काम करना चाहती है।

सरकार ने 43,000 वर्ग मील क्षेत्र का विमान से फोटो लिया है। इससे हमें उन स्थानों का पता लगाने में बड़ी सहायता मिली है जहां मिट्टी जम गयी है, भूमि का कटाव हुआ है। हमारी नदियों के बारे में बाढ़-नियंत्रण कार्य करने में यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार केवल पिछले दस वर्षों में हमने बहुत से काम किये हैं। वर्ष 1954 से 1964 तक हमने बड़े महान् कार्य किये हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि मोट तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि क्षति में बहुत अधिक कमी करने के लिये हमें अरबों रुपया व्यय करना होगा। अतः इस दिशा में हमने काम शुरु कर दिया है।

पानी जमा होने का मतलब है कि कोई विशेष क्षेत्र किसी भी मौसम में खेती करने के अयोग्य है। इस बात को देखते हुए, देश में ऐसे बहुत थोड़े स्थान हैं जहां पानी जमा

रहता है । यह समस्या अवश्य है और इसको हल किया जाना है । इस समस्या को हल करने का तरीका, जांच करना, जल-निस्सारण की व्यवस्था करना, भूमिगत जल को बाहर निकालना और व्यापक तौर पर गांव में बिजली लगाना है ।

जहां तक बाढ़-समस्या का अध्ययन करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति के सुझाव का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह सुझाव काफी महत्वपूर्ण है । लेकिन बात यह है कि यह एक तकनीकी मामला है और एक समिति बनी हुई है, जिसको इंजीनियरों की उच्च स्तरीय समिति कहा जाता है, जो विभिन्न राज्यों में बाढ़ें-समस्याओं को सुलझाने के लिये कार्रवाई की एक प्रकार की योजना तैयार करती है ।

उसके बाद, वर्ष के प्रारम्भ में फरवरी के महीने में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा इस प्रश्न की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिये विभिन्न राज्यों के बाढ़ नियंत्रण के प्रभारी मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गई । इसकी रिपोर्ट वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

ब्रह्मपुत्र नदी से भूमि के कटाव को रोकने का विषय उन विषयों में से एक है जिन पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है । यह सच है कि ब्रह्मपुत्र से होने वाले भूमि के कटाव की समस्या वास्तव में बहुत गम्भीर है । इस समस्या को हल करना बहुत कठिन काम है । क्योंकि इस समय हमें जो तरीके मालूम हैं उन से इस पर बहुत अधिक व्यय होगा ।

सरकार चितोरीघाट और पिम्परीघाट के बीच गन्डक नदी पर किनारे बनाने के लिये कदम उठा रही है । बिहार सरकार ने एक बांध बनाने का सुझाव दिया है जो स्वीकार कर लिया गया है । इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में बनाया जायेगा क्योंकि धन के अभाव के कारण इसे पहले नहीं बनाया जा सकता । गंगा और रामगंगा के कारण बिजनौर जिले में बहुत हानि हुई है । सरकार पहले ही रामगंगा पर एक बांध बना रही है ।

पूर्व उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बस्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण बहुत नुक्सान हुआ है । इस वर्ष कदाचित नेपाल बांध बन जाने से तथा राप्ती नदी के अन्य नदियों में न मिल सकने के कारण अधिक हानि हुई है। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है । राप्ती नदी नेपाल के क्षेत्र से बहुत पानी चढ़ आता है इसलिए नियंत्रण सम्बंधी उपाय भी उसी क्षेत्र में किये जाने चाहियें । यह मुख्य कठिनाई है । यदि यह भारतीय क्षेत्र में होती तो हम इस पर बांध बना सकते और इस पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेते ।

श्री मुसाफिर ने कहा है कि अमृतसर में बहुत हानि हुई है । परन्तु मुझे पंजाब के प्राधिकारियों से पता चला है कि केवल पट्टी और खलिहान तहसील के अतिरिक्त और कहीं भी हानि नहीं हुई । नालियां बन जाने से पानी बह गया ।

राजस्थान में घग्घर नदी से प्रतिवर्ष काफी नुक्सान पहुंचता है । इसको शीघ्र काबू में लाना अत्यावश्यक है । फिलहाल जरूरी तकनीकी सहायता दे दी गई है और अब हम इस कार्य के लिये वित्तीय आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

अन्त में मैं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश को लेता हूं जहां कि इस वर्ष बाढ़ से बहुत अधिक हानि हुई है । उज्जैनी की ओर और बिदंवास।—नजफगढ़ क्षेत्र में काफी खतरा है ।

[डा० कु० ल० राव]

इस वर्ष इन इलाकों में बाढ़ से अधिक हानि होने का कारण यह है कि इस वर्ष दिल्ली और इन क्षेत्रों में जितनी अधिक बर्षा हुई है इतनी पहले कभी नहीं हुई । कहा जाता है कि इस प्रकार की बाढ़ लगभग 500 वर्षों में एक बार आती है । अतः यह कोई अचंभे की बात नहीं है कि इस बार बाढ़ आने से इतनी कठिनाई उत्पन्न हो गई है जब कि बाढ़ के पानी के निकलने के लिये पर्याप्त नालियां नहीं हैं । दूसरी दिलचस्प बात यह है कि केवल 500 क्युजेक्स पानी से ही सारा नुक्सान पहुंचा है । भाखड़ा में 12,000 क्युजक्स पानी को ले जाने की क्षमता है । वास्तव में कठिनाई का कारण यह है कि काम अभी पूरा नहीं किया गया था । पहले कोई नाली नहीं थी । अब हम एक नाली बना रहे हैं । अतः यह स्पष्ट है कि थोड़े से पानी से इतना अधिक नुक्सान हो गया है । बाहरी कामा क्षेत्र में हमने स्थिति पर काबू पा लिया है और अब वहां खतरा नहीं है । बिन्दवास—नजफगढ़ क्षत्र में धांसा बांध विश्व भर में मशहूर है । इससे पहले पंजाब सदैव साबी नदी के रोकने पर आपत्ति कर रहा था । परन्तु इस वर्ष पहली बार पंजाब ने अत्यधिक बारिश होने के कारण साबी नदी को रोकने के लिये कहा है । सामान्यतः यह नदी 400 क्युजक्स पानी ले जाती है जब कि इस वर्ष यह मात्रा 8,500 क्युजेक्स तक पहुंच गई थी । बाढ़ का मुख्य कारण यह था कि प्राकृतिक नालियों में किसी हद तक हस्तक्षेप किया गया था । अतः धांसा बांध के बारे में चर्चा करते समय हमें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है । यह एक छोटा सा बांध है । यह केवल पानी के बहाव का विनियमन करता है । अगर ऐसा नहीं तो सारे का सारा पानी दिल्ली में आ जाये । वहां पर पानी निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वह है नजफगढ़ नाला । उस नाले पर भी संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है । गत वर्ष इस नाले पर काफी काम किया गया है और इसकी पानी ले जाने की क्षमता अब गत वर्ष की अपेक्षा जौगुनी हो गई है । हम पंजाब की सहायता से इस नाले की क्षमता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं । पंजाब के मुख्य मंत्री इसके लिये आवश्यक उपकरण और मशीनें देने के लिये राजी हो गये हैं ।

इस बार नाला संख्या 8 ने काफी परेशान किया है । इसका कारण भी अधूरा कार्य है । शेष कार्य को इस वर्ष पूरा किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मार्ग निर्धारण में परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं । मैं इन सुझावों की जांच करूंगा । मैं माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिये धन्यवाद करता हूं । अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हम ने बाढ़ को रोकने के लिये काफी कुछ किया है । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझ स्थानीय और सुझाव दें ताकि हम अपने कार्य को सफलता पूर्वक कर पाएं ।

Shri Bagri (Hissar): The Minister has not touched two points, *viz*, of procuring more pumping machines and boats in view of the fact that floods in India are a recurring feature and of giving relief to the sufferers.

डा० कु० ल० राव : बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का प्रश्न गृह कार्य मंत्रालय से संबंध रखता है । दूसरे प्रश्न को हम उस समय लेंगे जब हम बाढ़ पर संसद् समिति का गठन करेंगे और इस संबंध में कुछ नीति संबंधी निर्णय करेंगे ।

———

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाय ।"

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं कि औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है । यह बात असंगत है एक अधिकारी जो ऊंचे पद पर नियुक्त किया जा सकता हो वही अधिकारी एक निचले पद पर भी नियुक्त न किया जा सके । इस असंगति को विधेयक के खंड 3 द्वारा दूर किया जा रहा है ।

धारा 7क में औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति के लिये अर्हताएं रखी गई हैं । विधयक के खंड 4 में यह भी उपबन्ध किया गया कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश जो इन पदों पर कम से कम 3 वर्ष रह चुके हों औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन पदाधिकारी बन सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है अब गणपूर्ति हो गई है । माननीय मंत्री अब अपना भाषण जारी रखें ।

श्री संजीवय्या: मध्यस्थ निर्णय संबंधी उपबन्धों में इस विधेयक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये जा रहे हैं। स्वयंसेवी मध्यस्थ निर्णय का प्रश्न सदैव ही सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। मुझे खुशी है कि अब मजदूर और मालिक अपने झगड़े अधिकाधिक मध्यस्थ निर्णय द्वारा निबटा रहे हैं । मध्यस्थ निर्णय को प्रोत्साहन देने के लिये विधेयक में निम्नलिखित संशोधन रखे गए हैं :—

(1) मध्यस्थ निर्णायकों में मतभेद होने पर प्रमाणपुरुष की नियुक्ति ;

(2) मध्यस्थ निर्णय के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों पर पाबन्दी ;

(3) मध्यस्थ निर्णय के दौरान मजदूरों की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । ये सब प्रस्ताव स्थायी श्रम समिति तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय बैठकों में पहले ही रखे गए थे ।

धारा 25 में तालाबन्दी करने पर मजदूरों के लिये मुआवजे की व्यवस्था की गई है । वर्तमान विधेयक के अनुसार पट्टे अथवा लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण कारखाना बन्द करने के लिये अपरिहार्य परिस्थिति नहीं समझा जायेगा, क्योंकि ये बातें मिल मालिकों को पहले से ज्ञात होती हैं । इस प्रकार अब तीन महीने का पूरा वेतन मुआवजे के रूप में दिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे विचार में गणना गलत की गई थी । 40 से कम सदस्य उपस्थित थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी फिर बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति है । माननीय सदस्य गणपूर्ति रखें ।

श्री संजीवय्या : अधिनियम की धारा 33क में भी संशोधन किया जा रहा है । अब किसी पंचाट के अन्तर्गत मजदूर नियोजक से अपना पैसा किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा ले सकता है ।

राज्य सरकारों को यह भी अधिकार देने का विचार है कि वे अब किसी भी अन्य उद्योग को प्रथम अनुसूची में रख सकती हैं और इस प्रकार अनुसूची में संशोधन कर सकती हैं ।

इन बातों के साथ मैं विधेयक को सभा द्वारा विचार के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । हमारे पास समय कम है । इसलिये हम 3 घंटे सामन्य चर्चा के लिये दे सकते हैं और 1 घंटा संशोधनों के लिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : आज सभा कितने बजे तक बैठगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : 5 बजे तक । उसके बाद आधे घंट की चर्चा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : तो क्या इस विधेयक को अगले सत्र में लिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय उनको आदेशपत्र मिल जायेगा ।

श्री संजीवय्या : राज्य सभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है । अतः मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करना वांछनीय होगा ।

डा० रानेन सेन (कलकता पूर्व) : हमारे देश के औद्योगिक सम्पर्कों में औद्योगिक विवाद अधिनियम का बड़ा महत्व है । अतः सरकार द्वारा अब जो संशोधन लाया जा रहा है उस पर हमें बड़े ध्यानपूर्वक विचार करने की आवयकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हम बहुत समय से अनुभव कर रहे हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम की जांच करने के लिये 1959 में एक त्रिपक्षीय उपसमिति की बैठक हुई थी और उसने जो सिफारिशें की थी उन पर सब पक्ष राजी हो गये थे । उसके बाद सरकार द्वारा कोई संशोधन नहीं लाया गया । इस प्रकार श्रमिकों की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि श्रम आन्दोलन के सामने आज जो समस्या है, यह संशोधन, उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । विश्वविद्यालय और कालिजों के कर्मचारियों पर वर्तमान अधिनियम लागू नहीं होता और इस विधेयक में भी इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं रखा गया है ।

वर्तमान अधिनियम को नियोजक चाहे जैसे घुमा फिरा लेते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं ।

आज 20 अथवा 25 साल की सेवा के बाद भी लोगों को, यदि वे काफी समय से बीमार हो, तो नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता है ।

अधिनियम की धारा 33 मजदूरों के लिये बहुत हानिकारक है । इस बारे में पहले भी कई बार सरकार को सूचित किया गया है । इस विधेयक में इस बात पर विचार किया जाना चाहिये ।

माननीय मंत्री का यह कहना सर्वथा गलत है कि इस विधेयक में मजदूरों की इच्छाओं का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है ।

मैं मानता हूं कि धारा 33 (ग) का संशोधन कुछ बातों के लिये ठीक है ।

इससे भी कर्मचारियों को उपयुक्त संरक्षण नहीं प्राप्त होता । इसमें भी कानूनी उलझनें इस प्रकार आ जाती हैं कि कई महीने व्यतीत हो जाते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि इसका संशोधन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि लोग समवायों के रिकार्ड देख कर अपनी सफाई तैयार कर सके । धारा 33 (ग) में संशोधन ठीक ही है । मेरा निवेदन यह है कि स्थिति को देखते हुए इसमें ठीक ढंग से संशोधन नहीं किया गया । दो वर्ष तो स्पष्टीकरण करते ही निकल गये । जो कुछ स्थिति है उसके अनुसार तो यह संशोधन रोग का पूरी तरह उपचार नहीं करता ।

इसके अतिरिक्त राज्यों में और केन्द्र में श्रम मंत्रियों का व्यवहार भी ठीक नहीं है । देखा यह गया है कि वे हमेशा मालिकों के पक्ष में बोलते हैं । श्रमिक उनके इस व्यवहार से काफी असन्तुष्ट हैं । श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने एकमत से यह मांग की ह कि बोनस आयोग की सिफारिशों को बकार न कर दिया जाय । काफी दबाव डालने पर भी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया । इस प्रकार की परिस्थिति में श्रमिकों का श्रम विभाग में कब तक विश्वास रहेगा ।

एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि सभी प्रमुख और बड़े कार्यालयों में श्रम बचत मशीन लगायी जा रही है । इसके परिणाम-स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक फालतू हो गये हैं । इससे बेकारी बढ़ेगी और एक नयी समस्या खड़ी हो जायेगी । अतः मेरा आग्रह है कि इस मामले में श्रम मंत्रालय को उदासीन नहीं रहना चाहिये ।

मेरा तो यही कहना है कि इस विधेयक को रद्द करके इसके स्थान पर एक नया उचित तथा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये । और इस बात का विचार रखा जाय कि श्रमिक वर्ग की मांग स्वीकार कर ली जाय ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : सरकार द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं । इसका मैं इस लिये स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे विचार में इसके द्वारा वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम में काफी सुधार हो जायेगा । इससे कर्मचारियों की दशा में काफी सुधार होगा । तीन वर्ष के अनुभव वाला न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी हो सकता है, यह बात निश्चित रूप में सुधार की दिशा में एक कदम है ।

यह सन्तोष की बात है कि अब "लगातार सेवा" शब्दों की व्याख्या की गई है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस तरह से नियम बनाये जायें और इन नियमों का सरकारी विभागों तथा सरकारी उद्योगों में सख्ती से उनका पालन किया जाय । इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के हाल के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को केवल न्यूनतम बोनस ही नहीं दिया जायेगा प्रत्युत जिन लोगों को ऊंची दर से बोनस दिया जा रहा है वह मिलता रहेगा । इसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं । अब जब कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, हमें अपने सभी विरोध वापिस ले लेने चाहियें ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : हम जिस विधान पर चर्चा कर रहे हैं, श्रम सम्बन्धों की दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि अधिक संख्या में लोग इसके अन्तर्गत आजायेंगे अतः इसका महत्व और अधिक बढ़ जायेगा। मेरा मत यह है कि देश की औद्योगिक स्थिति को देखते हुये सरकार द्वारा अनिवार्य और एच्छिक दोनों प्रकार की मध्यस्थता का उपबन्ध करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाना सर्वथा उचित है। क्योंकि स्थिति यह है कि जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती हमारे औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है। इस लिये मेरा यह भी विचार है कि व्यावहारिक दृष्टि से भी यह विधेयक एक अच्छा विधान है।

आंकड़े देखने से पता चलता है कि 1950 में, 3094000 लोगों ने कारखानों में नौकरियां प्राप्त कीं। 12 वर्ष के बाद 110,25,000 लोगों ने कारखानों में स्थान प्रतप्त किये। उद्योगों में लोग कम जा रहे हैं, इसका कारण यह है कि पहिले कारखाने वाले बिना सोचे समझें ही श्रमिकों को भर्ती करते थे, परन्तु अब वे ऐसा नहीं कर सकते। अतः मेरा निवेदन यह है कि विधि के उपबन्धों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास समुचित ढंग से प्रशिक्षित कर्मचारी होनें चाहियें। इन समझौता अधिकारियों को पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिये। ऐसा करने पर ही अधिकतर समझौता सम्बन्धी कार्य सफल हो सकते हैं। हमें यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि अच्छे योग्य व्यक्ति इस कार्य को करने के लिये भर्ती किये जाय।

इस बात का मुझे खेद है कि अधिकांश कारखानेदार अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल बदल नहीं रहे। मेरे विचार में यदि वे कारखानों में काम करने की दशा में सुधार करें तो बहुत से विवाद स्वतः ही दूर हो जायें।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

[Dr, Sarojini Mahishi *in the Chair*]

मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वैसे मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि खंडों में जो दोष है उसे पूरा कर लिया जाय।

श्री दाजी (इन्दौर) : इस अधिनियम में आगे भी कई संशोधन किये गये हैं। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। इसमें इतने अधिक संशोधन किये जा चुके हैं कि वर्तमान रूप में अधिनियम के बारे में बहुत सी भ्रांति पैदा हो गई है। इसी लिये हम यह मांग करते रहे हैं कि यह आवश्यक है कि अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को उत्तम ढंग से संहिताबद्ध करके इसे नया रूप दिया जाय। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री ने इसके लिये एक व्यापक विधेयक का भी आश्वासन दिया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान रूप में कोई ठोस बात नहीं है। औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में भी इसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। श्रम सम्बन्धी तथा औद्योगिक समस्याओं को हल करने के लिये ठोस तथा निश्चित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे विवादों का शीघ्र तथा समुचित निपटारा हो सके।

सरकार का श्रमिकों के प्रति सौतेली मां वाला बर्ताव है । यह प्रमाणित करने वाले बहुतेरे उदाहरण हमारे सामने हैं । उदाहरणार्थ,वर्ष 1963 में, जब औद्योगिक संधि की गई थी, तब यह निर्णय किया गया था कि 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कारखाने में एक उचित मूल्य वाली दुकान खोली जायेगी । सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया था किन्तु दुकानें अभी तक नहीं खोली गईं । आज स्थिति यह है कि नियोजक जो चाहे करते हैं और उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती । ऐसे कई सार्थ हैं जिसमें भविष्य निधि के हेतु काटी गई लाखों रुपयों की राशि का गोलमाल किया जाता है परन्तु मालिकों को कोई दण्ड नहीं दिया जाता ।

किसी पंचाट अथव समझौते की सम्मानपूर्ण समाप्ति को रोकने वाले प्रस्तावित खण्ड के द्वारा देश में बहुत बड़ी औद्योगिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी जिसकी भंयकरता को अभी महसूस नहीं किया जा रहा । इसके परिणामस्वरूप मजदूर बार बार अवैध हड़तालें करेंगे । यदि यह उपबन्ध कर दिया जायेगा कि पंचाट अथवा समझौता केवल श्रमिकों के बहुमत द्वारा ही समाप्त किया जा सकेगा तो उससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी । हड़तालों और तालाबन्दियों को वास्तव में रोकने के लिये इस प्रकार के विधेयक पास करने की आवश्यकता नहीं है, बरन इस प्रकार का तन्त्र बनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा शिकायतों का उचित ढंग से निपटारा किया जा सके । समूचा संशोधन सरकार के अनुशासन संहिता की योजना के प्रतिकूल है । यदि ऐसा संशोधन पारित किया जाये जिससे मजदूर कानूनी तौर पर अपनी सेवा की शर्तों को न बदल सकें, तो उसका परिणाम यह होगा कि निरन्तर तथा स्थायी तौर पर औद्योगिक अशान्ति बनी रहेगी ।

अनिवार्य मध्यस्थता का विचार ऐसा है जिसके विरुद्ध हम सदैव लड़ते रहे हैं । अंग्रेजी शासनकाल में भी हम इसके विरुद्ध लड़ते रहे हैं । परन्तु दुर्भाग्यवश अब खण्ड अनुचित तरीके से अधिनियम में शामिल किया जा रहा है । हम सब ऐच्छिक मध्यस्थता के पक्ष में हैं, परन्तु अनिवार्य मध्यस्थता कार्मिक संघों की भावना तथा मजदूरों की स्वतंत्रता के विरुद्ध है । यदि यह संशोधन कर दिया जायेगा तो औद्योगिक अशान्ति और संघर्ष का युग शुरू हो जायेगा, जिसके लिये सरकार ही पूर्णतः उत्तरदायी होगी ।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि ऐसा संशोधन पारित किया जाये जिससे मजदूर कानूनी तौर से अपनी सेवा की शर्तों को न बदल सके तो इसका परिणाम यह होगा कि निरन्तर तथा स्थायी रूप से औद्योगिक अशान्ति बनी रहेगी जो देश के लिये घातक है ।

हम मध्यस्थता इसीलिये स्वीकार करते हैं कि विवादों का निपटारा श्रमिकों और नियोजक के बीच शांतिपूर्वक हो सके ताकि न्यायालय की शरण न लेनी पड़े । अनिवार्य मध्यस्थता स्वीकार करने का विचार न्याय निर्णयन से भी अधिक बुरा है । न्यायनिर्णयन में न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कुछ नियम और शर्तों के अनुसार इसे मानना पड़ता है किन्तु अनिवार्य मध्यस्थता में ये बातें नहीं हैं । प्रतः हमने सदा स्वैच्छिक मध्यस्थता पर जोर दिया है ।

अनिवार्य मध्यस्थता के विरुद्ध हम सदैव लड़ते रहे हैं । अंग्रेजी शासनकाल में भी हम और श्री नन्दाजी इसके विरुद्ध लड़ रहे थे । किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज यह खंड अनुचित तरीके से अधिनियम में जोड़ा जा रहा है । अनिवार्य मध्यस्थता कार्मिक संघों की भावना तथा मजदूरों की स्वतंत्रता के विरुद्ध है । एक समाजवादी विचारधारा वाली सरकार के लिये ऐसा करना उचित नहीं है । इससे औद्योगिक शांति कायम नहीं रह सकती है । औद्योगिक शांति न रहने पर योजनायें

[श्री दाजी]

सुचारू रूप से नहीं चल सकती हैं और देश प्रगति नहीं कर सकता है। यदि यह संशोधन पारित कर दिया जायेगा तो औद्योगिक अशांति और संघर्ष का युग आरम्भ हो जायेगा जिसके लिये सरकार ही पूर्णतः उत्तरदायी होगी ।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि विधेयक को इस समय पारित न किया जाये। सब के साथ बैठ कर इस पर पुनर्विचार करके एक ऐसा विधेयक तैयार करना चाहिये जो समाजवादी ढांचे के अनुकूल हो ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्री दाजी के विचारों से ऐसा लगता है कि विधेयक विवादास्पद है। मैं समझता हूं कि विवादापद उपबन्धों को पहले ही एक प्रवर समिति को सौंप देना सदैव अच्छा रहता है। क्योंकि प्रवर समिति इन उपबन्धों पर बारीकी से विचार कर सकती है जिससे बाद में किसी को शिकायत करने का अवसर कम मिलता है ।

मैं सभा का ध्यान विधेयक के खंड 3 की ओर दिलाता हूं। श्रम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंध वांछनीय नहीं है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत होने से पहले ही नियुक्त किया जाता है तो उसको आप न्यायाधीश के पद पर पाने वाला वेतन नहीं दे सकते हैं। यदि उसके सेवानिवृत होने तक प्रतीक्षा की जाये तो यह एक प्रकार से न्यायाधीश को प्रलोभन देना होगा। अब समय आ गया है जब हमें उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को देश के किसी भाग में किसी लाभप्रद पद पर नियुक्त करने की पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, जो सेवा-निवृत होने वाला है किसी भी प्रकार के लोभ से दूर रखना चाहिये और उसके दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि वह किसी पद के पीछे भाग रहा है। प्रायः देखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन न्यायालयों में नये व्यक्ति को नियुक्त करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। सेवानिवृत होने पर नियुक्त किये जाने पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश प्रायः विवादों पर विचार करते समय सरकार का ही पक्ष लेते हैं। यह देश तथा उद्योगों के लिये हानिकारक है क्योंकि इससे हड़ताल और तालेबन्दियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है ।

नियुक्ति की वर्तमान प्रथा को समाप्त करके विशेष न्यायिक भर्ती की जाये और श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिये एक नई सेवा बनाई जाये। यदि सेवानिवृत न्यायाधीशों को ही दुबारा सेवा में लिया गया तो नवयुवकों को रोजगार से वंचित रखा जायेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी न्यायाधीश के मन में यह प्रलोभन बना रहेगा कि उसकी नियुक्ति श्रम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों में होगी तो वह अपने सेवा काल में निष्ठापूर्वक निष्पक्ष होकर निर्णय न दे कर सरकार के पक्ष में निर्णय दे सकता है। इस प्रकार लोग न्याय पाने से वंचित रह सकते हैं और यह देश की न्यायपालिका के लिये शोभनीय बात नहीं है ।

जहां तक विधेयक के खंड 6 का सम्बंध है मैं समझता हूं कि अनिवार्य मध्यस्थता के प्रस्ताव में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यह प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल है। अतः इस खंड को शामिल करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

सभा को खंड 10 में किये गये उपबन्ध को मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना गलत है कि यदि यह उपबन्ध कर दिया जायेगा कि पंचाट

अथवा समझोता केवल श्रमिकों के बहुमत द्वारा ही समाप्त किया जा सकेगा तो इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। यदि अल्पमत द्वारा पंचाट अथवा समझौते को समाप्त करने का उपबन्ध कर दिया जाये तो कभी भी औद्योगिक शांति कायम नहीं रह सकती है। अतः यह उपबन्ध बना रहना चाहिये।

यद्यपि इस विधेयक में किये गये उपबन्ध सराहनीय हैं किन्तु इसके राज्य सभा में पहले पारित हो जाने के कारण यह अधिक विवादास्पद बन गया है। अतः भविष्य में जब कभी सरकार इस प्रकार के विधेयक लाना चाहे तो उन पर प्रवर समिति में विचार किया जाना चाहिये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : प्रस्तुत विधेयक नितान्त विवाद रहित है। इसमें रखे गये प्रस्ताव, श्रमिकों, नियोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों के एक त्रिदलीय सम्मेलन में हुई बातचीत के आधार पर रखे गये हैं। इससे श्रमिकों को हानि होने वाली अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

कुछ माननीय सदस्यों का सरकार पर यह आरोप लगाना गलत है कि श्रमिकों के साथ सौतेली मां का जैसा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि इस विधेयक के पारित हो जाने से श्रमिकों को अनेक कठिनाइयां होंगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे विधानों के फलस्वरूप श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये एक श्रमिक संहिता बनाई गई है जिसमें श्रमिकों को अधिकार दिये गये हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि प्रशासन, विशेषकर, राज्यों में, शिथिल है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिनियमों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

यह उपबंध करना बिल्कुल ठीक है कि यदि किसी कार्मिक संघ के कर्मचारी कोई समझौता करते हैं तो कुछ कर्मचारियों द्वारा समझौते को समाप्त करने के लिये नोटिस भेजे जाने पर समझौता समाप्त नहीं होना चाहिये। समझौता करने वाले कर्मचारियों के बहुमत को इस समझौते की समाप्ति के लिये सहमत होना चाहिये और इसके लिये नोटिस देना चाहिये। सदस्यों द्वारा इस उपबन्ध की किसी प्रकार की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं जिन्हें दूर करके एक व्यापक विधेयक सभा में लाया जाये ताकि श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

यह दुःख की बात है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को उनके वेतन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राजस्व अधिकारी, जिन्हें मालिकों से इस राशि को वसूल करने का काम सौंपा गया है। उनके पास जाने से डरते हैं। अतः न्यायालय तथा न्यायाधिकरणों को राजस्व अधिकारी के अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वे सम्पत्ति को कुर्क करके बकाया राशि का भुगतान कर सकें।

जहां तक मितव्ययता करने के लिये उद्योगों में आधुनिक तरीके तथा युक्तियां लागू करने का प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं है। किन्तु यदि इससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि पहुंचती है तो एक गंभीर समस्या पैदा हो जायेगी।

विधेयक में जो कमियां बताई गई हैं, आशा है उन्हें दूर करने के लिये एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : प्रस्तुत विधेयक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किये जा रहे हैं। इस प्रकार का विधेयक पहले ही लाया जाना चाहिये था।

[श्री व० बा० गांधी]

प्रस्तुत विधेयक को हमें एक वर्ग विशेष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । इस विधेयक के बारे में कोई विवादास्पद बात खड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह त्रिदलीय निर्णयों के आधार पर तैयार किया गया है । कुछ माननीय सदस्यों की यह मांग उचित है कि विधेयक अधिक व्यापक होना चाहिये था । किन्तु प्रजातंत्रीय तथा समाजवादी ढांचे में नित्य नई नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं और उनका कोई न कोई हल निकालना पड़ता है । मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश में मजदूर आन्दोलन स्वतंत्रता के आधार पर प्रगति कर रहा है । हम प्रत्येक समस्या को उचित ढंग से हल करने का प्रयत्न करते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है ।

श्री व० बा० गांधी : क्या मैं जारी रखूं ?

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य एक दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : उन्हें कल बोलने दीजिये ।

श्री व० बा० गांधी : मैं थोड़ा समय और चाहता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

दसवां प्रतिवेदन

श्री खांडिलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

*सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य में सुधार करने सम्बन्धी प्रस्ताव
*PROPOSAL FOR STEAMLINING OF WORK OF INFORMATION AND BROADCASTING MINISTRY

सभापति महोदय : सभा अब आधे घंटे की चर्चा को लेगी । श्री नाथ पाई

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमारी सरकार की समझ में यह बात नहीं आई है कि रेडियो एक ऐसा साधन है जो देशवासियों में एकता, और जागृति की भावना उत्पन्न कर सकता है, सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठा सकता है, और शिक्षा का प्रचार कर सकता है, ब्रिटेन में बी० बी० सी० वहां के सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का स्रोत है । हमारे देश में रेडियो ने अपने 37 साल के जीवन में कोई ठोस कार्य नहीं किया है । यह किसी प्रकार भी हमारे

---

*आध घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

देशवासियों के जीवन में भाग नहीं लेता। हमारी आकाशवाणी के कार्यक्रम सदैव आकाश में ही विचरण करते हैं और नीचे उतर कर हमारे देशवासियों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। हमारे अनपढ़ लोगों में शिक्षा का प्रचार करने में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भाग ले सकता है।

एक विख्यात पत्रकार श्री जार्ज कार्घेज के विचार में आकाशवाणी की वर्तमान स्थिति एक डाकखाने की तरह है और इस से कोई आशा नहीं की जा सकती है। मेरे विचार में तो डाकखाने आकाशवाणी की अपेक्षा हमारी जरूरतों के प्रति अधिक जागरुक हैं। यदि कुछ अच्छी हिन्दी की टिप्पणियां न हों तो मैं तो केवल 5 मिनट में ही आकाशवाणी से ऊब जाता हूं। अलबत्ता हिन्दी के कुछ कार्यक्रम सुनने योग्य होते हैं। परन्तु जब मैं अपनी भाषा, अर्थात् मराठी में समाचार सुनता हूं तो मुझे धक्का सा लगता है, और मेरी गर्दन में दर्द सा होने लगता है जब मैं देखता हूं कि मराठी भाषा का बनावटी तरीके से प्रयोग किया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई रंगमंच पर बोल रहा हो।

वह आगे चल कर कहते हैं कि हमारे आकाशवाणी कार्यक्रम में बुद्धिवैभव और कल्पना की कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि बोलने वालों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। आकाशवाणी सरकारी विभाग होने के नाते सरकार की मुख गाती है।

हम अपनी संक्रमणकालीन अवधि में रेडियो से बहुत कुछ लाभ उठा सकते थे जो हम ने नहीं उठाया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। चीन का आक्रमण हमारे लिये एक दुख का विषय भी था और चनौती भी थी। परन्तु देखना यह है कि ऐसे समय पर आकाशवाणी ने क्या क्या किया। आक्रमण के 6 दिन बाद आकाशवाणी से पहला रूपक प्रसारित किया गया था आकाशवाणी के लिये यह बड़े, खेद की बात है कि उन दिनों यह जानने के लिये कि नेफा और दद्दाख में क्या हो रहा था हमें पीकिंग रेडियो को लगाना पड़ता था। शाम को 6 बजे प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार कुछ समाचार प्रसारित किये गये थे और सायं 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आकाशवाणी से सीमा सम्बन्धी कोई समाचार प्रसारित नहीं किया गया। हमारे अस्तित्व के लिये यह एक चुनौती थी।

आकाशवाणी एक स्वतन्त्र निकाय है और इसको पक्षपात नहीं करना चाहिये। परन्तु यह सदैव ही शासकदल का प्रचार करता रहा है। डा० केसकर के समय में 1960 की हड़ताल के समय इसने जनमत के समक्ष वास्तविक स्थिति को ठीक रूप से नहीं रखा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy. Speaker *in the chair*]

27 मई को भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के निधन पर आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किये गये उनके ब्योरों में न जा कर मैं इतना ही कहूंगा कि इससे काफी अच्छी सेवा की जा सकती थी। घंटों तक आकाशवाणी पर यह बताया गया कि राष्ट्रपति बोलने वाले हैं, जबकि 8.30 बजे रात को उन्होंने अपना भाषण आरम्भ किया। लोग अपनी आंखों में आंसुओं की धारा लिये रेडियो पर कुछ सुनने के लिये बेकरार बैठे थे। परन्तु 2 घंटे तक रेडियो पर कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया और बाकी समय में संगीत आता रहा। आकाशवाणी की सब से बड़ी गलती

[श्री नाथ पाई]

यह थी कि इसने कभी यह नहीं सोचा कि ऐसी घटना किसी समय हो सकती है इसके लिये पूर्णोपाय करने चाहिये और एक घंटे के भीतर भीतर कार्यक्रम प्रसारित करना चाहिये ।

मैं जानना चाहता हूं कि 13,000 स्टाफ आर्टिस्टों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है ? नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं ? हमारे 13,000 स्टाफ आर्टिस्टों में से 11,000 नैमित्तिक कर्मचारी हैं। 13 वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें कोई सेवा की सुरक्षा नहीं दी गई है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रवण सम्बन्धी स्तर भी है ? पहले एक स्वतन्त्र समिति थी जिसे अब हटा दिया गया है और उसके स्थान पर एक विभागीय समिति बनाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना उचित है। यही हालत नियुक्तियों के बारे में भी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये सब बातें ठीक हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इन त्रुटियों को दूर करेंगी और जो वायदे किये हैं उनको पूरा करेंगी और आकाशवाणी द्वारा एक नये राष्ट्र का निर्माण करेंगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : तीन सदस्यों ने पहले ही सूचना दे रखी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं ने भी अपनी सूचना भेजी है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हमने अपने नाम भेज दिये हैं। शायद आपको मिल गये होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम पढ़ देता हूं :

> "सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा।"

यदि किसी सदस्य ने नियम 55(5) के अन्तर्गत पहले से सूचना दी है तो वह एक प्रश्न पूछ सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मैं जानना चाहती हूं कि दोषरहित करने से माननीय मंत्री का क्या अर्थ है ? क्या इससे उनका यह अर्थ है कि आकाशवाणी का आधुनिक तरीके पर विकास किया जाये अथवा उनका अर्थ आकाशवाणी में कुछ निश्चित त्रुटियों को दूर करने से है ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न। मैं दूसरे की अनुमति नहीं देता।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : What are the reasons for not granting security of tenure to the 13,000 staff artists working in the various stations of All India Radio even after rendering 13 years of service ?

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निधन पर आकाशवाणी के त्रुटिपूर्ण कायक्रमों के सम्बन्ध में श्री नाथपाई ने जो आरोप लगाये हैं क्या वे सच हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि महा निदेशक को सर्वोच्च अधिकार हैं और वह 1200 रु० तक के वेतन के अधिकारियों को, संघ लोक सेवा-आयोग की सलाह के बिना सेवा नियुक्त कर सकता है और वह उच्च तकनीकी विभाग का हाकिम है और यदि ऐसा है तो क्या महा निदेशक पर भाई भतीजावाद के आरोपों से आकाशवाणी के कार्य में गिरावट आ गई है ?

श्री हेम बरुआ : (गोहाटी) आकाशवाणी को बी० बी० सी० के तरीके पर एक स्वायत्त-शासी निगम बनाने के सुझाव पर क्या कोई विचार किया गया है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या जांच आयोग नियुक्त करने से पूर्व कोई अन्तःकालीन उपाय किये जायेंगे और इस आयोग के निर्देश पद क्या होंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : सुधार लाने के लिये माननीय मंत्री क्या रास्ता अपना रही हैं ?

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : आकाशवाणी में कर्नाटक संगीत के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली केन्द्र में हिन्दी और उत्तर भारतीय संगीत को ही अधिक समय क्यों दिया जाता है कर्नाटक संगीत को क्यों नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आकाशवाणी के कार्यों सम्बन्धी जांच समिति का कार्यक्षेत्र और निर्देशपद क्या हैं ?

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : What does the experience of the hon. Minister say about the working of the All India Radio ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Is it a fact that some Pakistani spies are working in All India Radio and pro-Russian propaganda is excessively transmitted ?

श्री खाडिलकर (खेड़) : क्या आकाशवाणी के समाचार निदेशक से संसद् के सेंट्रल हाल का पास वापस ले लिया गया है ?

श्री रामनाथन चेट्टियार (करूर) : क्या वर्तमान महा निदेशक अपनी अयोग्यता पर परदा डालने के लिये प्रचार कर रहा है ? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगी ?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभीण) : क्या मैं जान सकता हूं कि . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मैंने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया है। मुझे खेद है समय नहीं है।

श्री बड़े (खारगोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय या जो भी पीठासीन हो नियमों द्वारा बद्ध हैं। नियमों में यह विहित है कि यदि चर्चा से पूर्व कोई सदस्य सूचना देता है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिये। मैंने सब से पहले चिट भजी थी। यदि मुझे अवसर नहीं मिल सकता तो अन्य सदस्यों को कैसे मिल सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही निर्धारित समय से 15 मिनट अधिक लिये जा चुके हैं। प्रत्येक चिट भेजने वाले को अवसर देना संभव नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्री नाथपाई द्वारा उठाये गये बहुत से प्रश्नों का उत्तर सभापटल पर रखे गये विवरण में दे दिया गया है। मैं मानती हूं कि आकाशवाणी में सुधार की गुंजाइश है, परन्तु पूणता एक ऐसी हालत है जिसे शायद ही कोई प्राप्त कर सकता है। आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों की संख्या 1800 है न कि 13,0001

श्री नाथ पाई : यह संख्या स्टाफ आर्टिस्टों की हो सकती है, परन्तु कहां पर ६,००० से ११,००० तक नैमित्तिक आर्टिस्त हैं।

श्रीमती इंदरा गांधी : गैर सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिये समिति द्वारा और निर्णय किये गये हैं। कई समितियां बिठाई गई थीं और उनकी सिफारिशें पहले ही क्रियान्वित कर दी गई हैं। यह सच है कि सभी स्टाफ आर्टिस्ट इन सिफारिशों से संतुष्ट नहीं थ। जहां तक संभव होगा हम इनकी सिफारिशों को दूर करेंगे।

जहां तक शवयात्रा सम्बन्धी प्रसारण के सम्बन्ध में लगाये आरोपों का ताल्लुक है, मैं स्वयं इन कार्यक्रमों को सुनने की स्थिति में नहीं थी और इस लिये मैं अपनी निजी राय नहीं दे सकती। यह एक जाती राय का प्रश्न है जिसके बारे में आपस में मतभेद हो सकता है। परन्तु मैं इतना कह सकती हूं कि भारी भीड़ के कारण आकाशवाणी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

जहां तक राष्ट्रपति के भाष ण का सम्बन्ध है यह राष्ट्रपति की अपनी मर्जी थी कि वह कब बोलना चाहते थे।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : जिस व्यक्ति ने शव यात्रा का आंखों देखा हाल बताया वह बहुत ही अक्षम व्यक्ति था।

श्री तिरुमल्ल राव (काकिनाडा) : सारी दुनिया के समाचार पत्रों ने इसकी प्रशंसा की है।

श्री हनुमन्तैया: उसने श्री डीन रस्क और श्री चह्वाण के हेलीकाप्टर द्वारा आने के बारे में नहीं बताया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैं पहले स्वीकार कर चुकी हूं हम पूर्णता का दावा नहीं करते।

श्री नाथ पाई : तो क्या इतनी अपूर्णता होनी चाहिये।

श्रीमती इंदिरा गांधी : कुछ भाई भतीजा वाद के आरोप लगाये गये थे। मैं इनको स्वीकार नही करती। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट मामला है तो उन्हें मुझे इसकी सूचना देनी चाहिये। मैं उसकी जांच करूंगी।

महा निदेशक 500 रु० तक के वतन के अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है।

हम अपने नियमित प्रसारणों, राष्ट्रीय कार्यक्रम और विविध भारती में कर्नाटक संगीत नियमित रूप से प्रसारित करते हैं।

पाकिस्तानी जासूसों के सम्बन्ध में दूसरे सदन में क्या कहा गया मैं इस बारे में नहीं जानती परन्तु मैं इतना आश्वासन दे सकती हूं कि आकाशवाणी से रूस के लिये या किसी अन्य देश के लिये प्रचार नहीं किया जा रहा है।

जांच समिति अपना प्रतिवेदन लगभग 3 महीने में दे देगी। इसके निर्देश पदों के बारे में हम ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है। जहां तक निगम स्थापित करने का प्रश्न है इसका निर्णय मंत्रि मण्डल द्वारा किया जायेगा।

स्टाफ आर्टिस्टों की उपलब्धियों में वृद्धि करना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिये हमारे पास अधिक विधियां नहीं हैं। स्टाफआर्टिस्ट दो प्रकार के हैं :—नियमित आर्टिस्ट तथा ठेके पर काम करने वाले आर्टिस्ट। नियमित आर्टिस्टों पर वही कानून लागू होते हैं जो सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

बी० बी० सी० के साथ हम अपनी आकाशवाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। वह एक बहुत बड़ा संगठन है और उसके पास बहुत बड़ी निधियां हैं। और वह एक बहुत छोटे से देश में काम करता है। हमारा देश विशाल है और हमें अनेक भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हमारे अनेक कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। कुछ कठिनाइयां हमारे सामने दूसरे मंत्रालयों के साथ समन्वय की भी हैं जिनके कारण हमारे लिये किसानों के हित के कार्यक्रम प्रसारित करने में बाधा पड़ती है। आशा है कि ये सब कठिनाइयां शीघ्र ही दूर हो जायेंगीं। माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाने चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 3 अक्तूबर, 1964/11 अश्विन, 1886 (साका) के 11 बजे तक क लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, October 3, 1964/Asvina 11, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—1492 (ai) LSD— 16-12-64—600.